राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 19

मंगलवार;

3 अगस्त, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-454

(स्थगित)

श्री उपाध्यक्ष : डा. समरजीत सिंह।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : मेरा प्रश्न है 454.

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगित हो गया है।

श्री नवनीत नीनामा : स्थगित हो गया। मेरा पहला ही प्रश्न लगा है। उदयपुर डिवीजन में पूरा सूखा है, पेयजल की समस्या है। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा। पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर मुझे आश्वस्त करें कि इनका क्या होगा। पानी की व्यवस्था कब की जायेगी ? माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हल करेंगे।

श्री नवनीत नीनामा : मुझे विश्वास दें तभी जाकर के वह प्रश्न शुरू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह दे देंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री नवनीत नीनामा : मुझे आश्वासन दें तभी प्रश्नकाल शुरू होगा। मेरे प्रश्न पर मुझे आश्वस्त करें, मुझे विश्वास दें। पानी की व्यवस्था कब की जायेगी ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तृत जानकारी मांगी है.....(व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : वहां जगह-जगह हैण्डपम्प सूखे पड़े हैं, व्यवस्था नहीं है। पंचायत समितियों में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस प्रश्न को स्थगित क्यों किया गया है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : बारिश के बाद व्यवस्था हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : मैं आश्वासन चाहता हूं, मुझे आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आपको आश्वासन दे देंगे। आप उनसे मिल लेना।

श्री सांवर लाल : इतनी लम्बी जानकारी मांगी है। पानी की समस्या का समाधान हम करेंगे। इससे सरकार कोई मना थोड़े ही कर रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपके पास लिखित में जवाब आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. समरजीत सिंह।

भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन

455. **डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति भीनमाल के अन्तर्गत सरकार के वर्ष 2004 में कितनी नवीन पाठशालाएं स्वीकृत की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. समरजीत सिंह)

(2) क्या उपरोक्त पाठशालाएं स्वीकृत स्थान पर ही शुरू की गई हैं ?

(3) क्या नवीन पाठशालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था निकट के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों में से की गई है ? यदि हां, तो जिन विद्यालयों में से व्यवस्था की गई है, उनमें कितने अध्यापक शेष रह गए हैं ? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति भीनमाल (जालौर) में वर्ष 2004 में कुल 43 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। निकट के विद्यालयों से अध्यापकों की व्यवस्था कर विद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। विद्यालयवार की गयी व्यवस्था एवं शेष रहे अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(सूची/विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. समरजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में हर सरकार.....(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : धन्यवाद दे दो।

डा. समरजीत सिंह : काहे का धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इतनी सारी खोली हैं, धन्यवाद दें।

डा. समरजीत सिंह : सब धन्यवाद ही है। कितनी खुली हैं ? 43 खुली हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 43 कम होती हैं क्या ?

डा. समरजीत सिंह : धन्यवाद देना ही चाहिये। आपको देते हैं धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह बोलने ही नहीं देते थे।

डा. समरजीत सिंह : जोगेश्वर जी, खाली धन्यवाद दिलाओगे, अध्यापकों की क्या हालत है, उस पर भी बोल लेना आप मेरे साथ। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह कि जालौर जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के बारे में मैं आपका ध्यान इस प्रश्न के माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि अकसर जालौर जिले में अध्यापक तो जिस समय भी चयन होता है, बाहर के अध्यापक आकर लग जाते हैं और उसके पश्चात् चूंकि प्रजातन्त्र है, सब अपना तबादला करा-कराकर अपने-अपने जिलों में चले जाते हैं। जालौर जिले की स्थिति वही रह जाती है। हर साल हम विद्यालय खोलते हैं, क्रमोन्नत भी करते हैं और अध्यापकों की स्थिति यह है कि इस प्रश्न के जवाब में भी दिया गया है कि एक-एक अध्यापक से मिडिल स्कूल चल रही है, 10-12 की स्कूलें चल रही हैं, यह स्थिति है। आपने 43 स्कूलें खोली, हमारे जोगेश्वरजी चिंतित हैं कि धन्यवाद दें, बिलकुल धन्यवाद दूंगा। यह हमारा हक है और खोलनी चाहिए। कोई भी सरकार आये खोलेगी। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि 43 स्कूलें खोली गयीं ओर 43 में से 17 स्कूलें सिर्फ एक ही जाति वर्ग को दी गयी हैं।

तीसरा मैंने प्रश्न पूछा है, उसमें आपने कहा है कि निकट की स्कूलों से व्यवस्था की गयी है। निकट की स्कूलों में आपके जवाब से भी जाहिर है, दो-दो अध्यापक लगे हुए थे वहां से आपने एक-एक तो हटा दिया। अब एक अध्यापक रह गया। कहीं दो सौ, कही तीन सौ छात्र हैं उसको कैसे आप चलाओगें ? आप क्या देना चाहते हैं ? इस देश के भविष्य को कैसे तैयार करेंगे ? खाली स्कूलें खोलने से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल शहर में इसके विपरीत स्थिति है वहां अध्यापकों की भरमार है और बच्चे नहीं हैं। निजी विद्यालयों में बच्चे जाते हैं और अध्यापक फालतू पड़े हुए हैं। यह क्यों नहीं सोचा गया कि भीनमाल से भेजा जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों को शहरी क्षेत्र से भेजने पर प्राथमिकता दीजिये। यह मेरा सुझाव है। क्या इस बारे में आप विचार कर रहे हैं ? एक-एक अध्यापक रह गये हैं। आपके जवाब से भी जाहिर है कि कई जगह तो सिर्फ पी.टी.आई. के सहारे स्कूल चल रहे हैं तो क्या काम रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हैं, वह स्पष्ट प्रश्न पूछें।

डा. समरजीत सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक-एक अध्यापक के सहारे स्कूलें कैसे चलेंगी ? उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ? क्या भीनमाल शहर के अन्दर जो शिक्षकों की भरमार है उन्हें गांवों में भेजने का आप सोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भीनमाल पंचायत समिति।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उन्हीं का जवाब आ जाने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले प्रश्नकर्ता।

श्री उपाध्यक्ष : साथ ही दे देते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है। 43 स्कूल खोले हैं वह इसलिए खोले हैं कि जब हमने घोषणा की थी कि एक किलोमीटर के आसपास जहां विद्यालय नहीं हैं तो वहां पर जो लोगों के प्रस्ताव आयेंगे और विभाग से भी प्रस्ताव आयेंगे उन सबके आधार पर माननीय सदस्य कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन फिर भी कांग्रेस के माननीय सदस्यों को भी 15, 20, 40 स्कूलें खोली हैं तो आपके यहां स्कूलें खुली हैं। हो सकता है एक जाति के लोग हों मुझे पता नहीं।

डा. समरजीत सिंह : इसमें एतराज नहीं है। किसी भी जाति का खुले, मैं तो ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक जाति के होंगे लेकिन ब्राह्मण तो कम से कम नहीं हैं, इससे मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप तो नहीं लगेगा।

डा. समरजीत सिंह : वह ठीक है आपकी बात। अब मेरा यही कहना है कि कम से कम प्रपोर्शन सही होना चाहिए। दूसरा, अध्यापकों की व्यवस्था भी बता दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोल रहा हूं। तीन बातें आपने कही, तीनों ठीक हैं। बहुत से विद्यालय हैं जहां दो-दो अध्यापक थे, एक-एक ही नहीं किया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस सम्बन्ध में हमने तीन निर्णय लिये। पहला निर्णय तो यह लिया था कि जालौर जिले से एक भी अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया। प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर जिलों से बाहर किसी भी अध्यापक के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है। इसलिए स्थानान्तरण के कारणों से आपकी जगह खाली नहीं होगी।

नम्बर दो, गेस्ट फैकेल्टी के लिये हमने प्रार्थना-पत्र ले लिये हैं। प्राथमिक स्कूलों में भी, उच्च प्राथमिक में भी सेकण्डरी में भी और सीनियर सेकण्डरी में भी 31 अगस्त तक हमने भरने का प्रयास किया है।

तीसरा, 12 सितम्बर को परीक्षा है, उसके बाद में जो जिले पहले खाली हैं उन जिलों में उन लोगों का पोस्टिंग हो जाये। शहरी क्षेत्रों के बारे में मैं पहले भी यहां कह चुका हूं कि शहरी क्षेत्र में समानीकरण की प्रक्रिया चालू है और हम जल्दी इसी महीने में समानीकरण कर शहरी स्कूलों में जो अध्यापक अधिक है, वहां से उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजेंगे। इस प्रकार से इस समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा भी मान लीजिए जिन क्षेत्रों में स्कूल खुलने से रह गये हैं आप मुझे सुझाव देंगे तो प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों में सर्व-शिक्षा-अभियान के अन्तर्गत हम पूर्ण गति से बढ़ना चाहते हैं तो जो आप सुझाव देंगे उसके हिसाब से भी स्कूलें खोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

डा. समरजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि आइन्दा जब भी शिक्षकों की भर्ती हो, जालौर, सिरोही जो पश्चिमी राजस्थान है वहां अमूमन यह तकलीफ रहती है। शिक्षा की कमी है। जब शिक्षक नहीं होंगे तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। गेस्ट फैकेल्टी की जो बात कर रहे हैं उसमें भी इतना आसान नहीं है। वहां पर भी यह व्यवस्था की जाये। जब भी भर्ती हो तो वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाये और अगर बाहर से भी आयें तो पर्टिकूलर बाउण्ड कर दिया जाये ताकि वहां स्कूलें खाली न रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने कल भी कहा था कि नयी भर्ती में जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यापक आयेंगे, पांच साल पहले उनका कोई स्थानान्तरण नहीं होगा और स्थानान्तरण होंगे तो अपाइण्टमेन्ट निरस्त ही माना जायेगा। यह मैं उनको कहना चाहता हूं।

डा. समरजीत सिंह : इसमें लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी अपने उत्तर में कहा है कि अतिथि शिक्षक के माध्यम से आप वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। पिछले वर्ष भी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गयी थी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भीनमाल पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले साल कितने पद रिक्त थे और अतिथि शिक्षकों की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके तहत आपको कितने अतिथि शिक्षक उपलब्ध हुए थे, यह आप बता दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों को लगाने में आपने क्या मानदण्ड तय किया है ? जो पिछड़े हुए इलाके हैं, यदि वहां ट्रेंड नहीं मिलते हैं तो जो अन-ट्रेंड लेकिन क्वालिफाइड लोग हैं उनको अतिथि शिक्षक के रूप में लगाने के लिए क्या आप इरादा रखते हैं ? क्योंकि आप भरेंगे तो 28 हजार लेकिन खाली है 54 हजार। आप और भी कई स्कूलें खोलेंगे इसलिए पद तो रिक्त रहेंगे, इन 28 हजार के आने के बाद भी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े इलाकों में जहां ट्रेंड उपलब्ध नहीं है वहां अन-ट्रेंड को अतिथि शिक्षक के रूप में भरने का इरादा रखते हैं या नहीं और रखते हैं तो कब तक ? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप जो अतिथि शिक्षक लगा रहे हैं उनमें क्या रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाएगा ?

श्री मंगलाराम गोदारा (श्री डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जैसा अमरारामजी ने

(श्री मंगलाराम गोदारा)

कहा, आप जो गेस्ट-फैकल्टी के टीचर लग रहे है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई टीचर गेस्ट फैंकल्टी में मिलेगा ही नहीं। पिछली बार भी यही हुआ और वहां गेस्ट-फैकल्टी में टीचर नहीं मिले। पूरी स्कूलें खाली पड़ी हैं। लोग बीकानेर जाकर धरना दे रहे हैं कि स्कूलों में टीचर लगाएं। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कलों में भी एक-एक, दो-दो टीचर की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से सवाल है कि आप बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, उनको गांवों में आप कब भेजेंगे ? शहरी क्षेत्रों में और रोड पर नजदीक जो गांव है, दो किलोमीटर, दस किलोमीटर, बीस किलोमीटर, उन स्कूलों में तो टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम है और जहां आवागमन के साधन ज्यादा हैं हाई-वे पर, वहां भी यही स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री मंगलाराम गोदारा : मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि रोड के नजदीक जो ज्यादा टीचर लगे हुए हैं उनको आप गांवों में लगाने की व्यवस्था कब तक करेंगे ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की सूरत में आप क्या करेंगे ? आपने 31 अगस्त तक लगाने की बात की है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अतिथि शिक्षक न तो पहले मिलते थे और न अब मिलेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के समय भी अतिथि शिक्षक लगाने की व्यवस्था थी लेकिन अतिथि शिक्षक नहीं मिले। केवल अतिथि शिक्षक लगाने की अपनी योजना बताकर इतिश्री कर देने से अध्यापकों की समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नहीं मिले तो आप क्या करेंगे ? उस समय कटारियाजी विरोध में बैठते थे तो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का कितना विरोध करते थे लेकिन आज भी इसको यही चला रहे हैं। इसलिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं यह बताएं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : यह पांच साल का आपका किया हुआ पाप है यह धुलता सा धुलेगा। (व्यवधान) यह आराम से धुलेगा, धीरे-धीरे साबुन लगाकर।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा सुझाव है कि आप सारे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दीजिए और शहरों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर दीजिए। शहरों में तो मिल जाएंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। ट्रेंड का तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने का सवाल ही नहीं, अन-ट्रेंड भी ढूंढने से मिलेंगे। अन-ट्रेंड के लिए मेरे ख्याल से आपने शायद कोई छूट नहीं दी। यह छूट देने का आप विचार रखते हैं तो यह भी बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, सब बातें आ जाएंगी, मैं बोल दूं, जवाब दे दूं दो-चार का।

श्री मुरारी लाल मीणा : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप गेस्ट-फैकल्टी में ओर अतिथि शिक्षक जो लगा रहे हैं उनमें एस.सी. और एस.टी. के रिजर्वेशन का ध्यान रखेंगे ? पहले भी आपने जो लगाए थे उनमें ध्यान नहीं रखा उसी वजह से आज बैकलाग की समस्या पैदा हो गई।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : गांवों में जहां पर बी.एड. ट्रेंड नहीं मिलेगा वहां अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात पर चिंतित है और पिछली बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। अब कहीं टीचर नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रेंड मिलेगा तो पहले ट्रेंड को लगाएंगे। ट्रेंड नहीं मिलेगा तो रिटायर्ड को लगाएंगे। रिटायर्ड नहीं मिलेगा तो शहरी क्षेत्र से वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में कार्यरत को लगाएंगे। शहर में नहीं मिलेगा तो अतिथि शिक्षक शहरों में लगाएंगे। इसके बाद भी नहीं मिलेगा तो जो लोग पढ़ा सकते हैं, दो महीने, तीन महीने के लिए, जो एम.ए., एम.काम., बी.काम. हैं, उनको भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि पढ़ाई निश्चित रूप से ठीक चले, इसके लिए जो भी उचित लगे, आप करें। मैं स्वयं विधान सभा सत्र के तुरन्त बाद जिला स्तर और मण्डल स्तर पर मीटिंग करके देखूंगा कि किन-किन क्षेत्रों में, किस-किस स्थान पर कमी है और उसको कैसे पूर्ति की जा सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोशिश करूंगा और जब तक नई भर्ती नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होती है तब तक हर हालत में पढ़ाई का काम ठीक चलें इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा।

संयमजी, पिछली बार भी नहीं मिले थे। आपने जो प्रश्न पूछा सही है, पिछली बार भी नहीं मिले थे, इस बार भी कम पड़ेंगे तो जो भी व्यवस्था करनी होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर, मीटिंग करके, हमारे सेक्रेटरीज को भेजकर, जो व्यवस्था कर सकता हूं, करूंगा। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 31 अगस्त तक शैक्षणिक व्यवस्था के अन्तर्गत, गैस्ट-फैकल्टी के अन्तर्गत, रिटायरमेंन्ट के अन्तर्गत, इस सबके बाद भी नहीं मिले तो जो पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, जब तक भर्ती नहीं होती तब तक शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री मुरारी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

डा. समरजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब नहीं दिया। व्यवस्था जो थी उसको तो इन्होंने पहले ही बिगाड़ दिया। जहां दो अध्यापक थे वहां एक अध्यापक कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस.सी. और एस.टी. के लोग जो इस क्राइटेरियों में आते हैं उनको पहले मिलेगा। उन सबको पहले लगा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस बार 28 हजार अध्यापकों की भर्ती होने के बाद एस.सी. और एस.टी. के जो ट्रेंड लोग हैं, करीब-करीब वे सभी नियमित सर्विसेज में चले जाएंगे, बेकार मिलेगा ही नहीं।

डा. समरजीत सिंह : माननीय मंत्री महोदय, आपने तो जहां दो-दो थे वहां एक-एक हटा दिया, एक कर दिया, क्या करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरी है।

डा. समरजीत सिंह : यह निर्णय करते समय यह तो तय करना चाहिए था कि एक-एक हटा देंगे तो पीछे रहेगा क्या ? आप कह रहे हैं कि हम अब कर देंगे। इसमें आप सरकार की संवेदनशीलता तो देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि भर्ती होने के बाद हो जाएगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप कम से कम यह कोशिश करें कि बच्चों की संख्या कम न हो ताकि मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि बच्चों की संख्या जहां भी होगी वहां नए विद्यालय खोल दिए जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में जाएं, इसकी आप कोशिश करें। नैक्स्ट।

डा. समरजीत सिंह : इन्होंने खुद ने जवाब दिया है कि एक-एक रह गया और एक-एक रह गया तो ऐसी व्यवस्था की ही क्यों ? दो अध्यापक जहां थे वहां एक-एक अध्यापक कर दिया।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक जो थे वे विधान सभा के सदस्य बनकर आ गए। शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उनको भी लगाने का आपने कुछ विनिश्चय किया है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, वह स्थान नहीं मिला है इसलिए मैं उनको मेरे यहां स्थान दूंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या लम्बा-लम्बा कर रहे हो ? हमारा प्रश्न नहीं आने देंगे क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि शहरों के मास्टरों को जब मालूम पड़ता है कि हमारे को शहर से बाहर लगा सकते हैं तो वह बच्चों की संख्या बढ़ा देते हैं। वहां बच्चों की संख्या वास्तव में 50-60 ही होती है और मास्टर होते हैं सात-आठ जबकि गावों में बच्चों की संख्या तो होती है 300 और मास्टर होते एक-दो हैं। इसलिए दो साल पहले कितने बच्चे थे आपको वह संख्या देखनी होगी क्योंकि आपने जो अभी भाषण दिया है वह अखबार में चला जाएगा और वह संख्या बढ़ा लेंगे।

हमारी शहरों से कोई नाराजगी नहीं है लेकिन अध्यापक जो शहरों में 20-20 साल से चिपके हुए बैठे हैं, आखिर उनको गांवों में कब तक लगाएंगे, यह फायदा कब मिलेगा ? गांवों में जो आप अध्यापक लगाते हैं उनको बाध्य

(श्री रामसिंह विश्नोई)

किया जाए कि वे नाइट होल्ड वहां करें क्योंकि जो अध्यापक आवागमन करेगा वह बच्चों के साथ कोई न्याय नहीं कर सकता।

शहरों में आप जो भत्ता देते हैं वह भत्ता देना जब तक आप बन्द नहीं करेंगे और गांव वालों को आप भत्ता नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे मंत्रियों ने भी ऐसे-ऐसे जवाब बहुत दिए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप जवाब देने में माहिर हो,. जवाब से कोई पेट नहीं भरता। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी, आप वाकई में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, गांवों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं और लोगों को वाकई फायदा देना चाहते हैं तो इन तीन बातों की व्यवस्था करें। एक-वहां गांव में रहने के लिए उनको बाध्य करें, दो-शहरों में छात्र संख्या बढ़ा देते हैं उसको सही स्थिति में लाएं, तीन-गांवों में भत्ता चालू एवं शहरों में बन्द करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जबसे मैंने कहा तब से शहरी स्कूलों में संख्या बढ़ने लगी है। मैंने पहले भी कहा था शाला प्रधान जब से है तब से स्कूल में कितनी संख्या थी, अब तक उसकी कितनी संख्या हो गई है उसका एवरेज निकाल लें। यह बात भी सही है कि जो रोज अपडाउन करते हैं स्कूल समय पर नहीं पहुंचते हैं जल्दी आते हैं, यह व्यवस्था भी ध्यान है। तीसरी बात जो आपने कही है वह सारे कर्मचारियों से सम्बन्धित है और सारे विभागों पर लागू है। इस सम्बन्ध में तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्रीमंती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दो मिनट मुझे दें। मैं ज्यादा बोलती ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भीनमाल का प्रश्न है। यह जनरल प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूं, मैं दो मिनट में मेरी बात कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी

456. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 तक कितना-कितना गेहूं किस-किस मद में आबंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कई राशन डीलरों एवं जमाखोरों ने इस दौरान गेहूं का दुरूपयोग किया है ? यदि हां, तो राज्य में कहां-कहां किस-किस जिले में अनाज की कालाबाजारी उजागर हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घोटाला करने वाले व्यक्तियों/डीलरों से गेहूं का मूल्य बाजार भाव से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) भारत सरकार से राज्य को प्राप्त गेहूं की आबंटित मात्रा का वर्षवार मदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2001-02 में ए.पी.एल. के लिए-तीन लाख बानवे हजार एक सौ साठ मै. टन, बी.पी.एल. के लिए.-पांच लाख उनचालीस हजार तीन सौ तेईस मै. टन, अन्त्योदय अन्न योजना के लिए-एक लाख दस हजार चार सौ छियानवे मै. टन एवं अन्नपूर्णा योजना के लिए-बारह हजार छह सौ पैतीस मै. टन गेहूं आबंटित किया गया है।

वर्ष 2002-03 में ए.पी.एल. के लिए-उनतीस लाख तीस हजार तीन सौ बयासी मै. टन, बी.पी.एल. के लिए-सात लाख चौरानवे हजार सात सौ

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

छियानवे, अन्त्योदय अन्न योजना के लिए एक लाख चौवन हजार छह सौ बानवे मै. टन एवं अन्नपूर्णा योजना के लिए-बारह हजार छह सौ पैंतीस मै. टन गेहूं आबंटित किया गया है।

वर्ष 2003-04 में ए.पी.एल. के लिए छब्बीस लाख छियानवे हजार तीन सौ छियत्तर मै. टन, बी.पी.एल. के लिए सात लाख उनहत्तर हजार सात सौ अठाइस मै. टन, अन्त्योदय अन्न योजना के लिए एक लाख उन्नासी हजार सात सौ साठ मै. टन एवं अन्नपूर्णा योजना के लिए बारह हजार छह सौ पैंतीस मै. टन गेहूं आबंटित किया गया है।

(2) जी हां। उक्त अवधि में 66 प्रकरणों में 9420.41 क्वि. गेहूं का दुरूपयोग होना पाया गया। प्रकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-'2' देखें)

(3) जी नहीं। आवश्यक वस्तुओं का दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों/डीलरों से बाजार भाव से राशि वसूल करने का प्रावधान पी.डी.आर. एक्ट में नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2001, 2002, 2003 और 2004 में कुल मिलाकर जो गेहूं आया है वह 85,65,618 टन है। 8 करोड़ 56 लाख 180 बोरियां। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं इस गेहूं का उपयोग कहां हुआ ? आप यह कह रहे हैं जिलेवार सूची दी है, उदयपुर जिले का नाम उसमें कहीं नहीं आया है। उदयपुर जिले में कम से कम 20 हजार बोरियां का गबन हुआ है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं आपके पास पूरी जानकारी है या नहीं ? अकेले मावली तहसील में 2500 बोरियां बरामद की गई हैं, उसका केस बना है, 600 बोरियों का विजनवास में बना, 600 बोरियों का मावली में बना, 40 बोरियों का रादोली में बना, 500 बोरियों का नाभरी में बना, 350 बोरियों का जेवाणा में बना। माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह पब्लिक की मनी है, किसी की मनी नहीं है, इस मनी का जिस तरीके से दुरूपयोग

(श्री शांतिलाल चपलोत)

किया है, अन्न को जिस तरीके से गड़बड़-घोटाले में डाला है, पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट, सेक्शन-4 के तहत उनकी वसूली क्यों नहीं की जा सकती ? किस ला में यह प्रोविजन है कि इसकी वसूली नहीं की जा सकती, मैं यह जानना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब आने दो। आप जवाब देने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है माननीय सदस्य के इस सम्बन्ध में कंफ्यूजन है। जो मैंने बताया है वो पी.डी.एस. का गेहूं है और इन्होंने शायद अकाल वगैरह का सारा जोड़कर घोटाला बता रहे है। वो अलग से है। उस घोटाले की जानकारी मैंने पहले एक दिन दी थी, यह पी.डी.एस. का गेहूं है, जो मैंने बताया है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिक प्रश्न पूछा है वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 में केन्द्र सरकार से कितना गेहूं आया ? आपने जो सारा विवरण दिया है, पहले वर्ष में आपने जो विवरण दिया है उसकी भी मैं विगत बताता हूं, शायद कंफ्यूजन आपको हो रहा है। पहले वर्ष में 10,14,614 टन गेहूं आया। 2002-2003 में 38,92,505 टन आया है। 2003-2004 में 36,58,499 टन आया है। आपने जो कहा है उसी को मैंने जोड़कर लिख रखा है उस हिसाब से 85,65,618 टन होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, मैंने तो पूरा जवाब मांगा है, जो केन्द्र सरकार से गेहूं आया है उसके बारे में मैंने आपसे पूछा है और मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि कितना घोटाला हुआ ? केवल आपने 9420 क्विंटल के लिए बताया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुर जिले में अकेले में 20 हजार क्विंटल का घोटाला हुआ है। मावली तहसील में 28 सौ बोरियां बरामद की गई हैं। उनके केस बने हैं जिसके मैंने स्पेसिफिक नाम आपको दिये हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट, सेक्शन-4 के तहत उसकी वसूली क्यों नहीं की जा सकती, इसक कारण बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा : बारां जिले में 10 हजार क्विंटल गेहूं का घोटाला हुआ है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : नागौर जिले में 23 हजार बोरी का गबन हुआ है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले में 10 हजार क्विंटल गेहूं का घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बार। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा : x x x

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : x x x

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : x x x

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मेरी बात सुनिए एक बार। मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता जब प्रश्न कर रहे थे तो

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को बीच में खड़े होकर बिना परमीशन के नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको परमीशन दूंगा पर बीच में बोलने की कोशिश मत करो। मंत्रीजी जवाब देंगे, जवाब देने के बाद ही आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री धर्मपाल चौधरी : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य जो बता रहे थे। उसको मैं अलग-अलग से बता देता हूं (व्यवधान) कार्यवाही भी बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : x x x

श्री जालम सिंह : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में खड़े नहीं हों। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह का गेहूं है, एक तो पी.डी.एस. सिस्टम का मैंने बता दिया। पी.डी.एस. में ए.पी.एल. का, बी.पी.एल. का, अन्त्योदय का, अन्नपूर्णा योजना का और इस बी.पी.एल., अन्त्योदय योजना के 39 एफ.आई.आर. 15 दिनों में दर्ज हुई और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि गत सत्र में टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने इस गेहूं घोटाले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था और मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि जब मैं सवाईमाधोपुर से जयपुर आ रहा था तो अलीगढ़ पंचायत समिति में मजदूरों का एक दल मिला जिसने यह बताया कि हमारी अकेली पंचायत समिति में 70 हजार क्विंटल का घोटाला है तो मैं जब मंत्री बना ही था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : तो मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, जांच करवाई और 32 जिलों में हमने स्पेशल टीम भेजी और 32 जिलों की टीम के बाद जो मामला सामने आया वह अकाल के गेहूं का अलग से है और वह अकाल के गेहूं के 32 जिलों में से 26 जिलों में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। 119 और यह हमारे बाद दर्ज कराई गई हैं और जिलेवाइज बता देता हूं। अलवर में दो प्रकरण थे जिसमें 1226.70 क्विंटल गेहूं का घोटाला था इसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

डा. सी.पी. जोशी : एफ.आई.आर. देख लें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एफ.आई;आर. भी देख लूंगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एफ.आई.आर. की डेट बताइए। हमारे राज में एफ.आई.आर. हैं उनको बताना नहीं चाहते हैं, यह क्या बातें कर रहे हो आप ? आप एफ.आई.आर. की डेट बताइए। एफ.आई.आर. की डेट मंत्रीजी के पास कैसे नहीं हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. की डेट बतानी पड़ेगी, हमारे राज में क्या हुआ और आप अपनी बातें करना चाहते हो, आप श्रेय तो अपना लेना चाहते हो, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो चाहे आपके राज में चाहे हमारे राज में हुआ, कार्यवाही होनी चाहिए। एफ.आई.आर. हमारे राज में दर्ज हुई उसकी बताइए आप, उसको बताना नहीं चाहते हो आप।

एक माननीय सदस्य : उसकी अलग से डीलर की नियुक्ति कब हुई वह भी बतायें ?

डा. सी.पी. जोशी : आप क्या कर रहे हैं ? एफ.आई.आर. तो बतानी पड़ेगी। मंत्रीजी, एफ.आई.आर. आपकी कब पहुंची ? आप अपनी बात करना चाहते हैं, बाद की बातें नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये हैं।

एक माननीय सदस्य : जवाब से पहले ही घबरा गये, क्या आपकी पोल खुल रही है इसलिए।

श्री संयम लोढ़ा : जब आपको यह मालूम नहीं है कि मुकदमा दर्ज कब हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : तैयारी करके नहीं आए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। हजारों टन अनाज बेच दिया गया और यह वही डीलर है जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नियुक्त हुए हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या यह सही है दिलावर साहब, आज राजस्थान राशन डीलर्स उनके संरक्षक हैं, क्या वह मेनुपुलेटिंग हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : कार्यवाही इसके लिए भी करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सी.डी. देवल : और उनसे आप वसूल क्यों नहीं करना चाहते ? इसलिए नहीं करना चाहते कि वह भारतीय जनता पार्टी के डीलर हैं। इसलिए मंत्रीजी उनको बचा रहे हैं। उनसे आप वसूली करिए।

एक माननीय सदस्य : वह राशन के डीलर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग।

श्री उपाध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप किससे बात कर रहे हैं बीच में अन्दर ? माननीय जोशीजी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मंत्रीजी जब जवाब दे रहे हैं। जवाब नहीं सुनना चाहते वह अलग बात है। जवाब देने दीजिए उसके बाद में आपको मौका मिलेगा। आप बीच में उत्तेजित करते हैं, वह क्या करें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : वह सबसे बढिया चीज है। वह मुझे क्या तकलीफ है ? हम सुनेंगे, क्या तकलीफ है ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने के बाद ही आप बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : कितनी एफ.आई.आर. हमारे राज में दर्ज हुई, कितनी आपके राज में दर्ज हुई ? बताइए न। हमने किसी को बचाया है क्या ? खाली अपनी बात करना चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनने की क्षमता रखिए।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, यह बताइये कितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं, वह भी बताइए आप।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। एक-एक की पोल खोल देंगे।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी बताने लगेंगे तो पोल खुल जाएगी आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : थोड़ी सन्तुष्टि रखें आप। हां, मैं तीन चीज बता रहा हूं, तीन नहीं छह बता रहा हूं। आप थोड़ी तसल्ली रखें। आपको जैसा जोशीजी ने बीच में टोका था, इनकी डेट भी बता दूंगा। एक बार मैं प्रकरण गिना दूं। अजमेर में 6 प्रकरण 565.91 क्विंटल गेहूं। बांसवाड़ा में 6 प्रकरण, 2117.44 क्विंटल जिसमें 6 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। भीलवाड़ा में 5 प्रकरण, 594.47 क्विंटल जिसमें 5 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। बीकानेर में 11 प्रकरण थे जिनमें 2939.42 क्विंटल एवं 11 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। बूंदी में 259.31 क्विंटल और 3 प्रकरण थे, 3 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। चित्तौड़गढ़ में 2927.22 क्विंटल और 11 प्रकरण आये जिनमें 11 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। चूरू में एक प्रकरण आया जो 271.52 क्विंटल का था उसमें एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई। डूंगरपुर में 16 प्रकरण आये, 4210.59 क्विंटल के जिसमें 8 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। जयपुर में 4 प्रकरण आये 755.62 क्विंटल के जिसमें दो एफ.आई.आर. दर्ज हुई। करौली में 20 प्रकरण आये 9972.69 क्विंटल के जिसमें 19 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। नागौर में 15 प्रकरण आये 3359.48 क्विंटल के जिसमें 15 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। सीकर में दो प्रकरण आये 2820 क्विंटल के जिसमें दो एफ.आई.आर. दर्ज हुई और सवाईमाधोपुर में 12321.87 क्विंटल का गबन पाया गया जिसमें 10 एफ.आई.आर. दर्ज कराई। टोंक में 12 प्रकरण आये 5316.36 क्विंटल के जिसमें 12 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। उदयपुर में 11 प्रकरण आये 4829.71 क्विंटल के और 11 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इस ढंग से 32 जिलों में अकाल राहत के गेहूं के 135 प्रकरण आये, 119 एफ.आई.आर. दर्ज हुई और 84831.31 क्विंटल गेहूं का गबन हुआ। पी.डी.एस. में 39 में से 15 एफ.आई.आर. दर्ज हुई जो मैंने आपको बता दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर में तो एक भी नहीं हुई ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : भरतपुर का भी बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बता रहा हूं, तसल्ली रखो। एक इन्होंने पूछा था कि इसमें भाजपा के कितने और कांग्रेस के कितने हैं। इसकी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके 5 साल के राज में यह कबाड़े हमने खोले हैं

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

और हमारा राज आने के बाद 8 जनवरी, 2004 से अब तक यह एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं जिनमें 84 हजार क्विंटल का सीधा गबन है।

डा. सी.पी. जोशी : हमने एफ.आई.आर. दर्ज की वह तो बोल ही नहीं रहे हो। आप क्या बातें कर रहे हैं ? ये जितनी 119 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं ये अकाल राहत के गेहूं की हैं। अकाल राहत के गेहूं की 119 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं उन 119 एफ.आई.आर. में कांग्रेस राज में कितनी दर्ज हुई वह बताइये आप। (व्यवधान) आप बैठे-बैठे क्या बातें कर रहे हैं, आप मंत्री हैं क्या ? (व्यवधान) खड़े हो गये। मंत्रीजी जवाब दे देंगे अपने आप। लेट हिम रिप्लाई। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी के लोग शामिल थे, हमने खुद ने कराई है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : खाली पोलिटिकल बातें करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सारा आपके निर्देश पर घोटाला हुआ है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप तो मेरा जवाब दीजिये, मंत्री महोदय। 119 एफ.आई.आर. का बता दीजिये। (व्यवधान) आप सुनिये। आपका काम नहीं है बोलने का। (व्यवधान) आप जवाब दीजिये कि 119 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं अकाल के गेहूं के अन्दर जिसमें 84 हजार क्विंटल आप बता रहे हो उसमें कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं वह बताइये आप। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय जोशीजी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, उत्तेजित मत हो। एक बार देवल साहब का दे दूं। देवल साहब ने कहा है कि डीलरों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे तो हमने ज्यादातर सस्पैण्ड कर दिये और अधिकतर के लाइसेन्स निरस्त कर दिये। हम लीगल

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

राय लेकर के कोशिश यह करेंगे कि जो 20-20, 25-25 साल से डीलर जमे हुए हैं, उन सब को एक ही झटके में हटा दिया जाए। अब मैं डेट बताता हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : 119 में कांग्रेस राज में कितनी हुई हैं यह नम्बर बता दें। (व्यवधान) हरेक को पोलिटिकली लेते हैं। क्या बातें कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस के राज में केवल घोटाले हुए हैं, एफ.आई.आर. एक भी दर्ज नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : सदन के माननीय नेता से निवेदन है कि इनको खाद्य मंत्री का चार्ज दे दें ताकि हमेशा इनकी बोलने की बीमारी मिट जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुन लें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मेरा जवाब सुन लो। सी.पी. जोशी जी के जवाब के मामले में मैं जिलेवाइज बताऊंगा।

डा. सी.पी. जोशी : आप टोटल बता दीजिये। 119 एफ.आई.आर. का आपने कहा है, 119 एफ.आई.आर. में से कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई और कितने क्विंटल की यह बताइये आप। (व्यवधान) हमने भी 200 आदमियों के खिलाफ एफ.आई.आर. कराई है। बताइये आप। जवाब दें। (व्यवधान) हमारा काम नहीं है। भ्रष्टाचार कोई भी सरकार करे। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : गिनती आप भी कर सकते हो जिलावाइज कितनी है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : भ्रष्टाचार से कोई फर्क पड़ता नहीं है चाहे कांग्रेस हो या बी.जे.पी. हो, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार है। हमने भ्रष्टाचार किया है तो सजा दीजिये पर आप ईमानदारी से बताइये कि कांग्रेस ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई या नहीं कराई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, यह तो इस बात का प्रमाण स्वतः हो रहा है कि भरतपुर जिले से पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था इसलिए वहां एक भी घोटाला नहीं हुआ। एक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। (व्यवधान) जहां बी.जे.पी. के एम.एल.एज. थे वहीं ये घोटाले हुए हैं। भरतपुर में एक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक में किसकी पार्टी के विधायक थे ? उनियारा में किस पार्टी के विधायक थे ? (व्यवधान) टोडारायसिंह में किस पार्टी के विधायक थे ? वह घोटाले उजागर नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीयं मंत्रीजी। माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं सी.पी. जोशीजी के प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर में रूपचन्द मीणा, डेकवा.....

डा. सी.पी. जोशी : मैं नम्बर पूछ रहा हूं, 119 में से कितनी कांग्रेस के राज में दर्ज हुई वह बताइये न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अपने आप बता रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : संख्या में बताइये। 119 में कांग्रेस राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है ? पूरा भाषण देना चाहते हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं जवाब ही दे रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : सवाल यह है कि 119 एफ.आई.आर. में से नवम्बर, 2003 तक कितनी हुई और नवम्बर, 2003 के बाद कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई ? दिसम्बर, 2003 के बाद कितने गेहूं का घोटाला हुआ, यह भी बता दें। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : उस समय हरिसिंहजी माननीय मंत्री थे उस समय कुम्हेर में घोटाला हुआ था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दें। जवाब आने के बाद प्रश्न कर लेना। (व्यवधान) आप बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दोनों ही इनकी सरकार, इनकी सरकार कह रहे हैं। यह गरीब का गेहूं खा गये और कह रहे हैं आपके राज में, आपके राज में। गरीब का गेहूं जीमने में दोनों एक साथ हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह न तो सुनना चाहते हैं और सदन का वक्त जाया किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले पूरा जवाब सुन लें। जिलावाइज बता रहे हैं, फिर आप बाद में पूछोंगे कि जिला वाइज बताओं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सीधा प्रश्न पूछा है कि 119 में से कितनी ? हमने सीधा प्रश्न पूछा है और मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि......(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सत्ता पक्ष के इतने खड़े हो जाते हैं और मंत्रीजी को जवाब ही नहीं देने देते। (व्यवधान) क्या मंत्री को आप असक्षम समझते हैं ? मंत्रीजी बिल्कुल सक्षम हैं जवाब देने में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले जवाब सुन लें उसके बाद आप कुछ पूछना। (व्यवधान) कौनसे जिले में क्या बात है, बता रहे हैं। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....एम.एल.ए. तो यह और प्रधान वह और इन्होंने मिलकर के घोटाला किया। उसको तो सस्पैण्ड करा दिया और खुद बच गये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री महोदय ने कहा है कि अकाल राहत में 119 एफ.आई.आर. दर्ज की तो कांग्रेस के राज में कितनी हुई ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने उस समय भी कहा था। मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं, आज भी तैयार हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चाहे जो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। आप करिये। फिर माफी मांगेगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैनें माफी न तो मांगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी तैयार हूं, बिलकुल तैयार हूं। नोटिस देकर के आप करिये। नोटिस देकर के करिये। (व्यवधान) फिर माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने पहले भी कहा था। (व्यवधान) यदि माफी मांगेगे तो हम दुनिया में नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोरी बातें मत किया कीजिये फिर माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान) आपमें और आपकी सरकार में हिम्मत है तो करिये। (व्यवधान)....... मैं थोथी बातें नहीं करता, अगर आपको, आपकी इस सरकार में यह हिम्मत हो तो करिये, जोर-शोर से करिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ......फिर उसकी नौबत आएगी। आपकी तरह मैं गलत बात नहीं करता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माहिर आजाद खुली किताब है, खुली किताब, कुछ नहीं कर सकते। कई आये और चले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। पहले मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिये, उसके बाद में कोई प्रश्न हो, आप पाइंटेड प्रश्न पूछिये, जो पूछना चाहते हो, उनको उत्तर तो पूरा करने दीजिये (व्यवधान) आपके कहने के मुताबिक जवाब आ रहा है, आपको भी मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारी इकलौती महिला सदस्य कुछ कहना चाहती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इकलौती महिला सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जवाब आने दीजिये आप। मैंने कहा, आप विराजिये। इनका जवाब आने दीजिये।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सन्दर्भ में मैं अभी बोलना चाह रही हूं......

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब आने दीजिये।

श्री टीकम चन्द कांत : माननीय सदस्य को जिस हिसाब से उत्तर चाहिए, वह सिर्फ एक संख्या मांग रहे हैं, वह नहीं है। हमें तो जिलेवार उत्तर चाहिए, वही बता दो। हम भी तो सदस्य हैं, हमको चाहिए उत्तर यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप मिल लेना मंत्रीजी से चैम्बर में।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हां, जिलेवार ठीक रहेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप जाकर मिल लेना चैम्बर में, हमें तो यहां उत्तर चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है, 119 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 119 एफ.आई.आर. में कांग्रेस राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई, यह संख्या बता दें, बात खतम हुई। (व्यवधान) आप बात को इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, यह नहीं चलेगा राजनीति में, आप हम पर आरोप लगाना चाहते हैं.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पोपाबाई का राज है।

डा. सी.पी. जोशी : यह नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं ? (व्यवधान) आप खाली राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। एक मंत्रीजी ने उत्तर दिया है, हम जानना चाहते हैं, 119 एफ.आई.आर. में कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई, इसका जवाब दें मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बात-बात में मुख्य सचेतक महोदय खड़े होते हैं और वे एक मुख्य मंत्रीजी की नजर का टोटका हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा मुख्य मंत्रीजी के कानों का, बालों का ध्यान भी रखवायें, माननीय मुख्य सचेतक महोदय बार बार खड़े हो जाते हैं (व्यवधान) और मेरा निवेदन तो यह है कि ये मुख्य मंत्रीजी की नजर का टोटका हैं और माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दें, मेरा इतना ही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी चिन्ता मत करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कांत : हां, ये विस्तार से जवाब दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको नजर नहीं लगेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये आप अपना।

एक माननीय सदस्य : काला ताबीज बांधने की परम्परा है और आप वही काला ताबीज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुरेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सुनी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको।

श्री सुरेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों चचेरे भाई हैं और पांच साल ये लूटते हैं, पांच साल ये लूटते हैं। लूटे जाओ राजस्थान को, लूटे जाओ और राजस्थान की जनता को बिलकुल + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, बिलकुल ठीक कह रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों तरफ से पांच साल में ये लूटते है। पांच साल में ये लूटते है। यही हो रहा है। (व्यवधान) पूरे गरीबों की + + + कर रहे हैं। सारे गरीबों को लूट रहे हैं, लूटकर खा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कभी हममें शामिल हो जाते हैं, कभी आप उनमें शामिल हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो मंत्रीजी, इतना बता दो, आप सरकार का इतना गेहूं खा गये, आठ महीने आने के बाद, पहले इन्होंने पेमेन्ट नहीं किया और आठ महीनों में आपने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि इनके राज में, उनके राज में। उस गरीब का गेहूं राशन का, अकाल का खा गये और डेढ़ साल हो गये, आज तक आपने पेमेन्ट नहीं किया। न इस सरकार ने किया, न उस सरकार ने किया। न उन्होंने किया। केवल एफ.आई.आर. की बात कर रहे हैं। आप तो इतना बता दीजिये कि जिसने गबन किया है ए.पी.एल. का अकाल राहत का, क्या उसकी वसूली करके कोई टाइम सीमा में आप उसके पास पहुंचाने का इरादा रखते हैं ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप बैठो, तसल्ली तो रखो, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : हम तो बैठे हुए नहीं हैं। इनके हक का क्या होगा, उनके पास तो पहुंचा नहीं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : जिनके खिलाफ शिकायत मिली है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जो बी.जे.पी. और कांग्रेस का बता रहे हैं, इनको कहो कि मायावती का चिट्ठा भी यहां बता दें जरा, इनको भी पता लग जाये। इनकी मायावती ने उत्तरप्रदेश में क्या किया, वह भी बता दें। कांग्रेस और बीजेपी तो कर रही है मगर आपको कहीं मौका नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने और करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये इधर से करते हैं, उधर से करते हैं, किधर से भी किया होगा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं किसी ने भी भ्रष्टाचार किया हो, उसके कितने भी लम्बे हाथ हों, हमारी सरकार उसको बख्शेगी नहीं, एक बात।

दूसरी बात, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो पूछा था कि उस गरीब के गेहूं का क्या हुआ, अभी बता रहा हूं मगर तसल्ली से सुनो तो मैं एक-एक बात बता दूं कि उसका क्या हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

हम राज में आये, राज के दौरान चुनाव प्रचार में गये, ये भी गये , हम भी गये, तो सब जगह कूपनधारी श्रमिक मिले और यह कहने लगे कि हमने अकाल में काम किया, हमारे कूपन का गेहूं नहीं मिला तो हमने, मुख्य मंत्रीजी ने आते ही 51,000 लाख मैट्रिक टन गेहूं भारत सरकार से मांगा है और जो भारत सरकार ने हमें दिया और उसके आधार पर जो कूपन्स शेष रह गये थे, उसका हमने भुगतान किया:....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहली बार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। जवाब आ गया है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : और जो बकाया है उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री अमराराम (धोद) : अब कह रहे हैं कि बकाया नहीं है। आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि कई हजार, 2000 मैट्रिक टन आज भी मजदूरों का बकाया है आज की तारीख में, आपने उत्तर में बताया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में कितने मुकदमे दर्ज हुए थे और नई सरकार ने कितने किये ? जो लूट-खसोट की है, उसको आप छिपा रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल की जो श्रमिकों की मजदूरी के बाकी थे, 2000 मैट्रिक टन तो केवल सरकार बता रही है, उससे कई गुना ज्यादा होगा। जिस मजदूर की डेढ़ साल पहले की मजदूरी थी......(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय मंत्रीजी वसूली का क्या कर रहे हैं ? मंत्री महोदय, यह वसूली के लिए कह रहे हैं, वसूली का क्या कर रहे है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये। पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अकाल राहत में जो 84,000 क्विंटल गेहूं, जिसकी कीमत पांच करोड़ सत्तर हजार रूपये.......

श्री जुबेर खान : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा हैं, कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई और आपके राज में कितनी हुई, आप बता दीजिये न। इसको टाल-मटोल क्यों कर रहे हो, घुमा-फिरा क्यों रहे हो ? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : छह रूपये क़िलोग्राम के हिसाब से बनती है, इसको वसूल करने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री सी.डी. देवल : वसूल क्यों नहीं करना चाहिये क्योंकि ये बी.जे.पी. के अपाइंटेड डीलर हैं और उनको बचाने के लिए मंत्री महोदय यह कह रहे हैं। आप उनसे वसूल करिये। चाहे कोई भी डीलर हो, जिसने गबन किया है, उससे वसूली की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : क्योंकि यह पब्लिक प्रोपर्टी है और इस प्रोपर्टी का कोई वेस्ट नहीं कर सकता। (व्यवधान) मेरा प्रश्न है और मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं करेक्ट कर लेता हूं। 51000 मैट्रिक टन गेहूं था, 51,000 लाख नहीं है। 51,000 मैट्रिक टन हमने भारत सरकार से, जैसे ही हम राज में आये, हमारी मुख्य मंत्रीजी लेकर आई और बकाया कूपन.....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप एफ.आई.आर. की तारीख बतायें कि एफ.आई.आर., कब-कब दर्ज हुई है अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आप कह दीजिये, मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपको जवाब सुनने में क्या तकलीफ हो रही हैं ? आप जवाब सुनिये तसल्ली से। जवाब सुनना नहीं चाहते आप ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ यह हो रही है कि आप राजनैतिक उत्तर देना चाहते हैं, हमें राजनैतिक उत्तर नहीं चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई मंत्री महोदय, जो मूल बात है उसको बताना नहीं चाहते हो, आप मूल प्रश्न तो बताना चाहते नहीं हो.....

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, समय बता देता हूं, तारीख बता देता हूं, तारीख बता देता हूं, (व्यवधान) हां, तारीख बता देता हूं।

एक माननीय सदस्य : हां, वसूली बता दो आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोडी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका किसी भी तरह से......(व्यवधान) आप विराजो, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : संख्या बताइये, तारीख नहीं चाहिए, 119 में संख्या बताइये।

एक माननीय सदस्य : जब तारीख आ गई, संख्या बतायेंगे, कमाल है.....

डा. सी.पी. जोशी : संख्या बताइये, संख्या बता नहीं रहे, तारीख बता रहे हैं।

श्री जुबेर खान : साफ-साफ संख्या बताइये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, तारीख आ गई तो संख्या भी बतायेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, यह कोई बात थोड़े ही हुई, आप जवाब सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा : बहुमत के बल पर दबाना चाहते हो क्या ? बहुमत का ज्यादा घमण्ड मत करो, हमारे जैसे ही इधर आ जाओगे बाद में।

श्री अमराराम (धोद) : आधे घण्टे की चर्चा दोबारा से हो जायेगी, आधा घण्टे की।

श्री सी.डी. देवल : पांच करोड़ रूपये का सवाल है, अमराराम जी साहब। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ रूपये का राजस्थान का सवाल है, आप इन मंत्रीजी से केवल यह जवाब दिला दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, मत सुनिये। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. मोहम्मद माहिर आजाद एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के निर्वाचन में अन्य पिछडा वर्ग के लिये समुचित आरक्षण नहीं होने के सम्बन्ध में ।

अन्य पिछड़े वर्ग की जनगणना अलग से अब तक नहीं हुई है। अतः जनगणना होने पर ही उस प्रतिशत में आरक्षण पर विचार करना सम्भव हो सकता है। यह ऐसा विषय नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री रामनारायण मीणा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में फीस में भारी असमानता के सम्बन्ध में।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है, मंत्रीजी को देखें आप। मंत्रीजी को देखें, यह क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आपको क्या तकलीफ है ?

श्री संयम लोढ़ा : उधर देखिये, वह क्या कर रहे हैं ? वह क्या कर रहे हैं, उधर देखिये आप ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा अपने आप।

श्री संयम लोढ़ा : यह देखिये, यह देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह आपसे सम्बन्धित कर लें। (व्यवधान) शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया है और मंत्री महोदय ने उत्तर भी दिया है। यह ऐसा विषय नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

3. श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से परिवहन निगम में ग्रीन कार्ड योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अतः इस पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। लेकिन माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद) को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बाकी को क्यों नहीं साहब ?

श्री उपाध्यक्ष :

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से बालिका फाउण्डेशन के तहत राज्य में चालू किये गये छात्रावासों को सहायता राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. ओ. पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से केसरीसिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(4) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनावश्यक एल. डी. फिल्म क्रय कर लेने के सम्बन्ध में

(5) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जा रहे अध्यापकों के चयन में अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये पर्याप्त आरक्षण रखने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज वाटर सिस्टम के सम्बन्ध में।

(7) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में सस्ती व सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद की तहसील सांगोद में हाल ही के वर्षों में किये गये सैटलमेंट में व्यापक कमी के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में एक हत्या के दर्ज मुकदमा नम्बर 186/04 में कार्यवाही कर दोषियों को सजा देने के सम्बन्ध में।

(10) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से अलवर-तिजारा रोड से भिवाडी हाइवे तक टोल टैक्स लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु कुटीर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रक ड्राइवरों को परेशान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

आज दिनांक 2-8-2004 को शून्य काल में बोलने हेतु 21 माननीय सदस्यों से पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें से चार माननीय सदस्यों की पर्चियां शलाका द्वारा निकाली गई जिनके नाम एवं विषय निम्न प्रकार हैं :-

1. श्री खुशवीर सिंह, वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

2. श्री मांगीलाल गरासिया, राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 49,872 पदों को भरने के सम्बन्ध में।

3. श्री तगाराम चौधरी, बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के किसानों के खेतों को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु।

4. श्री समर्थलाल मीणा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 49842 पदों को भरने के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अन्य पिछडा वर्ग की जो बात थी, पंचायत और स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण की बात है, 2001 की जनगणना ओ. बी. सी. की अलग से होने की बात थी..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण नहीं होने के सम्बन्ध में हमारा स्थगन प्रस्ताव है इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया, आप हमको भी दो मिनट का समय देने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप दो मिनट इनको समय दीजिये।

श्री सी. डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहा था बुधवार को लगेगी और मेरी लगी ही नहीं। कल मंगलवार को भी नहीं लगी और आज भी नहीं लगी। मैंने समय पर दी है सैक्रेटरी साहब को और इन्होंने कहा कि बुधवार को आपकी लग जायेगी और बुधवार को नहीं लगी। मंगलवार को सारी, आज मंगलवार को लगी थी।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में आप मेरे से जानकारी, माननीय सदस्य,..

श्री सी. डी. देवल : मंगलवार को लगी नहीं। इन्होंने कहा है मंगलवार को लगेगी, पीने के पानी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल : आखिर मंगलवार को कोई नारियल चढ़ाना पडेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : वह जानकारी आप मेरे से कर लें।

श्री सी. डी. देवल : होनी चाहिए, जब यह सैक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया कि मंगलवार को लगा दी जायेगी तो क्यों नहीं लगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री सी. डी. देवल : आप जांच करके लगवाइये।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले, माननीय सदस्य ने मूल स्थगन प्रस्ताव दिया है और हम तेरह लोगों ने भी उस पर दस्तखत किये हैं। यह अन्य पिछडा वर्ग का सवाल है। प्रदेश की आधी से ज्यादा जनसंख्या का सवाल है। आप माननीय सदस्य को उसके ऊपर दो मिनट बोलने का मौका दें क्योंकि इस पर पहले चर्चा नहीं हुई है। आप बात भी नहीं कहने देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस प्रस्ताव को देख लिया है..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था देदी, आपकी व्यवस्था के बाद कोई दोबारा यह कहे कि उनको बोलने की अनुमति दें, मैं समझता हूं एक तरह से यह आसन का अनादर है।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आपने तो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद एक घंटा हंगामा किया है यहां, आप क्या बात करते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : खुद का पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पुनर्विचार करें उपाध्यक्ष महोदय, और दो मिनट का मौका दें।

श्री जुबेर खान : पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई बात है, आने दीजिये सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपने स्थगन प्रस्ताव में लिखा है कि प्रतिशत जो है वह पिछडे वर्ग की जनसंख्या के आधार पर दिया हुआ है। जैसा मैंने बताया कि अभी तक, जनगणना पूरी तरह से हुई नहीं हैं पिछडे वर्ग की। इसलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल : पूर्व में भी दो मिनट बोलने का मौका दिया जाता रहा है।..(व्यवधान)..उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इनको मौका दिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव हो रहे है पंचायतों के..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों से और आसन द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं से चलता है। परम्पराओं से चलता है। आज आपने धोद से आने वाले माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया उनको बोलने की इजाजत दी है और नगर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उनको आपने अस्वीकृत किया है, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं आपको स्थगन प्रस्तावों के बारे में 3-4-1978 को जो व्यवस्था दी थी उसको पढ कर सुनाना चाहता हूं। "अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सकता है।" श्री ईश्वरचन्द, सदस्य के एक स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने की व्यवस्था दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा इसी विषय पर डिवेट प्रारम्भ करने पर एक अन्य सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आपने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है उसमें कोई वजन नहीं था या सरकार से जानकारी ले रहे है इसके बाद से उसी विषय पर डिवेट कर रहे हैं, यह नियमों के विरूद्ध है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से डबल डिवेट की जा सकें।

इस पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा होने के पक्ष में दलीलें दी। अध्यक्षजी ने इस पर यह व्यवस्था दी, "माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह ठीक है। उन्होंने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया वो नियमों के अन्तर्गत है। जो उन्होंने कहा वैसे ही होना चाहिए किन्तु यह सदन की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

परम्परा रही है कि ऐसे प्रश्नों पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए माननीय सदस्यों को मौका दिया जाए। विरोध पक्ष में बैठ कर 15 वर्ष की परम्पराओं का मुझे भी अनुभव हो चुका है।" उपाध्यक्ष महोदय, वो विपक्ष में 15 वर्ष तक रहे फिर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे महारावल लक्ष्मणसिंहजी। "यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने हेतु विपक्ष का सहयोग प्राप्त किया जाए। विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने के लिए और कोई अन्य चारा नहीं सिवाय इसके कि माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए और अपने विचार व्यक्त करने का ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।" आप मान लीजिये इजाजत नहीं देंगे, माननीय सदस्य फिर बोलने की कोशिश करेंगे इसमें ही सदन का समय जाया होगा और 10 मिनट हो जाऐंगे इसलिए मेरा आपसे पुरजोर आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को आप रिजेक्ट करते हैं उनको 2-2 मिनट बोलने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक तो 1987-88 में जिस समय माननीय कल्ला साहब भी शायद मंत्री थे उस समय इस पर काफी गम्भीरता से विचार किया। एक कमेटी बनायी गयी श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में और उसमें जो फैसला किया उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें स्थगन प्रस्तावों के बारे में वर्तमान में अपनायी जा रही प्रक्रिया से सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ व्यतीत होता है..(व्यवधान)... आप सुनिये तो सही। मैं आप सबने मिलकर जो व्यवस्था की है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सुनिये न। ये जो कह रहे हैं सुनिये।... (व्यवधान) ... मेरे पास भी कुछ कोटेशन है मैं भी पढूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 1987-88 में ये विचार हुआ कि स्थगन प्रस्ताव जो लम्बे-लम्बे आते हैं उस पर क्या विचार किया जाए और फिर जो फैसला किया गया उसकी प्रोसीडींग आपको पढ कर सुना रहा हूं जिसमें आदरणीय शिवचरण माथुर उसके चैयरमैन थे। मैं आपसे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें यह कहा गया है, "स्थगन प्रस्ताव के बारे में वर्तमान में अपनायी जा रही प्रक्रिया से सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ व्यतीत होता है और सदस्यों को भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उससे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है अतः इस समिति की राय है कि प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था दिये जाने की प्रक्रिया बन्द कर दी जाए। संसदीय परम्पराओं के अनुसार जो समस्या अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की हो और जिस समस्या के समाधान में सरकार की असफलता दृष्टिगोचर होती है उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है अतः सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि...।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग, जिसमें आप भी अन्य पिछडा वर्ग से आते हैं, जाट हैं, माली हैं, गुर्जर हैं, कायमखानी हैं उनको आपने 21% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है और पंचायतों के और स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव सिर पर हैं। आप कह रहे हैं कि जनगणना नहीं हुई पिछडा वर्ग की इसलिए इनको 21% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह अन्य पिछडा वर्ग के साथ अन्याय है। आप कृपया, रिजर्वेशन जो दे रखा है उसको लागू करें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस पर बोलने का मौका दें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संसदीय परम्पराओं के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा में आता हो उसकी ही इसके बारे में, स्थगन प्रस्ताव की सूचना दें और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में 22-9-1992 को .... (व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता ने जो मामला यहां उठाया है उसको तो सुन लें पहले।

मोहम्मद माहिर आजाद : अन्य पिछड़ा वर्ग के हकों और हकूकों पर कुंठाराघात हो रहा है इसलिए मुझे आप पुनर्विचार करके दो मिनट बोलने का मौका दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यहां सदन में कई अन्य माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिये पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर माननीय अध्यक्ष ने यह संकलन तृतीय खण्ड के पेज 101 में, माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया नियम 54 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी कि प्रक्रिया के नियम 54 में लिखा है कि-

"Provided that where the Speaker has refused his consent to rule 50 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order."

"रूल 54 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे पूर्व अध्यक्षों की व्यवस्था है, यह अध्यक्ष के डिस्क्रिशन पर है कि किस एडजोर्नमेंट मोशन को हाउस में मूव किया जाए, किसको नहीं किया जाए। मैं अपने डिस्क्रिशन का यूज करता हूं। इसमें कोई इल्लीगलिटी या कानून के खिलाफ बात नहीं है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके निर्णय के बाद, आसन के निर्णय के बाद पहली बात तो यह परम्परा ही गलत है कि आसन के निर्णय को चैलेंज किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। व्यवस्था आज तक यह रही है कि यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हो तो चैम्बर में जाकर मिल सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ..(व्यवधान)... इस पर हम पुनर्विचार का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में लाखों-करोड़ों अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों का सवाल है, महावीरजी तो...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन के अधिकार को मैं कोई चैलेंज नहीं करता आसन यदि उचित समझता है तो किसी विषय पर डिस्कस कराया या

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और कोई बात, मेरा यह निवेदन है कि कोई भी विषय ठीक प्रकार से आये और ठीक प्रकार से उसका डिस्कशन हो जाए ऐसी हमको परम्परा डालनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप ने जो नजीरें दी हैं वो अध्यक्ष के निर्णय को कोट नहीं किया है उन्होंने माननीय सदस्यों से अपेक्षाएं की हैं..(व्यवधान) एक मिनट , उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में न तो कोई अपीलेंट कोर्ट है, आप ही निर्णय देते हैं, आपके पास ही अपील आती है। मैंने स्पष्ट अध्यक्ष द्वारा दिये निर्णय को कोट करके बता दिया कि अस्वीकृत एडजोर्नमेंट मोशन जिससे पूरे राजस्थान की आधी जनसंख्या प्रभावित है उसके बारे में दो मिनट, इतनी देर में तो वो दो मिनट बोल लेते इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें आप पुनर्विचार करें और उनको बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा है कि अध्यक्षीय निर्णय नहीं हैं मैं 1995 का एक कोटेशन दे रहा हूं जिसमें अध्यक्षीय निर्णय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्षीय निर्णय है आप सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ..(व्यवधान)..आप क्या दे रहे हो ? आप कहां से दे रहे हो ?..(व्यवधान)..

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, ये टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। 1994 में जब यह एक्ट आया था तब यह बात कही गयी थी कि ..(व्यवधान)..2001 में ओ.बी.सी. की अलग से जनसंख्या की गिनती करा के आरक्षण दिया जाएगा। आज 21% का आरक्षण है और आप उसको ..(व्यवधान)... करने का विचार रखते हैं कि नहीं ? (व्यवधान).. यह प्रावधान था। आप बोलिये न टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय शांतिलालजी चपलोत द्वारा दी गयी व्यवस्था है। (व्यवधान) "अस्वीकृत किये गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन को दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 26 अप्रेल, 1995 को श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अध्यक्ष महोदय आज प्रातः मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर उन्हें सदन में बोलने की अनुमति दी जाए।"

श्री जुबेर खान : ...(व्यवधान)...उस टाइम वो मंत्री थे और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय मुख्यमंत्री थे तब ..(व्यवधान)...सदन में यह कहा गया था 2001 में ओ.बी.सी. की जनसंख्या की अलग से करा कर..(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता : .."इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार उसी विषय पर माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए जो समस्या अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की हो तथा जिस समस्या के समाधान में सरकार की असफलता दृष्टिगोचर होती हो। प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत अध्यक्ष जिन स्थगन प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जाएगा और जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाऐंगे उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।"

यह व्यवस्था 1995 में श्री शांतिलालजी चपलोत द्वारा दी गयी है 26 अप्रैल, 1995 को।

श्री बी. डी. देवल : ..माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महारावल लक्ष्मणसिंहजी जैसे विद्वान अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है इसलिए इस पर माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए..(व्यवधान)..

श्री मोहन लाल गुप्ता : ऐसी व्यवस्था है माननीय शांतिलाल जी चपलोत बैठे हैं यहां पर।

श्री सी. डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात को नजर अन्दाज करिये। पिछडे वर्ग के हितों के लिए आप इस पर बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : विष्णु मोदीजी ने 26-4-1995 को स्थगन प्रस्ताव दिया था तब अध्यक्ष ने इनको रखने की अनुमति नहीं दी। इसलिए .. (व्यवधान).. निर्णय फाइनल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बैठिये।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस बात से आप भी सहमत हैं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति...

आसन द्वारा अस्वीकार की जा सकती है और उसमें अगर अध्यक्ष उचित समझे तो इसको कभी-कभी री कन्सीडर भी किया जा सकता है। यह नहीं कि अनुमति अस्वीकृत नहीं कर सकते। मैंने एक बार अनुमति देने में असमर्थता बता दी है। मैं इस विषय को ऐसा नहीं समझता हूं कि आपको फिर इस बारे में बोलने की स्वीकृति दी जाये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इससे ज्यादा लोक महत्व का सवाल क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, जहां 51 परसेंट जनसंख्या का सवाल हो.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अन्य पिछडा वर्ग के रिजर्वेशन का सवाल है, अधिकारों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पुनर्विचार करें (व्यवधान) यह ओ.बी.सी. के करोडों लोगों का मामला है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ओ.बी.सी. की जनगणना होने के बाद इस पर विचार किया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप सरकार को जवाब के लिये भेजिए। (व्यवधान) आप दोनों में से एक काम करें। आप हमको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। दोनों में से एक काम अगर आप करते या तो आप सरकार को जवाब के लिये भेजें, सरकार जनगणना क्यों नहीं करवा रही ओ.बी.सी. की ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सरकार को भेज दें जानकारी के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब आपने 21 प्रतिशत रिजर्वेशन ओ.बी.सी. को दे रखा है और चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग के लोगों को उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) न गुर्जर को मिलेगा, न दूसरे लोगों को मिलेगा। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन से वर्ग में आते हैं ?

श्री रामचन्द्र सराधना : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना की जा रही है कि दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछडा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। (व्यवधान) कायमखानी इसमें आते हैं, सिन्धी मुसलमान इसमें आते है, मेव आते है, हमारी भी सत्ता इस बिरादरी में आती है हम नहीं आते हो भले ही लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है। आप उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे है। आप सरकार को जवाब के लिये भेजिए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे है उन्हें कृपया बाहर करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : या तो जवाब के लिये जाये और रिजर्वेशन किया है तो हमारी बात सुनी जाये। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, आप पुनर्विचार कीजिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अकेले ही नहीं है बहुत.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 13 मेम्बर के साइन है। (व्यवधान) आप में से एक को भी चिन्ता नहीं है ओबीसी की। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछडे वर्ग के तबके का मामला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) कैसे खामोश बैठे है ? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मुख्य मंत्री जी है इसलिए नाथूसिंह जी खडे ही नहीं हो रहे। ओ.बी.सी. की राजनीति करते है और ओ.बी.सी. की बात पर खडे ही नहीं हो रहे। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : ...... (व्यवधान) बोलना तो चाहते है यह भी। ओ.बी.सी. के बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन उनका मुंह बन्द है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि दो मिनट बालने का समय दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ... (व्यवधान) टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या प्रोविजन किया था ? क्या सदन में यह नहीं कहा गया था कि 2001 की जनगणना ओ.बी.सी. की अलग से कराई जायेगी ? (व्यवधान) उस समय बिल लेकर आये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) कोई नहीं बोल रहा है, एक भी आदमी अन्य पिछडा वर्ग का हितैषी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी है मैं आपको अब अलाऊ नहीं करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार को जवाब के लिये भेज दें, उपाध्यक्ष महोदय, पुनर्विचार तो कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री उपाध्यक्ष : हम हैं, आपसे हमें ज्यादा चिन्ता है। इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, कह दिया मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री रामचन्द्र सराधना : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप बीच में क्यों बोल रहे है, मैं नहीं अलाऊ करूंगा। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, माननीय सदस्य आसन पैरों पर। (व्यवधान) अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार रखने से पहले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, कोई व्यवस्था में चेंज नहीं होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री उपाध्यक्ष : कल की बात कल देखेंगे, कल की बात पर आज निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री हेमराज चौधरी : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल नियमों में कोई बात आयेगी तो उस नियम के अनुसार निर्णय दिया जायेगा। (व्यवधान)

आज का मैटर कोई पोस्टपोण्ड थोड़े ही किया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री सांवर लाल : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिना परमीशन के क्यों बोल रहे हैं ? आप बिना मेरी स्वीकृति के क्यों बोल रहे हैं ?

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री सांवर लाल : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने विचार कर लिया, व्यवस्था दी जा चुकी है और आप इसके बीच में मत बोलिए। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री उपाध्यक्ष : वह कर लेंगे उसमें क्या दिक्कत है।

श्री रामसिंह विश्नोई : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह बात ठीक है। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब काहे के लिये बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री उपाध्यक्ष : जब चर्चा बन्द हो गई अब क्या बात है ?

श्री जुबेर खान : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री उपाध्यक्ष :.... (व्यवधान) क्या जनगणना हो चुकी पूरी, माननीय सदस्य ?

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री सांवर लाल : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये। अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव के पहले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बार-बार बिना अनुमति के बोलते हैं..(व्यवधान) बिना अनुमति के कोई बात आपके रिकार्ड पर नहीं आयेगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

श्री महीपाला सिंह यादव : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपकी बात हो गयी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री सांवर लाल : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्यगण, व्यवस्था आसन द्वारा दी जा चुकी है और इसलिये आपसे यही अनुरोध है कि आप शान्तिपूर्वक व्यवस्था बनाये रखें। माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप उसकी व्यवस्था दें। मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव 157 में सदन में दिया है और उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। एक माननीय सदस्य का जिस तरह से हुआ है, आप उस पर अनुमति दें, व्यवस्था दें। क्योंकि माननीय सदस्य हैं, इस सदन के, विशेषाधिकार का पूर्ण रूप से हनन हुआ है और हमारी विधान सभा के गेट पर हुआ है। इसलिये मैं आपसे उस पर व्यवस्था पहले चाहूंगा कि उस विशेषाधिकार हनन पर आपकी व्यवस्था हो। सहमति हो तो मैं मेरी .. (व्यवधान) अनुमति तो मांग रहा हूं, व्यवस्था मांग रहा हूं, और क्या मांग रहा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह शायद आपने सूचना अभी दस-साढ़े दस बजे दी, बताते हैं। (व्यवधान) मेरे सामने अभी आयी नहीं है। मेरे सामने अभी आयी नहीं हैं, इस बारे में आप चेम्बर में मेरे से पूछ करके, उस पर क्या व्यवस्था दी जाएगी, क्या होगा, वह बता देंगे आपको।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम् में ग्रीन कार्ड योजना शुरू करने से उत्पन्न स्थिति

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अगस्त से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ग्रीन कार्ड योजना अनिवार्य करने के बाद एक तारीख से लेकर आज तीन तारीख तक पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। राजस्थान परिवहन निगम की 60 प्रतिशत

(श्री अमराराम)

बसें नहीं चल रही हैं। पूरी की पूरी आम जनता को पिछले 3 दिनों से परेशानी भोगनी पड रही है। एक तारीख से लेकर आज तक राजस्थान की वह आम जनता जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, परिवहन निगम के माध्यम से अपनी यात्राएं करती हैं, वह स्टेण्डों पर खडी रहें, घण्टों इन्तजार करें और इन्तजार करने के बाद उन अवैध वाहनों में यात्रा करने के लिये मजबूर हों, जिनमें आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी ओर सैंकडों कण्डक्टर इस बात के लिये तैयार हैं, परिवहन निगम में उन बसों की कण्डक्टरी करने के लिये तैयार हैं, विभाग के द्वारा उनकी जबरदस्ती छुट्टी लगायी जा रही है, वह इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

परिवहन निगम को करोडों रूपये का रोज का घाटा है और सरकार इस बात की चेष्टा करने में है कि परिवहन निगम में यात्रा करने वाले यात्री उन अवैध वाहनों की तरफ शिफ्ट हो जाएं। राजस्थान का परिवहन निगम जो राजस्थान की आम जनता को परिवहन सुविधा एक व्यव्स्थित रूप से दे रहा है, वह समाप्त करने के लिये इनको मौका मिल जाए। जो घाटे में है उसको और घाटे में, ग्रीन कार्ड व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, एक अगस्त से पहले भी थी, स्वेच्छिक थी। जो भी जिस रूट पर कण्डक्टर उसको लेना चाहता था, निश्चित रूप से पहले से चल रही थी और स्वेच्छिक रही तब तक किसी को एतराज नहीं हैं, कोई भी परिवहन निगम का रूट है उस पर अगर इच्छा से उतना टार्गेट लाने के लिये वह तैयार है तो उसमें पहले से ही चल रहा है और चलता रहे, इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन एक अगस्त से अनिवार्य कर दिया कि परिवहन निगम में वही कण्डक्टर ड्यूटी करेगा जो ग्रीन कार्ड इन्होंने तय कर दिया, उतना पैसा लाकर आयेगा। उसकी विसंगतियां हैं। कई-कई रूटों में तो 5-10 हजार रूपये रोजाना कहां से लायेगा, जिस कण्डक्टर को पूरे महीने की तनख्वाह ही 5 हजार रूपये मिल रही है और 7 हजार रूपये रोजाना जमा करा देगा ? इसका नतीजा है कि आज 60 प्रतिशत बसें वैसे ही हमारे पास कम हैं, रोडवेज घाटे में है और उसकी 60 प्रतिशत बसें खडी रहें।

(श्री अमराराम)

यात्री इंतजार करते रहें और मजबूर होकर के अवैध वाहनों में शिफ्ट करने के लिये मजबूर हों और सरकार इस बात पर अडामेंट हो कि सरकार ने निर्णय कर लिया। अव्यवहारिक निर्णय कर लिया। निगम को नुकसान, राजस्थान की जनता को नुकसान और परेशानी, घाटा, तथा निश्चित रूप से यह व्यवस्था लागू रही तो सरकार की जो मन:स्थिति है, सरकार की जो इच्छा है कि राजस्थान परिवहन निगम को पूर्ण रूप से निजीकरण के रूप में कर दिया जाए। उन अवैध वाहनों, जिनसे मेरी समझ में इस नीति को, सब पेन्डरेशन, जितने भी इस निगम में मजदूर संगठन हैं, सब इस बात का विरोध का रहे हैं। इनके, सत्ता पक्ष का फैडरेशन भी विरोध कर रहा है। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार उन अवैध वाहन संचालन करने वाले लोगों से मिलकर के राजस्थान की, जो देश में सबसे सफलतम परिवहन निगम है उसको समाप्त करने के लिये जिस तरह से सरकार ने यह ग्रीन कार्ड योजना लागू करके राजस्थान की जनता और राजस्थान के उन हजारों कर्मचारियों को, उपाध्यक्ष महोदय, हालत क्या बना रखी है कि इस ग्रीन कार्ड में दिया है कि कण्डक्टर नहीं जाएगा तो ड्राइवर दिया जाएगा और ड्राइवर दो रूपये की टिकट काटेगा उसको 5 रूपये का कमीशन मिलेगा। दो रूपये की टिकट होगी और ड्राइवर को कमीशन मिलेगा 5 रूपये। क्या तुगलकी आदेश हैं ? इस तरह से एक ड्राइवर पूरे रूट में, 2 हजार इन्कम लाता है और ढाई हजार रूपये उसकी कमीशन बनता है। इस तरह के तुगलकी आदेश से मैं समझता हूं, न निगम को फायदा है, न राजस्थान की जनता को फायदा है। केवल उन यात्रियों को अवैध वाहनों की तरफ शिफ्ट करके राजस्थान के परिवहन निगम को समाप्त करने के लिये तैयारी है। इसी के विरोध में जहां 60 प्रतिशत निगम की बसें खडी हैं। आज हजारों कर्मचारी पूरे राजस्थान से विधान सभा के सामने इस बात के लिये आये हैं कि राजस्थान की रोडवेज को मुनाफे में लाने के लिये राजस्थान के 35 हजार कर्मचारी भी कार्यरत हैं। इनका जो अवैध संचालन है जिससे बडा नुकसान परिवहन निगम को है, सरकार उनको रोकने के बजाय

(श्री अमराराम)

उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। 35 हजार कर्मचारियों का भी भला इसमें है कि निगम की व्यवस्थाएं सुधरें, निगम फायदे में आये। लेकिन सरकार के इन तुगलकी आदेशों से राजस्थान के उन 35 हजार परिवहन कर्मचारियों, और राजस्थान की 5 करोड जनता में से बहुमत जनता जो उस परिवहन निगम की बसों में यात्रा करती है उनके लिये जो स्थिति खडी की है, मैं आपके माध्यम से सरकार से और सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि, बहुत से माननीय सदस्य तो शायद नहीं करें, लेकिन जो हमको चुनकर भेजते हैं वह 90 प्रतिशत लोग उसी परिवहन निगम की बसों में आते हैं। उन माननीय सदस्यों को तो नहीं होगा जो परिवहन निगम में नहीं करते, अपनी व्यक्तिगत गाडी से आते हैं और जाते हैं लेकिन परिवहन निगम नहीं होगा तो आप अन्दाज कीजिए कि जो प्राइवेट हैं, जो निजी वाहन संचालनकर्ता हैं, वह किस तरह से करेंगे और यह जनता की, राजधानी की हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से परिवहन व्यवस्था को खत्म करके निजी बस सेवा जयपुर में चलायी है, कोई भी माननीय सदस्य यदि एक दिन जयपुर की मिनी बस में ट्रेवल करके देख ले और फिर सदन में आकर कह दे कि यह व्यवस्थाएं ठीक हैं, मैं समझता हूं कि 80 प्रतिशत जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जाते हैं, इस समस्या को निश्चित रूप से, तुगलकी आदेश को परिवहन मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, वापस लें। उस असन्तोष को भी और उन यात्रियों को भी इस बात से आश्वस्त करें कि उनको परिवहन व्यवस्था के जो भी रूट हैं उन पर बसें उपलब्ध होंगी। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाइये इस पर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपको ग्रीन कार्ड एक तारीख से लागू करना था तो इससे पहले आपने यह व्यवस्था नहीं की। हमारी व्यवस्था क्या होगी ? एक तारीख को आपको लागू करना था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह काहे पर बोल रहे हैं, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में क्यों खड़ें हो जाते हैं ? माननीय सदस्य, अभी नहीं, आप बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है (व्यवधान) उसको निरस्त कर दिया और जो दो मिनट बोलने का समय दिया, उनकी कुछ भ्रांतियां हैं, जिनको मैं दूर करना चाहता हूं।

अभी आपने ही थोड़े दिनों पहले एक बात कही थी कि रोडवेज घाटे में चल रही है, उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही हैं ? उसी दिन आपने यह आरोप भी लगाया था कि यह निजी बस वालों से मिले हुए हैं और आज फिर कह रहे हैं कि निजी बस वालों को लाभ पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि आप यह दुरूस्त कर लें कि उस दिन का स्टेटमैंट ठीक था या आज का स्टेटमैंट आपका ठीक है ?

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि मैं जवाब दे रहा हूं.....(व्यवधान) वर्ड टू वर्ड जवाब दे रहा हूं, मैं एक-एक जवाब दूंगा, देखिये इसी मामले में बात आयी थी इसलिए मैंने कहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि सरकार ने जो घाटा देने की, अवैध वाहनों की, आपके मैनेजमैंट् की, उनकी आप नहीं रोक रहे हैं। जिस कर्मचारी को जो सबसे नीचे हैं, उस कर्मचारी को आप..(व्यवधान)

श्री युनूस खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, उसके बाद अगर कोई बात हो तो बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन के स्टेटमैंट पर आज भी तैयार हूं, वही स्टेटमैंट मेरा आज भी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री युनूस खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 35 हजार कर्मचारी है। मैं एक तो दुरूस्त यह कर दूं कि मेरे यहां पर 24,500 कर्मचारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए एक तो मैं यह दुरूस्त कर दूं।

आपने दूसरा कहा कि 60 परसेंट बसें खडी हैं। यह भी मैं दुरूस्त कर दूं कि अगस्त और 2 अगस्त के आंकडे मेरे पास हैं और उसके तहत कुल हमारे शिड्यूल जो 4045 थे उनमें से जो परसों जो बसें चली थी, एक तारीख को वह 3257 बसें, यानि 80.2 परसेंट बसें चलीं जो कि आपने कहा कि 60 परसेंट बसें नहीं चल रही हैं। दूसरा कल, यानि 2 अगस्त को उनमें वृद्धि होकर 4045 जो हमारे शिड्यूल थें, उसमें से 3443 बसें, यानि कि 85.6 परसेंट बसें कल चलीं। आज की रिपोर्ट मंगायी है।

मैं धोद से आने वाले माननीय सदस्य और सभी सम्माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी संगठन हैं, मेरे से वार्ता की है और अभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और एम. डी. के साथ वार्ता चल रही है और हमारे एक संगठन से जुडे हुए कुछ लोग शायद धरना, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जितनी भी विसंगतियां हैं, मैंने यह कहा कि जितनी भी विसंगतियां हैं हम पूरी उनको सुनेंगे और उनको दुरूस्त करेंगे, यह

(श्री युनूस खान)

हमारा किसी के प्रति कोई इस तरह की कोई भावना नहीं है। यह सिर्फ हमारे रोडवेज के जो परिचालक हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सरकार, मतलब रोडवेज प्लस में आये, प्लस हमारे जो कर्मचारी हैं, वह भी लाभ में रहें, इसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने टार्गेट्स दिये हैं, उसके अलावा वह जो रेवेन्यू लेकर आऐंगे, उसकी 80 परसेंट रेवेन्यू उसको दी जाएगी और उसमें 45 परसेंट (व्यवधान) एक मिनट, आप मेरी बात सुनिये, बात तो सुन लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : आप बात ही यह कह रहे हो, प्रेसर तो है ही उसमें। (व्यवधान) मंत्री महोदय, यह जो आप गाडियां बता रहे हो उसमें 80 परसेंट, उसमें कण्डक्टर कितने हैं, यह बता दो ?

श्री युनूस खान : मेरी बात तो सुन लीजिए आप।

श्री अमराराम (धोद) : आप ड्राइवर के आधार पर भेज रहे हो।

श्री युनूस खान : आप विराजिये। वही मैं आ रहा हूं, बात तो पूरी सुनिये जब ही तो जवाब आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : और जब इतनी उनके फायदे की है तो क्यों नहीं जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री युनूस खान : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप पहले बात तो सुनिये, जब ही तो जवाब आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : सात हजार कण्डक्टर्स हैं, उनमें से कितने की आपने छुट्टी लगायी है तीन दिन में ? यह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आप तो केवल इतना ही बता दीजिए कि सात हजार कण्डक्टर्स हैं उनमें से कितने की आपने छुट्टी लगायी है तीन दिन में, यह बता दो ? गाडी आप ड्राइवर और मिस्त्री से चला रहे हो।

श्री युनूस खान : आप विराजिये, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। बात बता रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, इससे अगर सुधार होता है तो अच्छी बात है।

श्री युनूस खान : एक मिनट, मैं आपसे निवेदन कर दूं। मैं आपसे यह फिर से निवेदन कर दूं कि आपने फिर सात हजार कंडक्टर बताये हैं, हमारे यहां पर 5591 कण्डक्टर्स हैं। 5591 कण्डक्टर्स है और आपने सात हजार बताये हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप ठेकेदार भी जोड लीजिए, जो आपने आन कांट्रेक्ट पर ठेकेदार लगा रखे हैं वह भी जोड लीजिए, सात हजार हैं।

श्री युनूस खान : हां, वह आ रहा हूं। मेरी बात तो सुनिये आप। आप अमरारामजी, सुनने का भी रखो, बोलने ही बोलने का ही रखते हो, सुनो भी बात को। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहस नहीं हो सकती साहब, इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। अपने आप बैठ जाएंगे यह।

श्री युनूस खान : मैं आपसे यह निवेदन करूं कि उसमें से 2581 कण्डक्टर्स ने कल शाम तक ग्रीन कार्ड ले लिये थे, यानि 50 परसेंट लोगों ने ले लिये और मैं यह पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि यह हमारी प्रोत्साहन स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स को हमने रोडवेज को प्लस में लाने के लिए की है, इसमें कर्मचारियों का भी हित है, जनता का भी हित है, सरकार का भी हित है इसलिए मेरा निवेदन है और मैंने उनसे कहा है और अभी तीन बजे हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हमारे रोडवेज के चेयरमैन और एम. डी. और मेरी मीटिंग है और उसके बाद में कल हमारे से प्रतिनिधि मण्डल मिलेगा, जितनी भी विसंगतियां हैं, जो भी कर्मचारियों को यह लगता है कि यह इसमें विसंगतियां हैं, हमारी सरकार का बिलकुल ओपन है कि वे आये और हमारे को बताये कि

(श्री युनूस खान)

इस रूट पर यह विसंगती है और यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यह हमारे टार्गेट ज्यादा है, उसको भी हम निश्चित रूप से कम करेंगे। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि रोडवेज को अगर प्लस में लाना है तो यह एक मात्र योजना बची है जिसके माध्यम से हम रोडवेज को प्लस में ला सकते हैं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और जनता को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होने दी जाएगी।

मेरा दूसरा, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसी हाउस में मैंने एक घोषणा की थी उसके तहत सब जगह वायरलैस, फैक्स और सारे जिला कलक्टर्स और एस. पी. को भेज दिया है, कल से हमारा अभियान, परसों सुबह से अभियान चल जाएगा, उसकी पूरी तैयारी है। जितने भी अवैध रूप से वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और सारे जो भी संगठन हमारे पास विसंगतियां लेकर आएंगे उनको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, सरकार की यही मंशा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आ रहा है। आपका नम्बर आ रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले 295 है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों की तादाद में बहनें आज राजस्थान की विधान सभा में प्रदर्शन कर रही हैं। आप अभियान चला रहे हैं कि..(व्यवधान)..राजस्थान सरकार ने शराब के कारखानें खोलने की जो अनुमति दी है उसके वियोग में हजारों की तादाद में बहनें यहां विधान सभा में प्रदर्शन कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मिलने के लिए बुलाइये और उनसे सरकार बात करे कि यह जो जन विरोधी फैसला है, राजस्थान की सरकार ने किया है..(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बता रहे हो यह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री दाताराम गुर्जर : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं बीच में ?

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य आसन के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कहते तो आपको समय दे देते।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : कोई डेपुटेशन अगर समय मांगेगा तो मिलने के लिए सरकार तैयार है, आप इसमें चिन्ता क्यों कर रहे हैं बीच में और परमीशन के बिना क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सांगसिंह भाटी : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : x x x

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य इस प्रकार से बात करें, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों के अनुसार अपनी बात बोलिये तो मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई पाइंट आफ इन्फोरमेशन नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, आसन पैरों पर, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक कोई प्रश्न उठायेंगे तो आपको अवश्य मौका दिया जायेगा। 295 की पर्ची के माध्यम से मैंने नाम पुकार लिया है तो आप बीच के अन्दर बिना परमीशन से क्यों इस तरह से उठ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री रघुवीर सिंह मीणा : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री दाताराम गुर्जर : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री दाताराम गुर्जर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बालिका फाउण्डेशन के तहत राज्य में चालू किये गये छात्रावासों को सहायता राशि

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि जुलाई, 1998 में बालिका फाउण्डेशन के तहत राजस्थान में बालिका छात्रावास चालू किये गये थे। अब वर्तमान में कितने चालू हैं और चालू छात्रावासों में फाउण्डेशन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

फाउण्डेशन को सहायतार्थ से भी काफी पैसा मिलता है लेकिन छात्रावासों में पानी-बिजली का जो खर्चा फाउण्डेशन द्वारा दिया जाना चाहिये, वो भी नहीं दिया जा रहा है एवं गार्ड व वार्डन का वेतन भी फाउण्डेशन द्वारा न दिया जाकर छात्राओं द्वारा वसूल किया जाता है। ये नियम विरूद्ध है। कृपया इसकी जांच करवाई जाकर बालिका फाउण्डेशन द्वारा पानी बिजली, गार्ड एवं वार्डन का वेतन दिलवाया जावे ताकि छात्रावास में रहने वाली अध्ययनरत बालिकाओं पर अनावश्यक भार न पड़े और वे अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रख सकें।

अतः मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि उक्त समस्या का महत्व समझते हुए इस पर शीघ्र कार्यवाही कर बालिकाओं का भविष्य उज्जवल बनायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. ओ.पी. महेन्द्रा।

केसरीसिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने बाबत

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत केसरीसिंहपुर विधान

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

सभा क्षेत्र के मुख्यालय केसरीसिंहपुर में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. (रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

केसरीसिंहपुर विधान सभा के मुख्यालय केसरीसिंहपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) स्थित है, जो केसरीसिंहपुर व इसके आस पास की 251 ग्राम पंचायतों का एकमात्र स्वास्थ्य केन्द्र है। जहां आधुनिक स्वासथ्य सुविधाओं का नितान्त अभाव है। इस स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत लगभग 50-55 हजार की जनसंख्या आती है। केवल केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें ही नहीं, बल्कि करणपुर विधान सभा क्षेत्र की अनेक पंचायतें भी इस स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण हजारों की संख्या में गरीब, वृद्ध, असहाय, दलित लोगों को 35 से 40 कि.मी. दूर जिला मुख्यालय पर जाना पडता है, जो उनके साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि शीघ्रताशीघ्र केसरीसिंहपुर का पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कर क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल निवाई।

निवाई की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

श्री हीरालाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में विद्युत विभाग द्वारा आम विद्युत उपभोक्ताओं, कृषक एवं अन्य सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निवारण त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है। जैसे ओवर हैड एल.टी. लाइनें शिफ्ट नहीं करना, ढीले झूलते हुए तारों को नहीं कसना, माडा योजना में चयनित गांवों में विद्युतीकरण

(श्री हीरालाल)

नहीं करना, जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर शीघ्र पूर्व निर्धारित समय सीमा में नहीं बदलना, मनमानी राशि का डिमाण्ड नोटिस भिजवाना, नये कनेक्शन जारी करने में अनावश्यक देरी, जान-बूझकर करना, चाहे जिसके अनावश्यक रूप से बिजिलेंस भेजकर दण्ड राशि वसूल करना आदि-समस्याओं से निवाई का विद्युत उपभोक्ता एवं प्रस्तावित उपभोक्ता पीडित है। निवाई शहर के वार्ड नं. 14 एव वार्ड नं. 5 ग्रामीण क्षेत्र नोहटा एवं किवाड पंचायत खिड़की में आवासीय मकानों के ऊपर से ओवर हैड विद्युत एल.टी. लाइन व बडी हाई वोल्टेज की लाइनें गुजर रही हैं जिनसें कभी भी जानमाल की बड़ी हानि हो सकती है। इस बाबत सम्बन्धित विद्युत कार्यालय को कई बार अवगत करा दिया गया है। लेकिन आज भी लाइनें बरकरार है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद 15 से 20 दिनों तक जनता को अन्धेरे में रहना पडता है। सिंचाई कार्य पूर्णतः ठप्प हो जाता है। पीडित उपभोक्ताओं एवं जन प्रतिनिधि के बार-बार कहने पर भी ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 72 घण्टे में नहीं बदला जाता है। जब बदला जाता है तो स्वयं उपभोक्ताओं से ही साधन मंगवाया जाता है। उतारने-चढाने की जिम्मेदारी भी उपभोक्ता पर ही लादी जाती है। ग्राम सींदडा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य माडा चयनित गांव आज भी विद्युतीकरण से वंचित है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को अव्वल तो कनेक्शन दिया ही नहीं जाता है तो बडी राशि के डिमाण्ड नोटिस राशि रूपये 30 हजार से 35 हजार रूपये तक के भिजवाये जाते हैं जो वाजिब नहीं होते। इन्हें जमा कराने में आवेदक असमर्थ रहता है। घूम-फिरकर सम्बन्धित ए.ईएन., जे.ईएन. द्वारा रिश्वत मांगी जाती है तब कहीं जाकर एस्टीमेट/डिमाण्ड राशि पुनः रिवाइज की जाती है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के विद्युत उपभोक्ताओं, नवीन आवेदकों की उक्त वर्णित समस्याओं का शीघ्र ठोस समाधान किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। डां. चन्द्रशेखर बैद।

गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनावश्यक एल.डी. फिल्म करने बाबत

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल में 75 लाख की एल.डी. फिल्म की अनावश्यक खरीद के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर रहा हूं।

राज्य के वितीय प्रबन्धन का जिम्मा संभाले वित्त विभाग के आला अफसर खुद ही सरकारी खजाने में सेंधमारी करवा रहे हैं। इसकी बानगी है गंगानगर शुगर मिल में पाऊच बनाने के काम आने वाली एल.डी. फिल्म की करीब 71 लाख रूपये की अनावश्यक खरीद। 91 टन एल.डी. फिल्म की इस खरीद के लिये मार्च के पहले सप्ताह में उस स्थिति में आर्डर दिया गया, जबकि एक अप्रैल से पाऊच की जगह सिर्फ कांच की बोतलों में ही देशी मदिरा बेचने का निर्णय हो चुका था। उस समय भी स्टाक में इतनी एल.डी. फिल्म थी कि किसी कारणवश नई व्यवस्था विफल हो जाती है तो पूरे अप्रैल में देशी मदिरा के पाऊच भरे जा सकते थे खास बात यह है कि यह खरीद गंगानगर शुगर मिल के निदेशक का प्रभार सम्भाले वित्त सचिव के अनुमोदन से हुई। जब आलम यह है कि करीब 170 टन एल.डी. फिल्म मिल के गोदामों में कबाड के रूप में पडी है। आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति में पाऊच के स्थान पर कांच की बोतलों में मदिरा बेचे जाने के निर्णय की जानकारी नवम्बर, 2003 में गंगानगर शुगर मिल को दे दी थी। मिल को कहा गया कि 31 मार्च, 2004 को पाऊच बनाने बन्द कर दिये जाएं और एक अप्रैल से बोतल में देशी मदिरा भरी जाए। इसके लिए बाटलिंग प्लांट लगा लिये जाएं। विभाग ने गंगानगर शुगर मिल को जनवरी, 2004 से ही पाऊचों की संख्या में कमी कर बोतलों का प्रयोग करने के निर्देश दिये थे। योजना यह थी कि एक अप्रैल तक पाऊचों का प्रयोग बिलकुल बन्द कर दिया जाए।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सरकार के इस निर्णय की जानकारी होते हुए भी गंगानगर शुगर मिल प्रबन्धन ने 8 मार्च, 2004 को मुम्बई की तिरूपति प्लेक्सोपैक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से करीब 75 लाख रूपये की 90 टन एल.डी. फिल्म खरीदने के आदेश जारी कर दिये। उस समय स्टाक में लगभग 144 टन एल.डी. फिल्म थी और आदेश जारी होने के बाद सिर्फ 22 दिन ही पाऊच बनाये जाने थे। पाऊच बन्द होने की जानकारी तिरूपति एण्टरप्राइजेज को भी थी और उसने झटपट माल की आपूर्ति कर दी। दस दिन में ही अधिकतर माल भेज दिया गया। गंगानगर शुगर मिल ने भुगतान भी कर दिया। मान जा रहा है कि अफसरों ने सम्बन्धित फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए गैर जरूरी ख़रीद की, जिसकी मार सरकारी खजाने पर पडी।

अत: आपके माध्यम से मैं यह सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि अकाल से जूझ रही जनता का पैसा इस प्रकार बर्बाद होने से रोका जाए एवं इस प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापकों का चयन

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापकों के चयन पर होने वाली स्थिति पर विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 3 जून, 2004 को दैनिक भास्कर में एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 25712 अध्यापकों का चयन होना है। ये अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती का यह फैसला अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए अभिशाप सिद्ध होगा क्योंकि

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

प्रतियोगी परीक्षा से आदिवासी क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थी अन्य क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष टिक नहीं पायेंगे तथा उनके मन में हीनता की भावना पनपेगी। इससे उपयोजना क्षेत्र में बेरोजगारी एवं अराजकता बढेगी, राजकीय सेवा में कोई अवसर नहीं मिलने की सम्भावना रहेगी।

श्रीमान्, जनजाति उपयोजना (अनुसूचित क्षेत्र) में सभी विभागों के वेतनमान एक से 6 एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेबक/ग्रुप सचिव (वेतनमान-7), शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला-9) पी.टी.आई. ग्रेड-तृतीय, आयुर्वेद विभाग के कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला-9) की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 परसेंट रिक्तियां अनुसूचित जनजाति एवं 5 परसेंट रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। यह प्रावधान पूर्व से लागू है। इस व्यवस्था का क्या होगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र पारीक।

जयपुर शहर में अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम में शिकायतें

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में गत छः माह से मकानों के पानी की निकासी के लिए अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज वाटर सिस्टम के द्वारा सीवरेज लाइन से जोडे जाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा ए.डी.बी. के सहयोग से कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए आर.यू.आई.डी.पी. का गठन किया तथा इस कार्य को पूर्ण कराने तथा इसकी मानीटरिंग का कार्य इसे सौंपा गया है। इस परियोजना का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है।

जयपुर शहर में ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यो की भारी शिकायतें

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

प्राप्त हुई हैं, इस कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गयी है। इस कार्य में मकानों के नालों में लगाये गये प्लास्टिक के पाइप को लगाने के लिए सीमेन्ट का प्रयोग ही नहीं किया गया जिसके कारण कई स्थानों पर ये प्लास्टिक के पाइप हवा में झूलते आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मकान के अन्दर नालों में लोहे की जालियां लगायी गयी हैं, उनको सही तरीके से नहीं लगाया गया तथा गली में मकान के नाले के नीचे जो चीनी मिट्टी का मैन होल है, जिससे मकान के नालों को जोडा गया है वो भी सही तरीके से फिटिंग नहीं की गयी है जिसके कारण मकान का पानी पूरी तरह से बाहर नहीं जाता और मकान के अन्दर पानी वापस आ जाता है।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा मकान मालिक की अनुमति लिये बिना ही उनकी निजी सीवरेज लाइन को तोडकर नयी सीवरेज लाइन डाली गयी, उससे गली के सभी मकानों के सीवरेज कनेक्शन एक ही सीवरेज लाइन से जोड दिये गये लेकिन गली के बाहर सडक से पुरानी मुख्य सीवरेज लाइन को नहीं हटाया गया, वो सीवरेज लाइन का पाइप छोटा है, इसमें होकर गली के सारे मकानों की सीवरेज की निकासी इससे होगी जिसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में सीवरेज लाइन रूकेगी और खजाने वालों के रास्ते की तरह यहां भी बार-बार सीवरेज लाइन रूकेगी और गन्दा पानी सडकों पर फैलेगा। अतः शहर में गली की तरह ही सड़क से मैन होल तक की सीवरेज लाइनों के बड़े पाइप लगाये जायें जिससे सीवरेज लाइन नहीं रूकेगी।

इस तरह की कई शिकायतें आर.यू.आई.डी.पी. को की गयी हैं। छोटी-मोटी निर्माण सम्बन्धी शिकायतें तो ठेकेदारों द्वारा कार्यवाही की गयी है, विभाग वीडियोग्राफी भी करवा रहा है किन्तु सडक पर सीवरेज लाइन के पुराने छोटे पाइपों के स्थान पर बडे पाइप नहीं बदले गये तथा कई ठेकेदार तो कार्य बीच में ही छोड गये अतः जिन ठेकेदारों ने अपना कार्य बीच में ही छोड दिया ऐसे सभी ठेकेदारों का भुगतान रोका जाना चाहिए तथा उनकी जमानत राशि भी जब्त की जानी चाहिए तथा सडक से मेन होल तक सीवरेज लाइन का यह

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

कार्य भी इस परियोजना के अन्तर्गत ही शीघ्र कराया जाए तथा आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा यह कार्य पूर्ण करने के पश्चात् उपरोक्त के रख-रखाव का कार्य किस संस्था द्वारा किया जायेगा एवं इस कार्य की जिम्मेदारी किसकी होगी, इससे भी अवगत कराया जाय।

इसके अतिरिक्त जयपुर शहर के वार्ड संख्या 43 व 59 में अभी तक अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज वाटर सिस्टम का कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया है। जयपुर शहर के इन वार्डो में यह कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? यदि इन वार्डो में यह कार्य नहीं कराया जाता है तो फिर इस परियोजना का क्या औचित्य रह जायेगा ?

अतः, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा दिलाना चाहता हूं कि इन जन शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित को लिखित में सूचना दी जाय तथा जिन वार्डो में अण्डर ग्राउण्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य इस परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ नहीं किया गया है, वहां भी शीघ्र ही यह कार्य कराया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता।

जयपुर शहर में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करना

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में सस्ती व सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, शहरी परिवहन व्यवस्था काफी महंगी होने तथा समय पर त्वरित गति से चलने वाले वाहन उपलब्ध नहीं होने से शहर के परकोटे में पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है साथ ही मिनी बसों से यात्रा करने में मिनटों की जगह घन्टे लग जाते हैं। राजधानी में परिवहन के मुख्य साधन रोडवेज की सिटी बस, मिनी बस, आटो व रिक्शा है। आटों व रिक्शा महंगें होने के कारण आम लोग इनका प्रयोग कम ही करते है। उदाहरण के तौर पर भांकरोटा से मालवीय नगर की दूरी 28 किलोमीटर है, इस यात्रा में ढाई घन्टे लगते है जबकि निजी वाहन से 45 मिनट लगते है। इसके मध्य 22 स्टैण्ड निर्धारित है जबकि मिनी बसें 50 से अधिक जगह रूकती है।

इसी प्रकार दादी का फाटक से सीतापुरा की दूरी लगभग 43.5 किलोमीटर है तथा इस यात्रा में लगभग साढे तीन घन्टे लगते है जबकि निजी वाहन से यह दूरी एक घन्टे में तय की जाती है। इसके बीच में 30 स्टैण्ड निर्धारित है जबकि मिनी बसें 60 से अधिक जगह रूकती है। हालत यह है कि मिनी बसों को जहां भी किसी सवारी ने हाथ दिया बस को रोक दिया जाता है या कहीं सवारी भागती दिखाई दे तो रोक लिया जाता है। रोडवेज की सिटी बसों की संख्या काफी कम है, इसके अतिरिक्त मिनी बसों के चालक सवारियों से अभद्र व्यवहार करते रहते हैं।

इसके लिए मैं परिवहन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली, मुम्बई में जो दिल्ली परिवहन निगम की एक्सप्रेस सिटी बसों के अनुरूप राजस्थान रोडवेज की बसें चलायी जाए तथा उनकी वर्तमान संख्या बढाकर दुगुनी की जाए जिससे लोगों को सस्ता और समय पर त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा प्राप्त होगी। जिससे शहर के लोग अपने निजी वाहनों का उपयोग स्वतः ही बन्द कर सकेंगे और इस स्थिति से शहर में अतिरिक्त पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगा।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में आवागमन के त्वरित साधन हेतु पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मैट्रो रेल चलाया जाना प्रस्तावित था और इस परियोजना के लिए लाखों रूपये व्यय भी किये गये लेकिन यह परियोजना अब ठण्डे बस्ते में डाल दी गयी है जिस पर अविलम्ब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा परिवहन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जयपुर शहर में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

सांगोद तहसील में सैटलमैंट में कमियां

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि दीगोद विधान सभा की सांगोद तहसील में हाल ही के वर्षों में किए गए सैटलमैंट में व्यापक कमियों के कारण किसानों को भारी परेशानी व अदालत के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। गलतियां तो सैटलमैंट विभाग के कर्मचारियों ने की है व इसको भुगत रहा है गरीब किसान। कृषकों द्वारा इस सम्बन्ध में सांगोद समस्या समाधान शिविरों में शिकायत करने पर प्रशासन द्वारा उनको सुझाव दिया गया कि वह अदालत में कार्यवाही करें। यह व्यवस्था छोटे व गरीब किसान को बर्बाद कर देगी।

सदन के माध्यम से मेरी राज्य सरकार से मांग है कि तहसील सांगोद के ग्राम रोलाना में किए गए सैटलमैंट की प्रशासनिक स्तर पर गांव में जाकर जांच करवाई जाए। इसे एक टैस्ट केस के रूप में देखा जाए व यदि शिकायतें सही पाई गई तो सैटलमैंट की व्यवस्था को निरस्त करके पुनः यह कार्य करवाया जाए। आवश्यकता तो यह है कि बाद जांच दोषी कर्मचारियों के

(श्री भरत सिंह)

खिलाफ कार्यवाही हो व समूचे तहसील स्तर के सैटलमैंट की सैम्पल जांच हो व व्यापक शिकायतें होने पर समूचा कार्य दुबारा करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 186/04 में कार्यवाही कर दोषियों को सजा दिलाने बाबत

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका जहाजपुर वार्ड सं. 20 के श्री शैतान सिंह पुत्र बद्रीलाल मीणा को मारकर लाश जहाजपुर बारी के दरवाजे के बाहर बावडी में डालने का सनसनीखेज मामला हुआ। मृतक शैतान सिंह मीणा बावडी मालिक श्री परमेश्वर सर्राफ के यहां डाली (बन्धुआ मजदूर) के रूप में काम कर रहा था। शव को बावडी मालिक एवं उनके अन्य आदमी ने बिना पुलिस एवं परिवारजनों को सूचित किए लाश को बाहर निकाल दिया। उसके पश्चात परमेश्वर का लडका रामेन्द्र एवं अन्य हाली भील जीप लेकर नगर पालिका के वार्ड सं. 20 मृतक के पिता बद्रीलाल के घर गया और कहा कि तुम्हारा लडका आमली पर से गिर गया है इस पर मृतक के पिता श्री बद्री मीणा एवं उसका भाई जीप में बैठकर आया जिन्हें घटना स्थल से कुछ दूर रोड पर उतार दिया एवं जीप को नौ चौक में ले गए एवं रामेन्द्र ने उनसे कहा कि तुम्हारे लडके को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है। इस पर मृतक के घर वाले चिकित्सालय गए तो वहां पर कोई नहीं मिला इस पर मृतक के घर वाले बस स्टैण्ड पर स्थित परमेश्वर सर्राफ की दुकान पर आए तो भी रामेन्द्र एवं राजेश ने सन्तोषप्रद सूचना न देकर उन्हें भ्रमित किया तत्पश्चात मृतक के परिवार की अन्य औरतें भी आ गई। सभी लोग परमेश्वर सर्राफ के घर पर गए तो परमेश्वर सर्राफ की पत्नी ने उन्हें बताया कि शैतान सिंह गेहूं पिसाने गया है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

इसी बीच में पता लगा कि मृतक शैतान सिंह की लाश बावडी के बाहर पडी है। इस प्रकरण में पुलिस ने मृग 174 दिनांक 18-6-2004 दर्ज किया। लाश का पोस्टमार्टम करवा कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। दाह संस्कार में यह तथ्य भी सामने आया कि श्री परमेश्वर सर्राफ को संदिग्ध अवस्था में महिला के साथ मृतक द्वारा देख लिया गया था। श्रीमान् परमेश्वर का चरित्र संदेहास्पद है एवं अनेक बार इस तरह की घटनाएं हुई एवं धन बल के आधार पर उन पर पर्दा डाल दिया गया। दाह संस्कार के उपरान्त दूसरे दिन हत्या सम्बन्धी मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट मृतक के परिजनों द्वारा की गई जिस पर पुलिस प्रशासन ने अपराधी के धन बल के प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया एवं उनको थाने से भगा दिया गया।

मजबूर होकर प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण लेकर दिनांक 22-3-2004 को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जिस पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए फिर पुलिस थाना जहाजपुर ने मुकदमा सं. 186/04 दर्ज हुआ। किन्तु अभी तक भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक परमेश्वर सर्राफ के यहां सात बन्धुआ मजदूर इसी तरह मर चुके हैं किन्तु धन बल के प्रभाव से एक भी घटना का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसी प्रकार नारकोटिक्स अधिनियम के तहत आज भी पुलिस द्वारा थाना पण्डेर में प्रकरण विचाराधीन है किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। औरतों से व्यभिचार के भी कई मामले सामने आए किन्तु धन बल के प्रभाव से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया हैं। इसी प्रकार गरीबों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की जमीनें हडपने के भी मुकदमें दर्ज किये गये किन्तु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार इसका आदतन अपराधी होते हुए भी धन बल के जरिए कार्यवाही नहीं होती हैं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मुकदमा 186/04 थाना जहाजपुर में कार्यवाही कर दोषियों को सजा दिलाने का कष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुकदमा शाहपुरा को दे दिया है फिर भी अगर आपको लगता है कि वहां भी आपको कोई सन्देह है तो आप जिससे कहेंगे उससे जांच चेंज कराकर के निश्चित रूप से इसमें जो सत्यता होगी उसको बाहर लाने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

अलवर-तिजारा रोड से भिवाड़ी हाई-वे तक टोल टैक्स लागू करने से उत्पन्न स्थिति

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में अलवर तिजारा रोड से भिवाडी हाई-वे तक टोल टैक्स लागू करने से उत्पन्न स्थिति के बारें में विशेष उल्लेख की सूचना-नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि अलवर शहर से भिवाडी के लिए एक मात्र रास्ता हाई-वे अलवर, किशनगढ, बास, तिजारा, टपूकडा, भिवाडी वर्षों से कार्यरत रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इसी रोड पर भिवाडी महावर जी हाई-वे बना दिया गया। अब इस रोड पर भिवाडी, तिजारा व अलवर शहर से कुछ पहले टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है। भिवाडी क्षेत्र के नागरिकों के लिए तहसील तिजारा मुख्यालय, तिजारा व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मुख्यालय तिजारा पंचायत समिति मुख्यालय तिजारा व विभिन्न न्यायालयों का स्थान तिजारा होने से स्थानीय नागरिकों का उत्यावश्य रूप से आवागमन बना रहता है। उनके वाहनों को भी टोल टैक्स देना होता है। जबकि कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं हैं जो पुराना मार्ग था उसके स्थान पर उक्त हाई-वे का निर्माण हुआ है। स्थानीय नागारिकों, वकीलों, कर्मचारियों को न्यायालयों में सरकारी कार्य व रोजमर्रा के कार्यों में भी भारी-बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः उक्त हाई-वे के उक्त टजेल टैक्स वसूली स्थानों पर स्थानीय नागरिकों को मतदाता परिचय पत्र या राशन कार्ड या स्थानीय पते पर ड्राइविंग लाइसैंस या अन्य उचित पहचान पत्र बाबत स्थानीय नागरिक होने का दिखाये

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

जाने पर इन्हें छूट दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएं। साथ ही पडौसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर कामर्शियल वाहनों पर भी टोल टैक्स लिया जाकर निजी वाहनों को पूर्ण रूप से छूट दी जाने के आदेश दिए जाकर स्थानीय जनता को भारी परेशानी से निजात दिलाने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएं। धन्यवाद।

श्रीमती उपाध्यक्ष : श्रीमती स्नेहलता।

डग (झालावाड़) में रोजगार संकट

श्रीमती स्नेहलता (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

विधान सभा क्षेत्र डग जिला झालावाड के ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर बेरोजगारी है और गरीब तबके के लोग रहते हैं। उक्त लोगों के पास पर्याप्त कृषि भमि नहीं होने के कारण रोजगार का संकट है।

गंगानगर तहसील में कालीसिंध एवं सिपरा के मध्य में काफी भूमि पडी हुई है जहां उद्योग लग सकते हैं। कुछ समय पहले बांगड समूह द्वारा इस जमीन पर उद्योग के लिए सर्वे करवाया था। यदि इस जमीन के लिए सरकार बांगड समूह से सम्पर्क कर सीमेन्ट फैक्ट्री लगवा दे तो उक्त क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा छोटे-छोटे उद्योग वहां लगाये जाएं तो वहां की महिलाओं को भी रोजगार मिल जाएगा। उक्त क्षेत्र में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग खोले जाएं तथा सन्तरे की खेती होती है वहां पर ज्यूस प्लाण्ट भी लग सकता है जिससे भी कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

अतः माननीय उद्योग मंत्रीजी उक्त क्षेत्र में रोजगार हेतु कुटीर उद्योग लगाने व सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु भी बांगड समूह से सम्पर्क कर रोजगार उपलब्ध कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल।

परिवहन विभाग में फैल रहा भ्रष्टाचार

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रक ड्राइवरों को परेशान करने के क्रम में मैंने पर्ची के माध्यम से दिनांक 30-7-2004 को इस सदन का एवं परिवहन मंत्रीजी का ध्यान विभाग में फैले भ्रष्टाचार व इंस्पेक्टर राज की तरफ दिलाया था। उम्मीद थी कि परिवहन मंत्री ध्यान देंगे और कुछ हद तक परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर व भ्रष्ट कर्मचारी अपनी गतिविधियों को सीमित करेंगे।

पर उपाध्यक्ष महोदय, कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिवहन विभाग के अधिकारी पूर्व की तरह अपनी भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न हैं और माल ढोने वाले ट्रकों को भारी परेशान कर अपनी गैर कानूनी वसूली कर रहे हैं। मैंने दो दिन पहले। अगस्त, 2004 को रात 12 बजे इतवार को जवाहर सर्किल के पास एंटरटेनमेंट पार्क के मोड पर, टोंक रोड, जयपुर में खुद देखा है एक इंस्पेक्टर को जो अपनी जीप व साथियों के साथ माल ढोने वाले ट्रकों को चैक कर रहा था। एक लम्बी लाइन ट्रकों की खडी थी। उसके लठमारी कर्मचारी ट्रकों को रोककर ड्राइवर को उसकी जीप पर भेज रहे थे, वह चौथ वसूली कर रहा था। इतवार को रात करीब साढे ग्यारह या बारह बजे। अगस्त, 2004 को उसका धन्धा चल रहा था।

आदरणीय, रात 12 बजे इतवार के दिन चैंकिग करने के इस व्यवहार से ही इस बात की पुष्टि होती है कि वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त था। अभी देश में इतने कर्मठ, कर्तव्य परायण कर्मचारी नहीं जो इतवार, छुट्टी के दिन रात 12 बजे सरकारी राजस्व की वसूली में संलग्न हो। वैसे ही डीजल व पैट्रोल के दाम दिन-प्रतिदिन बढते जा रहे हैं। माल ढोने वाले ट्रक मालिक व ड्राइवर इस मंहगाई से त्रस्त हैं। राज-दिन घर-बार छोडकर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों से सहानुभूति रखने के बजाय जिस तरह से यह परिवहन विभाग के अधिकारी व

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

कर्मचारी वसूली कर रहे हैं। इससे आये दिन झगडे हो रहे हैं। आखिर हर बात की सीमा होती है। अभी हाल में 3-4 दिन पहले राजस्थान पत्रिका अखबार में एक समाचार आया था कि जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर चन्दबाजी के पास ट्रकों ने परिवहन विभाग की ज्यादती के कारण चक्का जाम किया। अभी हाल में ही ट्रक आपरेटर्स यूनियन, जयपुर के अध्यक्ष बृजभूषण सेठी ने नोटिस दिया है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की ज़्यादती के कारण विवश होकर ट्रकों को चक्का जाम करना पडेगा।

मेरा निवेदन है कि इस सब्र का बांध टूटने से पहले, कानून व्यवस्था भंग होने से पहले सरकार को जागना होगा और परिवहन विभाग के इन इंस्पेक्टरों की गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए यह तो कहना ही होगा कि रात के 12 बजे या सवेरे 4 बजे आफिस आवर्स के बाद ट्रक ड्राइवरों को परेशान नहीं करें और चैकिंग का एक समय निर्धारित समय तय करें।

यदि राज्य सरकार गोल्डन परमिट व्यवस्था फिर से चालू कर देती है तो मेरा सोचना है कि परिवहन विभाग के इन भ्रष्ट इंस्पेक्टरों पर रोक लग जायेगी, क्योंकि फिर यह लोग गोल्डन परमिटधारी ट्रकों को चैक करने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इससे सरकार को भी भारी टैक्स पेटे आमदनी होगी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।

आदरणीय, मैंने सुना है कि आने वाली 5 अगस्त से 10 अगस्त तक परिवहन विभाग गैर-कानूनी तौर पर चलने वाली बसों व जीपों को चैक करने का अभियान चालू करने जा रहा है। इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार की चैकिंग होगी। आप पहले से ही प्रचार-प्रसार कर गैर-कानूनी तौर से सडक पर चलने वाली जीपों, बसों व वाहनों को सावधान कर रहे है, ताकि चैकिंग के दिनों में वे वाहन न चलायें। यह कैसी चैकिंग होगी मेरी समझ के बाहर है। यह तो उसी प्रकार की चैकिंग या रेड होगी जिस प्रकार की इनकम टैक्स वाले पहले ही कह दें कि सेठजी सावधान कल हम आपके यहां चैकिंग करने या रैड देने आने वाले हैं।

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

अत: मेरा परिवहन विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने विभाग को व्यवहारिक बनायें, आकस्मिक चैकिंग करें तथा माल ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों के प्रति जो रात दिन जागकर अपने घरों से दूर ट्रक चलाते हैं, सम्वेदनशील बनें व उनसे मानवीय भ्रष्टाचार रहित व्यवहार करें। धन्यवाद।.. (व्यवधान) सडनली चैकिंग करें, कहकर क्या करेंगे आप। वह तो बन्द हो जायेंगे रोज करना ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री खुशवीर सिंह, वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि कल ही मैंने समाचार पत्र में पढा है कि उप जिला कलक्टर, तहसीलदार जंगलों में पहुंचे। नाहरगढ रेंज जो बारां जिले में आता है उसके अन्दर अवैध जंगलों की कटाई की गयी। वन विभाग की मिलीभगत से चार सौ बीघा जमीन के अन्दर जंगल काट दिये गये और वहां मक्के की बुवाई की गयी है। वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर यह जंगल कटवाये हैं और एक भी अधिकारी ने इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। जिला कलक्टर ने कार्यवाही करवाकर तहसीलदार को मौके पर भेजा। तहसीलदार ने कार्यवाही कर रिपोर्ट दर्ज की है। वन विभाग के अधिकारी सो रहे थे क्योंकि उनकी मिलीभगत से ही वहां यह जंगल कटा है। इससे पूर्व भी मैं सदन में दो-तीन बार कह चुका हूं कि वन विभाग के यह जो सफेद हाथी हैं, वह बडे-बडे अधिकारी बैठे हैं। यह अपने ए.सी. रूम छोडकर कभी बाहर नहीं आते और जहां जंगल की अवैध कटाई होती है उसमें शेयर जरूर ले लेते हैं। तो मेरा आपसे ...(व्यवधान) यह सफेद हाथी होते हैं। यह पूरे

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

राजस्थान के लिये दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात है। वन विभाग के मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं।

हाल ही में मैंने एक तारांकित प्रश्न में पूछा और उसमें यह जवाब दिया है कि वन विभाग में निचले कर्मचारियों की कमी है और उच्च अधिकारी अधिक हैं। यह मानते हुए भी इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। अगर यह करवाना चाहते हैं तो ए.सी. रूम छोडकर बाहर जाते। माननीय वन मंत्री महोदय, आज आपकी परीक्षा की घडी है। हाल ही में वन मंत्रीजी रणथम्भौर जाकर आये है और वहां भी जंगलों के अन्दर बेतहाशा अतिक्रमण हो रहे है। टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर अतिक्रमण हुआ है ओबेराय होटल का और वन मंत्रीजी ने शायद उसका अवलोकन भी किया है। तो मुझे विश्वास है कि ऐसे नेक और जिनको काम करने की इच्छा है ईमानदार मंत्री महोदय, आप जरूर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे जो आये दिन मिलीभगत से जंगल कटवाते है। यह जो जंगल की कटाई हुई है मात्र इन अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है।

इसी तरह से पाली में भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह से कटाई नहीं रोकी गयी तो जंगल बरबाद हो जायेंगे। यह सभी का सामूहिक दायित्व है। मंत्री महोदय, मैं इस पर सदन में आपका वक्तव्य चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य दिलाइये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले का मामला है। बारां जिले के नाहरगढ रेंज में सैकडों, हजारों बीघा जमीन का कटाना हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.. (व्यवधान) माननीय सदस्य..

श्री हेमराज मीणा : केलवाडा रेंज में हजारों बीघा जमीन का कटान हुआ है और बारां के डी.एफ.ओ., नाहरगढ के रेंजर, केलवाडा के रेंजर यह सब मिले हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.. (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय मंत्री महोदय, आज आपकी परीक्षा की घडी है और हम चाहते हैं निश्चित रूप से आपकी जैसी प्रतिष्ठा है वैसा ही आज अपना वक्तव्य देंगे.. (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय।...(व्यवधान) आप बैठिये..

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य, आप किसकी परमीशन से बोल रहे हैं ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना परमीशन के बोल रहे है यह अंकित नहीं होगा। आप क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे है ? अब माननीय सदस्य, आपने समाप्त कर दिया ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, इस पर वक्तव्य दे रहे है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना पहले समाप्त कर दीजिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : समाप्त कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्ची उनकी थी आप बीच में इस पर्ची के विषय में नहीं बोल सकते। मैं आपको परमीशन नहीं दूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : इन्होंनें समर्थन किया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बारां क्षेत्र में 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के अन्दर 17,561 एनक्रोचमेंट के प्रकरण निस्तारण हुआ उसमें 67,87,244 पेनल्टी इम्पोज की गयी जिसमें से 12,84,937 रूपये की रिकवरी राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

390 मामलों में जिन लोगों ने एनक्रोचमेन्ट किया उन लोगों को सिविल कारावास का आदेश हुआ। 91-लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो व्यक्ति एनक्रोचमेन्ट करता है तो लगान का 50 गुणा उनसे शास्ति वसूल की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य और श्रीमान् मीणाजी ने जो चिन्ता जाहिर की, उसमें यह है कि 21-7-2004 को ए.सी.एफ. गश्ती दल के साथ में गया और 22-7-2004 को एक ट्रेक्टर का चालान पेश किया और 24-7-2004 को विभाग के कर्मचारी नाका ढिकोनिया के केसरी चन्द वर्मा, वनपाल और वन रक्षक, भगवान सिंह, नाका किशनपुरा के नाका प्रभारी बुद्धिप्रकाश, वन रक्षक, आर. प्रकाश और 29-7-2004 को सी.सी.एफ. के द्वारा दलवीर सिंह रेंजर को निलम्बित कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की वास्तव में 32 स्कवायर किलोमीटर में एक वन रक्षक वहां कार्यरत है और जिस हिसाब से यह जानकारी प्राप्त की गई है, मैंने अपने अधिकारियों को भी वहां पर निर्देश दिये हैं कि वहां पर जाकर के मौका निरीक्षण करें। इन लोगों को तो तत्काल निलम्बित कर दिया गया..... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : डी.एफ.ओ. भी सस्पैण्ड होना चहिए.... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सम्बन्धित उच्चाधिकारियों के प्रति भी...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : ताकि लोगों को यह पता लगे कि मंत्रीजी सही काम कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उच्चाधिकारियों को इस प्रकार के भी निर्देश दिये है कि यह जो प्रकरण हुए हैं, इस प्रकरण में उन लोगों के विरूद्ध 379-आई.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. लाज की जाये और इसके अन्दर रेंजर को भी सस्पैण्ड किया गया था। वन रक्षक को सस्पैण्ड किया गया और अगर इसमें उच्चाधिकारी भी कोई सम्मिलित हो तो उनकी भी जांच की जायेगी और जो भी दोषी व्यक्ति होगें......(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय मंत्री महोदय सी.सी.एफ. के विरूद्ध भी आप कार्यवाही करें.... (व्यवधान) मंत्री महोदय, डी.एफ.ओ. के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके विरूद्ध मैं कार्यवाही करना चाहता हूं...... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : आप अधिकारियों को सस्पैण्ड करें, डी.एफ.ओ. को सस्पैण्ड करो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, छोटे कर्मचारियों पर आप हथियार मत चलायें। मंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि उच्चाधिकारियों जो ए.सी. में बैठे रहते हैं, उनके विरूद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं..... (व्यवधान) मंत्री महोदय, इन छोटे अधिकारियों पर आप शस्त्र मत चलाइये। जो उच्चाधिकारी ए.सी. में बैठे रहते हैं उनका दायित्व फिक्स करें इसके ऊपर और उनके विरूद्ध आप कार्यवाही करें। तब तारीफ की बात है..... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : डी.एफ.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही करें..... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : डी.एफ.ओ., सी.सी.एफ. हैं इनके विरूद्ध कार्यबाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी कोई सूचना इनके पास है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन को आश्वस्त करता हूं कि मेरे विभाग में और मेरे विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी अगर इस प्रकार के कृत्य में दोषी पाया जायेगा, मैंने पूर्व में भी इस

पवित्र सदन को आश्वस्त किया है और आज पुनः आश्वस्त करता हूं कि विभाग का कोई भी अधिकारी जो इसमें सम्मिलित पाया जायेगा निश्चित रूप से वह दण्डित होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : डी.एफ.ओ. को संरक्षण.... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नियमों के विरूद्ध है। आपका कोई अंकित नहीं होगा। आपकी चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, यह कोई जनरल चर्चा का विषय थोडे ही है..... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि जो कोई भी..... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रकरण हुआ है वास्तव में यह गम्भीर है और इस प्रकरण में पेड काटने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में निश्चित रूप से डी.एफ.ओ., चार्ट सीट इश्यू करने की आज मैं घोषणा करता हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करने के लिए खडा हुआ हूं और विशेष तौर से यह आदिवासी भाइयों के जीवन से जुडा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू पर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक होने के साथ ही संविधान के अनुसार राजस्थान में भी अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत है एवं अनुसूचित जनजाति का 12.00 प्रतिशत आरक्षण है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि विगत टाइम में राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी की परन्तु

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उसके बावजूद भी जब हम सभी विभागों पर नजर डालतें हैं तो राज्य भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 49842 पदों का बैकलाग है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों से भरना है।

उपाध्यक्ष महोदय, 31-5-2003 तक अनुसूचित जाति के 12190, अनुसूचित जनजाति के 14210, कुल 26400 पद बैकलाग के रिक्त हैं। सफाई कर्मचारियों के 5442, निगम-बोर्डो में 18000, कुल मिलाकर 49842 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 8064, अनुसूचित जनजाति के 9915 पद सीधी भर्ती के बैकलाग में है। पदोन्नति में अनुसूचित जाति के 4126, अनुसूचित जनजाति के 4295, कुल 8421 पदों का बैकलाग चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सात महीने बीतने के बावजूद भी सरकार ने आरक्षित वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु कोई कार्य किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर पर किया हो, ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा महसूस होता है कि सरकार आरक्षित वर्ग की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 28 हजार पदों की विज्ञप्ति जारी करवाई है, उसमें भी आरक्षित वर्ग के बैकलाग पदों को भरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इससे हमारे एस.सी. और एस.टी. के भाइयों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है और इससे उनके जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में वर्तमान में आरक्षित वर्ग के शिक्षित, प्रशिक्षित, चिकित्सक, इन्जीनियर, वैद्य, नर्सेज, कृषि इन्जीनियर, नेट-स्लेट, पी.एच.डी., स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता धारी करीब 1 लाख 5 हजार युवक हैं, यह उनके जीवन से जुडा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विगत समय के बैकलाग के 70

(श्री मांगीलाल गरासिया)

हजार पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शीघ्र चलाकर उनको भरने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पदोन्नति देने में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के जोन आफ कंसीडरेशन की गलत व्यवस्था कर रखी है। इससे प्रत्येक विभाग में आरक्षित वर्ग के पदोन्नत होने वाले काफी वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति के लाभ से वंचित होना पडता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त और 1500 से अधिक निजी संस्थाएं चल रही है, उनमें 2.05 लाख कार्मिक कार्यरत है, वहां राज्य सरकार के अनुरूप सभी प्रकार की व्यवस्थाएं है लेकिन वहां संविधान में प्रदत्त आरक्षण का लाभ देने से राज्य के आरक्षित वर्ग के करीब 1.25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त होगें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वेकेंसी बेस्ड रोस्टर में परिवर्तन कर पद आधारित रोस्टर लागू करने का आदेश जारी किया है जिसकी अनुपालना नहीं करने से आरक्षित वर्ग के हजारों कार्मिकों को हानि हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी ओर दिलाता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, इस पर आपको इस पवित्र सदन में वक्तव्य देना चाहिए और हमें आश्वस्त करना चाहिए।

हमारे अंचल में एस.सी. और एस.टी. और बैकवर्ड लोगों को क्षतिपूर्ति करने से वंचित रखा गया है, हमारे कई भाई बेरोजगारी में इधर-उधर भटकने का काम कर रहे हैं, उन्हें कब तक राहत मिल पाएगी ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में अपना वक्तव्य दें और हमें सन्तुष्ट करें। एक विशेष अभियान के माध्यम से बैकलाग के रिक्त पदों को भरने का काम करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय समर्थ लालजी मीणा, आपको भी पर्ची पर इसी विषय पर बोलना है।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ था उस समय अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को 28 जनवरी, 2004 को एक पत्र दिया था और उनसे मिले भी थे। मिलने के बाद राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन भी इस संदर्भ में दिया था कि सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी। लेकिन इस सरकार को बने हुए 7-8 महीने हो चुके है, तत्काल की बात तो छोडिए, कुछ कार्यवाही करती हुई भी नजर नहीं आ रही। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, जो सरकार यहां बैठी हुई है, मुख्य मंत्रीजी को सदन में आना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस सदन में जब चर्चा हो रही है तो उनको यहां आकर बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। वैसे सरकार बैठी है लेकिन जो बैकलाग है वह करीब 70 हजार कर्मचारियों का है। 70 हजार कर्मचारियों को यह सरकार कब तक भरे, कैसे भरे, कौनसा तरीका हो भरने का, मैं समझता हूं कि इस पर मंत्रीमण्डल में विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद निश्चित समयांवधि में इनको तुरन्त भरा जाना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जोन आफ कंसीडरेशन का जो मामला है, पहले जोन आफ कंसीडरेशन 40 पाइण्ट का था, अब 100 पाइण्ट का हो गया। 40 पाइण्ट का जब तक रहा तब तक उसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लासेज के अधिकारियों-कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। अब 100 पाइण्ट का कर दिया है, इसके बाद भी इन वर्गो के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन का जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया।

(श्री समर्थ लाल)

पिछली सरकार ने श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस. की चेयरमैनशिप में एक आयोग गठित किया था, उन्होनें अपनी रिकमण्डेशन दी तत्कालीन सरकार को कि 2003-2004 में आरक्षित वर्ग के विभिन्न पदों पर बैकलाग भरने सम्बन्धी जो निर्देश हाल ही दिए हैं उनके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बैकलाग के पदों की पदोन्नति के लिए कुछ अनावश्यक शर्ते रख देने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार ने हाल ही में आरक्षित वर्ग के बैकलाग को उनके निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप भरने के लिए जोन आफ कंसीडरेशन सात गुना कर दिया।

लेकिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा तथा राजस्थान लेखा सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए 20 वर्ष का सेवा काल आवश्यक शर्त बताया है। (व्यवधान) सरकार तो आपस में बातचीत करने में मशगूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मेहरबानी करके (व्यवधान) मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं लेकिन सरकार अभी बात कर रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 20 वर्ष का सेवा काल पूरा नहीं करने के कारण उन्हें सुपर टाइम स्केल पदोन्नति नहीं मिल पाती है जिससे हर वर्ष उनका बैकलाग एकत्रित होता चला जाता है और इस बैकलाग को भरने पर उस वर्ष विशेष में सामान्य वर्ग के लिए पदोन्नति के पदों की संख्या नगण्य रह जाती है जिसके कारण अनावश्यक वैमनस्य उत्पन्न होता है। सामान्य एवं आरक्षित दोनों वर्ग के लिए पदोन्नति प्रतिशत निर्धारित है। ऐसी स्थिति में सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए 20 वर्ष के सेवाकाल की शर्त न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित है। पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव की आवश्यक शर्त में एक तिहाई की शिथिलता देने का प्रावधान है सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए 20 वर्ष के सेवाकाल के अनुभव में दी गई शिथिलता की तरह एक तिहाई की शिथिलता दिया जाना उचित होगा ताकि अन्य शर्ते पूर्ण करने वाले सामान्य व आरक्षित दोनों वर्गों

(श्री समर्थ लाल)

के अभ्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित होने वाली डी.पी.सी. में उनके लिए निर्धारित पदों पर पदोन्नति नियमित रूप से मिल सके ताकि बैकलाग एकत्रित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस संदर्भ में पूर्व माननीय सदस्य ने निवेदन किया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरक्षण के 75 हजार पद खाली हैं और जो पदोन्नति के आधार बना रखे हैं 100 पाइण्ट रोस्टर आरक्षण प्रणाली बना रखी है मैं समझता हूं इससे एस.सी., एस.टी. के लोगों को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए और संशोधन इस रूप में करना चाहिए जिससे कि इस राजस्थान के अन्दर जो दो-ढाई करोड एस.सी., एस.टी. के लोग बसे हुए हैं और जो शिक्षित लोग है उन शिक्षित लोगों का भी आंकडा हमारे पास है और उस आंकडे के अन्तर्गत सभी वर्गों के अन्दर, सभी विभागों में मन्त्रालयिक संवर्ग के पद करीब 5 हजार खाली है। सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी ड्राईवर के पद 5 हजार खाली है। सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में शैक्षिक पद 2500 खाली है। शिक्षा विभाग में शैक्षिक पद 15 हजार खाली है। चिकित्सा विभाग में चिकित्सक, नर्सिंग एवं तकनीकी वर्ग के पद 5 हजार खाली है। पुलिस विभाग में पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा बल पद 3 हजार खाली हैं। वित्त विभाग में भी 5 हजार पद खाली हैं। जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग में भी 8 हजार पद खाली हैं। आयुर्वेद विभाग में चिकित्सक, नर्सेज एवं तकनीकी पद एक हजार खाली हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों में भी तकनीकी पद करीब 2500 खाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग में भी एक हजार पद खाली हैं। जे.डी.ए., नगर निगम, स्थानीय निकाय, नगरपालिका में भी 5 हजार पद खाली हैं। पशुपालन विभाग में भी 2500 पद खाली हैं। वन, खनिज, उद्योग, सहकारिता, परिवहन, देवस्थान, भूमि एवं भवन कर व सेल्स टैक्स में भी 5 हजार पद खाली हैं। इसी प्रकार से राज्य के छह चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं तकनीकी पद 500 खाली हैं। राज्य के सभी इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं तकनीकी पद 500 खाली हैं। राज्य सरकार के

(श्री समर्थ लाल)

अधीन चल रहे निगम, उपक्रम एवं निगमों के अन्दर भी 5 हजार खाली हैं। अन्य शेष विभागों के अन्दर भी 2 हजार से ज्यादा पद खाली हैं।

आप 75 हजार का बैकलाग पूरा नहीं कर पाये, इतने पद खाली पडें है और राजस्थान सरकार को बने हुए 7-8 महीने हो गये। यह सारा मामला वैसे पिछली सरकार का है। जबसे यह आरक्षण पद्धति लागू हुई है उस पद्धति को लागू होने के बाद पिछली सरकारों ने इस पर कतई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार इस पर ध्यान देती रहती और इन पदों का बैकलाग नहीं छोडती तो मैं समझता हूं वर्तमान सरकार पर इतना भार नहीं पडता। इसलिए मैं आदरणीय उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन पदों को भरना है, अब इस विधान सभा के अन्दर हम 200 सदस्य हैं, 31 सदस्य अनुसूचित जनजाति के हैं, 33 सदस्य एस.सी. के है और बाकी जो बचे हुए हैं 146 सदस्य ये भी बिना एस.सी., एस.टी. की मदद के बिना इस विधान सभा में नहीं आ सकते। इसलिए यह मामला पूरे सदन का मामला है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज आप आसन पर विराजमान हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी अध्यक्षता में यहां आया हुआ है। मैं समझता हूं इसका कोई न कोई निस्तारण आज होना चाहिए और आज से ही सरकार किस प्रकार से इसको निस्तारित करना चाहती है, सरकार भी अपने कान खोलकर, आंख खोलकर सारी बातों को सुनना चाहिए और इसका जवाब भी इस सदन में आज देना चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई डिबेट तो है नहीं, पर्ची के माध्यम से एक विषय आया है। इन्होंने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) सरकार जवाब दे दे अपना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पर्ची के माध्यम से कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है तो (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा : इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये पद किस तरह से आप भरेगें इस बारे में आज वक्तव्य देना चाहिए।

श्री मुरारी लाल मीणा : मुख्य मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

श्री नन्दलाल मीणा : पर्ची के माध्यम से यहां सरकार जवाब दे। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा : 75 हजार बैकलाग का मामला है। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : इस सदन में अपना वक्तव्य दें कि बैकलाग कब भरा जाएगा।

श्री अर्जुन लाल मीणा : आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, इसका जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : एक गम्भीर समस्या है इसका हल ठीक तरीके से निकालना चाहिए। माननीय सदस्य ने गम्भीर समस्या पर ध्यानाकर्षण किया है उस बारे में सरकार की तरफ से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार को कोई आश्वासन देना चाहिए। (व्यवधान) बैकलाग के बाद भरे जाएंगे इसका कोई आश्वासन देना चहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर। आसन पैरों पर माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : सत्ता पक्ष के एक वरिष्ट माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है।

श्री जीतमल खांट : यह उन प्रबुद्ध लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप इस विषय को आगे नहीं चलाना चाहते (व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मेहरबानी करके (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार से जवाब दिलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनेंगे नहीं क्या ?

एक माननीय सदस्य : सरकार से जवाब दिलवाएं हम तो बैठ जाएंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर जवाब आना चाहिए।

श्री जीतमल खांट : राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला है। राज्य सरकार, आगे की सरकार हो या पीछे की सरकार हो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह इस तरह कब तक चलता रहेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एस.सी., एस.टी. के खिलाफ यह मामला कब तक चलता रहेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केन्द्र में थी तो इस प्रकार की (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दलितों का मामला आता है वहां (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमनें पर्चियां दी है इस बारे में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दलितों के हित की बात है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, दलितों के हित की बात है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : यह एस.सी., एस.टी. का मामला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार अपना वक्तव्य दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य आप क्या चाहते हो ? आप बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं सुनना चाहते आप ? आप अपनी बात नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सारे एक साथ खडे हो गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कांग्रेस ने अभी तक एक भी एस.सी., एस.टी. की भर्ती नहीं की है, वह यहां वैल में कहने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहना नहीं चाहते हो, बात नहीं सुनना चाहते हो, तो सुनो तो सही पहले।

श्री सांवर लाल : उस राज में पांच साल में एक भी एस.सी., एस.टी. के बैकलाग की भर्ती नहीं की वह वैल में जा रहे हैं सदन के, मैंनें भरी है इर्रिगेशन मिनिस्टर बनने के बाद। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन कूप में आये)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अपने स्थान पर जाकर बात करें।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति से जुडा हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : पांच साल में एक भी नहीं दिये, ये देने के अधिकार थे आप लोगों के।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। आप आपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे ? यहां खडे-खडे कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : यह बैकलाग भरा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से आपको नहीं सुनेंगे, आप पहले ही खडे हो गये।

श्री हीरालाल : यह एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 49843 पद रिक्त हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल पर्ची के माध्यम से उठाया गया एक सवाल है इसलिए माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष यदि वास्तव में गम्भीर है, तो कोई भी प्रकरण नियमों में आये। महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पर्ची के माध्यम से केवल चार मिनट बोलने का अवसर होता है। सरकार एस.सी., एस.टी., आपकी बात से सहमत है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एस.सी., एस.टी. का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सशक्त माध्यम से आएं, यह मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : यह इस इश्यू को डाईवर्ट करना चाहते हैं। (व्यवधान) यह हम पर दबाव देना चाहते हैं, इस मामले में नियमों में छूट आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एस.सी., एस.टी. का मसला है।

श्री गोविन्द राम चौहान : 70 हजार बैकलाग की जगह है।

श्री हीरालाल : इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, यह एस.सी., एस.टी. का गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर कोई बात कहें।

श्री हीरालाल : 64 विधायक एस.सी., एस.टी. के हैं जो सरकार बनाते हैं।

श्री हेमराज मीणा : एस.सी., एस.टी. के 64 विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : नियम और प्रक्रिया की बात करने लग गये।

श्री हीरालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एस.सी., एस.टी. के लोगों के बैकलाग का महत्वपूर्ण मसला है। (व्यवधान) इस पर सरकार को बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : ताकि सरकार इसका वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के नाम पर जो घडियाली आंसू बहा रहे हैं, पिछले पांच सालों में एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इन्होंने नौकरी नहीं दी और आज यह अनुसूचित जाति के नाम पर घडियाली आंसू बहा रहे हैं। पिछले पांच सालों में इन्होंने एक भी सरकारी नौकरी अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दी।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन में एक व्यवस्था दें ताकि बैकलाग भरने के बारे में सरकार वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, यह आरक्षित वर्ग की समस्याओं के प्रति राजस्थान की सरकार गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : इनके साथ न्याय किया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं। (व्यवधान) आज दलित समाज के लोगों पर यह राजनीति करना चाहते हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष भर्तियों का अभियान चलाकर एस.सी., एस.टी. का बैकलाग पूरा किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सरकार की बात भी नहीं सुनना चाहते ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : राजस्थान सरकार जनजाति वर्ग के प्रति गम्भीर नहीं है। इस बात को लेकर दर्शाता है कि पूरे राजस्थान के अन्दर किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पद खाली पडे हुए हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति का बैकलाग पूरा किया जाना चाहिए।

श्री जीतमल खांट : आज पूरे राजस्थान के अन्दर 64 हजार पद खाली पडे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति का बैकलाग विशेष अभियान चालू करके पूरा किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में जो बात कर रहे हैं।

श्री हीरालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण गम्भीर मसला है।

श्री ओम बिरला : वार्ता हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.06 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(समय : 14.36 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलॉग

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस महीने मे 47 एक्स.ईएन. के प्रमोशन एस.सी., एस.टी. के होने थे उनकी जगह मात्र 20 हुए हैं। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ने अनुसूचित जाति के एक्स.ईएन. के साथ यह भेदभाव किया है, वसुन्धरा राजे की सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति, जनजाति को शक्तियां प्रदान की गई उनका आज खुले आम हमारे साथ में विरोध किया जा रहा है। यह पूरे राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति से जुडा हुआ मसला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण किजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण किजिये। माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री महोदय इस बारे में कह रहे है, आप शांतिपूर्वक सुनिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने अपनी जो भावना व्यक्त की, यह समस्या केवल 7-8 महीने की पैदा की हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में टोका-टाकी नहीं। आप शांतिपूर्वक सुनना चाहेंगे क्या ? बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 50 साल की यह समस्या धीरे-धीरे आगे आई है। पिछले कुछ वर्षो में जब कभी भी इस भर्ती का कार्यक्रम हुआ है, इस बात को ध्यान में रखकर इसकी भर्ती करने का प्रयास किया है। यह अगर कहें कि बैकलाग की भर्ती हुई ही नहीं, सामान्यता बैकलाग भर्ती करने का एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

डायरेक्शन है उसको ध्यान में रखकर जब कभी भी नई भर्ती होती है, तो होता है। लेकिन यह पर्ची के माध्यम से उठाकर यह कहना कि जैसे कोई सारा पाप हमनें ही किया है और उसके आधार पर वो लोग खडे होते है जिन्होनें 50 साल में से 45 साल तक राज किया उनके मैम्बर को यह अधिकार किसने दिया जिन्होनें इनके हकों को मारा है, जिन्होनें उनके साथ एक तरह से बदसलूक किया, उनके अधिकारों का हनन किया। यह अधिकार उन लोगों को कैसे है ? हमारा दल तो निश्चित रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम लोगों ने इन बातों को कहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : आपकी सरकार ने इस जुलाई महीने में जो एक्स.ईएन. के प्रमोशन हुए उसमें गलत काम किया है। 47 एक्स.ईएन. के प्रमोशन एस.सी., एस.टी. के होने चाहिए थे उनकी जगह आपने क्यों नहीं किया ? (व्यवधान) इस जुलाई महीने में किया है यह । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनने की क्षमता रखिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, वो ही राजनीति कर रहे है। यह 40 साल का सवाल नहीं है। (व्यवधान) 10 साल किसका रहा, 40 साल किसका रहा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लीजिये पहले। पहले वक्तव्य पूरा सुन लीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जुलाई के महीने में प्रमोशन हुए हैं उसमें एस.सी., एस.टी. के एक्स.ईएन. के साथ भेदभाव हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके कहने के मुताबिक बोलेंगे क्या ? आप जैसे कहोगे वैसे ही बोलेंगे क्या ? (व्यवधान) आप सुनिये पहले। आप यह कैसे कहते हो कि यह क्यों किया, यह क्यों कह दिया ? आपके कहने के मुताबिक कहेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : ये राजनैतिक भाषण दे रहे हैं और उनकी सरकार ने इसी जुलाई महीने में जो प्रमोशन हुए हैं, उसमें एस.सी., एस.टी. के 47 एक्स.ईएन. बनने चाहिए थे, उनकी जगह इन्होनें मात्र 20 बनाये। (व्यवधान) यह पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री ने किया है, इसी महीने में किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सब एस.सी., एस.टी. के बन्धुओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से उनके बैकलाग को ध्यान में रखकर नियमों के तहत जो भी हो सकता है, वह करेंगे। हम केवल नाटकबाजी नहीं करते हैं, हम हकीकत में उनको लाभ पहुंचाकर बतायेंगे कि कैसे लाभ पहुंचता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि.......

श्री उपाध्यक्ष : अब नेता प्रतिपक्ष महोदय, इसमें और क्या बात रह गई ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई चर्चा नहीं होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा कैसे हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलूंगा (व्यवधान) स्टेटमेन्ट दिया है इन्होंने....

श्री महावीर प्रसाद जैन : चर्चा नहीं होगी इस पर।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी चर्चा कर रहे हैं कि आप एस.सी., एस.टी. के लोगों पर....... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह कांग्रेस की फैलाई हुई बीमारी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी जो वक्तव्य दिया, उसमें मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि हमने पुलिस में भर्ती की थी तो उसमें बैकलाग को पूरा का पूरा उसमें स्थान दिया और भरा...... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कहां से कर दिया, पांच साल में कुछ नहीं किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको स्टेटमेन्ट देते वक्त यह आश्वासन सदन को देना चाहिए था कि आप जब भी भविष्य में भर्ती करेंगे, एस.सी., एस.टी. के बैकलाग को पूरा करेंगे...... (व्यवधान) हमारे सरकार ने एस.सी., एस.टी. के बैकलाग को भरने का पूरा प्रयास किया है।

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब, आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और आप यह भी कहते हैं कि आपने नौ साल में क्या किया ? अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. में एक्स.ईएन. बनाये गये थे, उसमें 45 एक्स.ईएन. बने, उसमें एस.सी., एस.टी. का ध्यान नहीं रखा गया। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने एस.सी., एस.टी. का ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस के समय में हमेशा बैकलाग को भरने की कार्यवाही की गई है। इसलिए आप सदन को यह आश्वस्त करें कि पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से बतायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस पर चर्चा नहीं हो सकती, इस पर्ची के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको सुननी पडेगी। आप तो यह पालिसी स्टेटमेन्ट दें कि आइन्दा जो भी भर्ती की जाएगी उसमें एस.सी., एस.टी. के बैकलाग को भरने का ध्यान रखा जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री के जवाब के ऊपर इस तरह से वाद-विवाद नहीं हो सकता। इन नियमों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मेरा अभिप्राय नहीं समझा। मैंने यह कहा था कि आपने इतने वर्षों में बैकलाग को भरकर इनको हानि पहुंचाई। यह सरकार वचनबद्ध है इस बात के लिए, इनके हकों के लिए जो नियमों में प्रावधान है, उनके अनुसार इनकी निश्चित रूप से मदद करेगी। अब आप क्या समझना चाहते हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पी.डब्ल्यू.डी. में क्या किया, एस.सी., एस.टी. को दिया क्या कोई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन में जवाब दे दिया है।

श्री सुरेश मीणा : माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह बैकलाग कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री संयम लोढ़ा : यह आपने किया है। आपने एस.सी., एस.टी. के एक्स.ईएन. के प्रमोशन में उनके अधिकारों का हनन किया है, कुठाराघात किया है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा : माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक पूरा हो जाएगा ? यह बैकलाग कब तक पूरा होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन में एस.सी., एस.टी. के साथ कुठाराघात नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, बिलकुल वचनबद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : ये बैकलाग को भरने के लिए गृह मंत्रीजी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री जीतमल खांट)

आप सही कह रहे हैं कि यह समस्या आज की नहीं है, 6-7 महीने की नहीं है, यह लम्बे समय की समस्या है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यहां आरोप-प्रत्यारोप लगाकर हम कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे।

श्री सुरेश मीणा : दोनों की लडाई में हमको क्यों पीसा जा रहा है ?

श्री जीतमल खांट : क्या एस.सी., एस.टी. के बैकलाग को भरने के लिए आप कोई विशेष अभियान चलायेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे की लडाई है इसमें।

श्री सुरेश मीणा : विशेष अभियान के तहत यह भरा जाए कोटा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या बात हुई ? आपकी समस्या तो एक ही है।

श्री नाथूराम अहारी : अभियान के बतौर भरा जाये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, 32,000 वेकेंसीज हैं, आप इनको विशेष अभियान चलाकर पूरा करें। गोल-मोल बातें करने से काम नहीं चलेगा।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत ये सीटें नहीं भरी जा सकेंगी, इसके लिए विशेष अभियान जब तक नहीं चलाया जाएगा।

श्री नाथूराम अहारी : आपने नियमों के अन्तर्गत रहकर भरने की बात कही है, इससे कोई नहीं भर सकते। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सरकार विशेष अभियान की घोषणा कर चुकी है। आपके शिष्ट-मण्डल मिले थे, उस समय सारी वार्ता हो चुकी है।

श्री नाथूराम अहारी : आप जोर से बोलकर दबा नहीं सकते हैं। आप जोर से बोलकर दबा नहीं सकते हैं। क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इसी जुलाई में जो प्रमोशन किये, उसमें 45 एक्स.ईएन. बनने थे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में परन्तु 20 लोगों को ही इसका फायदा दिया, इसका स्पष्टीकरण दें कि क्या उनका कोई मिला नहीं है या आप अभी भरना नहीं चाहते ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप एस.सी., एस.टी. के दुश्मन हो क्या ?

एक माननीय सदस्य : इस पार्टी को एस.सी., एस.टी. के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने उनके अरमानों को कुचला है, उनका खून चूसा है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(समय 14.45 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री सुरेश मीणा : इनका भला किया आपने ? राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है।

श्री जीतमल खांट : एस.सी., एस.टी. के पदों को विशेष अभियान चलाकर कब तक भरा जायेगा ?

श्री नाथूराम अहारी : आप पूर्ण आश्वस्त करें कि यह बैकलाग कैसे भरोगे आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर। आप सुनें। आसन पैरों पर है। आप सुनें, प्लीज। आसन पैरों है। प्लीज। हां, हां, बिलकुल, आप कहे मैं सुनूंगा। आप बैठिये, आसन पैरों पर प्लीज।

श्री जीतमल खांट : एक विशेष अभियान चलाकर इनको भरा जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य, आप सब जानते हैं, इस बैकलाग को भरने के सम्बन्ध में

(श्री सभापति)

बहुत से सदस्यों की चिन्ता है, सदन की भी चिन्ता है। मैं स्वयं भी इस पक्ष में हूं कि बैकलाग भरा जाये लेकिन हर सरकार के सामने कुछ न कुछ क्योंकि पिछले 50 वर्षो से लेकर अब तक यह बैकलाग रहता आया है। अब इसको एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्रीजी ने सरकार की तरफ से कोई, चूंकि पर्ची के माध्यम से मामला उठा है इसलिए उसका पर्ची के माध्यम से जो जवाब होना चाहिए, वह जवाब उन्होनें दे दिया। अगर आप इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह हल्का विषय नहीं है, गम्भीर विषय है......... (व्यवधान) एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बैठिये एक मिनट। I am on my legs. I am on my legs. मैं खडा हूं माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. में इस जुलाई महीने में जो पदोन्नतियां हुई हैं एस.सी., एस.टी. के 47 एक्स.ईएन. के सामने मात्र 20 एक्स.ईएन. ही बनाये। यह सरकार एस.सी., एस.टी. के अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है ? यह सरकार बर्ताव कर रही है।

श्री सभापति : I will name you. I will name you. सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं खडा हूं। आसन पैरों पर है। प्लीज प्लीज, आसन पैरों पर है। प्लीज, मुझे व्यवस्था देने दीजिये। आप बैठिये। आप बैठिये, मुझे व्यवस्था देने दीजिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप सुन ही नहीं रहे है, मुझे ही नहीं सुन रहे है। एक मिनट, इसलिए मैंने कहा कि सारा सदन चिन्तित हैं, मैंने खुद कह दिया, मेरीं भावनाएं प्रकट कर दीं। सरकार की तरफ से पर्ची पर जो जवाब देना चाहिएं था, जवाब आ गया। जवाब दिया जा चुका है। मैं चाहता हूं, यह हल्का सब्जैक्ट नहीं है। इसका क्या हल निकाला जाये, हल किस प्रकार से निकले ? जैसे कल शिक्षा विभाग में उन्होनें आर.पी.एस.सी. से भर्ती करके, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक विभाग में बैकलाग को भरने का काम, उन्होनें एक तरीका निकालकर किया। इस तरह

से कौनसा तरीका निकल सकता है हर विभाग में इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। यह कोई अभी माननीय मंत्रीजी खडे होकर एकदम पर्ची के माध्यम से मामला उठा और यहां जवाब दे दिया पूरा विस्तृत और इस पर रिजल्ट कोई निकल जाये, आप भी कई सुझाव देना चाहेगें, इस पर यह तरीका हो......... (व्यवधान) एक मिनट, आप मुझे बोलने दीजिये, आप बीच में खडे हो रहे है बार-बार, जब मैं व्यवस्था दे रहा हूं इसलिए माननीय आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन से भी निवेदन करूंगा, माननीय सीनियर मेम्बर बैठे हुए है, इधर के भी माननीय सदस्य है, आप भी बोलेंगे इस पर, सदन बहुत चिन्तित है, किसी नियम के तहत आप कोई प्रस्ताव लाइये, उस पर चर्चा करिये, उधर के माननीय सदस्य बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, इस पर डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि सीरियस सब्जैक्ट है। केवल अपन हा-हुल्ला करके इसको हवा में उडा दें, उससे कोई भला नहीं होने वाला है, सीरियस सब्जैक्ट है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, कोई व्यवस्था से लाइये, प्रस्ताव लाइये आप और उसके बाद में सरकार उसका विस्तृत जो भी जवाब दे, सरकार जवाब दे। इसलिए आप, एक मिनट मुझे..... Let me finish, Please. Let me finish.

मैं खडा हूं ना, आप फिर खडे हो गये, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री सभापति : मुझे पूरा करने दीजिये प्लीज, आप बैठिये। Nothing will go on record. Whatever he is saying, Nothing will go on record. आप मुझे कहने दीजिये, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो, आप अगर सीरियस हैं तो आप कोई प्रस्ताव लाइये सदन में, सदन में चर्चा की आसन अनुमति देगा और सरकार जो भी कोई चर्चा आएगी, उसका सरकार जवाब देगी। इसके बाद अब क्या बच पाता है इसलिए आप कृपया आगे की प्रोसीडिंग्स.......

श्री संयम लोढ़ा : सदन में जो गतिरोध हैं सभापति महोदय, आप व्यवस्था कर दीजिये कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आप कृपया चर्चा का समय तय कीजिये।

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इसलिए आज सीरियस बिजनस है, बिल पास करना है, जो हमारा मुख्य काम होता है.......... आप बैठें न, आप एक मिनट बैठिये। (व्यवधान) मुझे मालूम है, इस पर मैनें कह दिया, मैंने व्यवस्था दी न, इस पर सदन में चर्चा कराइये, इस पर डिस्कशन कराइये, नियम में प्रस्ताव लाइये, चर्चा कराइये। पर्ची के माध्यम से (व्यवधान) आप बीच में नहीं, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कल आखिरी दिन है। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : हमने 131 में लगाया है उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप लाइये न प्रस्ताव। (व्यवधान) बैठिये आप, माननीय सदस्य।

श्री रमेश खींची : आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी उस पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : लेट मी कम्पलीट।

श्री अमराराम (धोद) : आप समय तय कर दें। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : सभापति महोदय, 131 में लगाया है, आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी उस पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : आनरेबल लीडर आफ अपोजीशन, आई थिंक, आप अपने सदस्यों को कन्ट्रोल करिये। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापतिजी, 131 में लगा रखा है, स्थगन प्रस्ताव लगा रखा है उस पर आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री सभापति : एक सैकण्ड। लीडर आफ अपोजीशन।

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : एक तो अभी, सभापति महोदय, आपने कहा कि आर.पी.एस.सी. से जो वैकेंसीज आई हैं उसमें बैकलाग का स्थान कहां रखा, हमारे को तो कहीं ध्यान में नहीं आया।

श्री सभापति : कहा है न उन्होंने। कल कहा है उन्होंने। कल वक्तव्य में कहा है।

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय गृह मंत्रीजी ने स्वयं राजनीतिपूर्ण उत्तर दिया है। देखिये एक मिनट, यहां हमें उत्तर दें तो राजनीति नहीं करें, उनको बताना चाहिए कि पिछले वर्षो में कांग्रेस की सरकार के वक्त में कितना बैकलाग भरा गया।

श्री सभापति : पर्ची से कैसे बता सकते हैं ? आप कोई प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक भी भरा हो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से कैसे दे सकते हैं ?

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : जो प्रमोशन हुए हैं उनमें बैकलाग का ध्यान नहीं रखा गया....... (व्यवधान)

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से चर्चा कैसे हो सकती है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कोई जवाब दिया हो तो बतायें।

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से चर्चा कैसे हो सकती है ?

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा करें, इसके लिए गृह मंत्रीजी कोई वक्तव्य दे दे विस्तृत रूप से। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : सभापति महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर अपने विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचरियों का गला घोट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं खड़ा हूं तो फिर भी खड़े रहते है। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह हाउस के अन्दर बिलकुल गलत परम्परा पड रही है, पर्ची के माध्यम से आज तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है और माननीय विपक्ष के नेता यह जानते हैं, पर्ची के माध्यम से कितनी इन्फोर्मेशन आ सकती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : दिस इज वेरी बेड। आप सीनियर सदस्य हैं। आप सीनियर सदस्य हैं, मैंने एक बात कही है, इसमें.....

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : आप वक्तव्य दिला दें।

श्री सभापति : देखिये, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जितना कहना था, पर्ची पर कह दिया। उधर के माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं, इधर के माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं इस पर, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए, कोई प्रस्ताव लाइये, सदन उस पर आपको अनुमति देगा, आसन अनुमति देगा और उसके बाद... (व्यवधान) एक पर्ची के ऊपर चर्चा नहीं होती है और पर्ची पर विस्तृत वक्तव्य कभी नहीं आता है। आप मुझे नियमों के प्रावधान बता दीजिये कि पर्ची के ऊपर विस्तृत वक्तव्य आता है क्या, अब आप कोई उदाहरण वैसा, पर्ची के माध्यम से वक्तव्य आया है तो बता दें। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापति महोदय, 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा रखा है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आई नेम यू। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : हम 131 में स्थगन प्रस्ताव लाये थे, आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री सभापति : आई विल नेम यू। आई एम आन द लेग्स।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : आसन ने व्यवस्था नहीं दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। आप एक मिनट सुनिये तो सही, मैं मेरी बात कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कल लगवाइये आप।

श्री सभापति : पहले आप मुझे सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा : कल लगवाइये न ध्यानाकर्षण। जो ध्यानाकर्षण हमने दिया है, वह कल लगवाइये।

श्री सभापति : पहले मुझे सुनिये। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक आपके पास बटन है इसमें, इसको बन्द.....

श्री सभापति : देखिये, एक मिनट, आप सुन लीजिये। (व्यवधान) सुनूंगा आपको भी; बैठिये। पहले व्यवस्था सुनिये, पहले आसन को सुनिये। माननीय सदस्य, देखिये, कभी भी आज तक पर्ची पर विस्तृत वक्तव्य सरकार का नहीं आया, चर्चा नहीं होती है कभी भी। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : पर्ची पर नहीं कह रहे हम, हम तो कह रहे हैं हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये। (व्यवधान) एक मिनट बैठिये। आप दोनों सदस्य बार-बार मैं खड़ा होता हूं, फिर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा तो इस सदन में, आप देखिये, जो अपन यहां व्यवहार करते हैं वह सब बाहर जाता है इसलिए कृपया, देखिये, इस पर्ची के सम्बन्ध में व्यवस्था दी हुई है सदन में पहले और इसमें व्यवस्था है, इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे। माननीय सदस्य ने बात उठाई, उसके बाद कई माननीय सदस्यों ने भी उस पर बात कह दी अपनी, यहां तक की लीडर आफ अपोजीशन को अपोर्चुनिटी भी चलाकर दी कि आप भी इस पर कह दें और सरकार की तरफ से शार्ट में उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त कर दी। अब इस विषय का क्या हल हो सकता है, महत्वपूर्ण सुझाव इधर से, उधर से आने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, कल तक सदन......(व्यवधान) आप सुन लीजिये, कल तक सदन है, आप किसी भी समय, आज नोटिस दीजिये, कल

(श्री सभापति)

सदन है, इस पर आपको अनुमति दी जायेगी और यहां पर चर्चा कराइये, इसलिए कभी भी आप नोटिस देकर लाइये, इस पर चर्चा कराई जा सकती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पचास सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है, आसन चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा है, क्या बात हुई सभापति महोदय ? (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : सभापति महोदय, आज के दस रोज पहले 131 में स्थगन प्रस्ताव दिया..... (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, श्री प्रताप सिंह सिंघवी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बस, बोलिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : रख दिया ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बोल दिया न।

श्री सभापति : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव। श्री जुबेर खान। यस, श्री जुबेर खान। (व्यवधान) आप बिराज जाइये। मैंने व्यवस्था दे दी, अब उस पर अलाऊ नहीं करूंगा, अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, व्यवस्था दे चुका हूं। (व्यवधान) आप बिराज जाइये, प्लीज।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : 131 हमने पहले दे रखा है, हमने पहले दे रखा है, उसकी तो व्यवस्था करें आप। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : 131 पहले दे रखा है...... (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये। बैठिये। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : हां, तो बोलिये, बोलिये। शुरू करिये।

श्री जुबेर खान : मेरा तो इतना सा है, भारी गला नहीं है, आवाज कहां से आयेगी। आप हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : हमने 131 पहले दे रखा है उस पर व्यवस्था दीजिये...... (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, आप हाउस को ऐसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। यह पर्ची के माध्यम से आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते कि वह पूरा विस्तृत जवाब दे। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापति महोदय, दस रोज पहले स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री सभापति : चर्चा करा ली जायेगी।

श्री अमराराम (धोद) : आप बताइये कौनसा नियम है जिस पर चर्चा कराई जा सकती है..... (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : इस नियम में आप चर्चा करा लें। माननीय सभापति महोदय, उसमें समय दे दें। (व्यवधान) उस पर आसन से व्यवस्था करा दें।

श्री अमराराम (धोद) : पर्ची पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। केवल एक इसमें प्रोवीजन है कि सरकार विस्तृत बयान दे और उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से कोई प्रोबीजन नहीं है, आप बैठिये (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बैकलाग पर चर्चा होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से कोई प्रोवीजन नहीं है बता दीजिये रूल्स के हिसाब से हाउस चलेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सवाल पर्ची का नहीं है सवाल इस बात का है....

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये अब, जुबेर खानजी। माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये अब।

श्री अमराराम (धोद) : सदन की भावना है उसके अनुसार चर्चा, केवल सरकार की तरफ से विस्तृत बयान आने से उस पर चर्चा हो सकती है, बाकी किसी रूप में नहीं हो सकती।

श्री सभापति : जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे है, आपने जैसे कहा, 131 का प्रस्ताव दिया हुआ है...... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : जो एससी, एसटी के माननीय सदस्य है उनकी भावनाओं का सवाल है..... (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : पहले दिया हुआ है उसकी आप आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी। (व्यवधान) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले से दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : उनकी भावनाओं को दबाया जाता है सदन में।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : पहले दिया हुआ है, व्यवस्था नहीं दी आसन ने कुछ.....

श्री सभापति : ऐसा है देखिये, आप एक मिनट सुनिये। आगर आपने 131 में नोटिसेज दे रखे है.... (व्यवधान) सुनिये आप, उस पर यहां निर्णय.....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कहां दे रखा है नोटिस ?

श्री सभापति : उस पर यहां निर्णय कोई नहीं हो सकता। आप उपाध्यक्षजी से उनके चैम्बर में बात कर लीजिये, उस पर वह व्यवस्था दे देंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, हाउस के इतिहास के अन्दर कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं आई कि पर्ची के माध्यम से सवाल उठाये और जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज तक तो लगा नहीं, आप आसन से व्यवस्था दे दीजिये कि कल लग जायेगा।

श्री रामनारायण डूडी : यह कोई मामला नहीं हुआ।

श्री सभापति : जुबेर खानजी, आप बोलना चाहते है ?

श्री जुबेर खान : हां, बोल रहा हूं साहब।

श्री सी.डी देवल : आप अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ बोल रहे है..... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, जब तक हाउस से आर्डर में नहीं होगा कैसे बोल पाऐंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य हैं... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : राजस्थान का सबसे बडा मुद्दा है एस.सी./एस.टी. का बैकलाग.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, माननीय सदस्य। आप बिराजिये। (व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण बिल है आगे। प्लीज इसके बारे में काफी चर्चा हो गयी।

श्री सुरेश मीणा : उनकी भावना है बोलने की है लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता..... (व्यवधान)

श्री सभापति : जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, आसन पैरों पर है।

श्री सभापति : आप शुरू करिये न बोलना... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपको व्यवस्था क्या दी कुछ तो बता दो (व्यवधान)

श्री सभापति : बता दिया न मैंने।

श्री सुरेश मीणा : हमें कम से कम जवाब तो दिया जाए ... (व्यवधान)

श्री सभापति : 131 पर यहां निर्णय नहीं होता है कभी भी। सीनियर सदस्य जानते है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपकी व्यवस्था को मान रहे हैं कल लास्ट दिन है इस महत्वपूर्ण विषय को कैसे उठायेंगे ?

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि जब तक सदन में व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं ? यह आसन की जिम्मेदारी है कि सदन की व्यवस्था कायम करे।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य ही अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री संयम लोढा : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के हित में बोलने पर घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य को इस सरकार के मंत्रीयों ने जिस तरह धमकाया है वह बहुत +++ है और इससे इस सरकार की मनोवृत्ति पता चलती है कि दलित वर्ग के पक्ष में बोलने वाले लोगों के प्रति इस सरकार की क्या सोच है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : इस तरह की भावना रखते हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह +++ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कल्ला जी, माननीय लीडर आफ अपाजिशन।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्यों को जिस प्रकार .... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय लीडर आफ अपोजिशन, आप नियन्त्रित करिये अपने सदस्यों को। आप जानते हैं नियमों की व्याख्या को। व्यवस्था दे दी गयी हैं और व्यवस्था नहीं मान रहे हैं। बैठाइये उनको। श्री जुबेर खान, बोलिये.... (व्यवधान) अब बैठ जाइये। हो गया। हो गया। बैठिये। नहीं बोलना चाहते आप ? मोहम्मद माहिर आजाद (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले एस.सी./एस.टी. का फैसला होगा।

श्री सभापति : इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है.... (व्यवधान) ..... ऐसे कोई तरीका हुआ क्या ?

श्री सुरेश मीणा : हमें जवाब तो मिले.... (व्यवधान) .....

श्री सभापति : ऐसे आप थोप नहीं सकते सदन में। आप थोप नहीं सकते। आप बैठिये प्लीज। क्या हो रहा है यह ? व्यवस्था दी है.... (व्यवधान) .....

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में इस सरकार के मंत्रीयों ने दलित वर्ग के पक्ष में बोलने पर घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य को जिस ढंग से प्रताडित किया है पूरा राजस्थान का सदन इसको देख रहा था। बहुत +++ है और इस पार्टी और सरकार की यह दलित विरोधी नीति इस सदन में उजागर हुई है।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा। श्री संयम लोढ़ा। श्री रामनारायण मीणा। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। श्री चन्द्रशेखर बैद। डा. सी.पी. जोशी। श्री हेमाराम चौधरी। श्री प्रहलाद गुंजल। श्री अमराराम (धोद)। श्री विष्णु मोदी।

(उपरोक्त माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे नहीं हुए)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डशः विचार</u>

खण्ड-2 व 3-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री प्रभुलाल सैनी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री जुबेर खान। श्री संयम लोढ़ा। श्री रामनारायण मीणा। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। डॉ. चन्द्रशेखर बैद। डॉ. सी.पी. जोशी।

(उपरोक्त माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) ...... (व्यवधान) आप इनको बैठाइये। टेक यूअर सीट प्लीज। हो गया बहुत हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, हम मतदान की मांग कर रहे हैं उसको भी आप नहीं सुन रहे हैं। मत विभाजन की मांग को भी आप नहीं सुन रहे हैं। यह क्या बात हुई ?

श्री सभापति : टेक यूअर सीट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मत विभाजन की मांग को भी आप नहीं सुन रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। यह एक्ट बिलकुल गलत पास हुआ है।

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये। टेक यूअर सीट प्लीज। श्री हेमाराम चौधरी। डा. श्री गोपाल बाहेती। श्री अमराराम (धोद)। श्री विष्णु मोदी। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

(उपरोक्त माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा। श्री खुशवीर सिंह जोजावर। श्री हरिमोहन शर्मा। डा. श्री गोपाल बाहेती। श्री प्रहलाद गुंजल। श्री विष्णु मोदी। श्री जुबेर खान। श्री अमराराम (धोद)।

(उपरोक्त माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(श्री सभापति)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। श्री महीपाल सिंह यादव।

(उपरोक्त माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य सडक विकास निधि विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 12-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 12 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक पर पारण

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य सडक विकास निधि विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य सडक विकास निधि विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 4 अगस्त, 2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.11 बजे बुधवार, दिनांक 4 अगस्त, 2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तिजारा (अलवर) तहसील का भिवाड़ी औद्योगिक विकास अभिकरण

457. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा में भिवाड़ी औद्योगिक विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो किस निगम (एक्ट) व प्रक्रिया के तहत व नियम (एक्ट) कब से प्रभावी हुये ? उक्त नियम (एक्ट) कब व कहां से पारित हुआ ? नियमों की प्रति मय प्रावधानों एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों के सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नियम (एक्ट) नहीं बनाये गये तो उक्त अभिकरण द्वारा जो कामकाज किया गया वह किस नियम (एक्ट) के तहत किया गया ? बिना नियम (एक्ट) कानून के किये गये कार्य को क्या सरकार वैध मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किये गये अवैध सभी कार्यों को रद्द किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा में भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्थापना की गयी थी। इस प्राधिकरण की स्थापना राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम -1995 की धारा 3 की उप-धारा (1), (4) व (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.5(49) उद्योग 1/93 दिनांक 11-3-1997 जारी कर की गयी थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1995 की धारा 1(3) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् दिनांक 1-3-1997 से यह अधिनियम

(उद्योग मंत्री)

प्रभावी हुआ। राजस्थान राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का विधेयक संख्या-29) राजस्थान विधान सभा में 3 नवम्बर, 1995 को पुरः स्थापित किया गया तथा पारित होने के पश्चात् दिनांक 16-8-1996 को महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुये हैं। अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त वर्णित एक्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है। एक्ट के तहत ही कार्य किये गये हैं। अतः उन्हें अवैध मानने अथवा रद्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

173 (परिशिष्ट)

[illegible]

[illegible]/93 Jaipur, dated [illegible] March, [illegible]

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred [illegible] sub-section (1), (4) and (5) of section 4 of [illegible] Industrial Areas Development Authority [illegible] the State Government hereby constitutes the [illegible] Industrial Development Authority for [illegible] Industrial Area (Phase I, II, [illegible]) of [illegible] Industrial Area) situated in District Alwar, [illegible], as follows :-

1.	Managing Director, RIICO.	Chairman.
2.	To be appointed by the State Government U/S 4 of the Act.	Vice-Chairman.
3.	Additional Chief Engineer, PWD [illegible]	Member
4.	Spl. Secretary (Exp.), Finance Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.	Member
5.	Secretary to Govt. of Raj., Urban Development, Housing, Town Planning & Local Self Department or his nominee not below the rank of Dy. Secretary.	Member
6.	Additional Chief Engineer, PHED (Hqrs.), Jaipur.	Member
7.	[illegible] Engineer, RSEB, [illegible]	Member
8.	Collector, Alwar	Member
9.	Regional Officer, Rajasthan Board for Prevention and Control of Pollution, Bhiwadi	Member
10.	Five members to be nominated by the Government from amongst entrepreneurs of the area.	Member

The headquarters of the Authority shall be at [illegible].

By Order of the Governor,

(R. Venkataraman)
Dy. Secretary to Government

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

174

क्रमांक: प.5(49)उद्यो/1/95 जयपुर, दिनांक: 28 FEB 1997

: अधिसूचना :

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्या 7) की धारा [illegible] द्वारा (3) द्वारा प्रदत्त [illegible] में राज्य सरकार 1 मार्च, 1997 को उस तारीख के रूप में नियत करती है। जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर0 वेंकटेश्वरन)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0, जयपुर को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना को अंग्रेजी के साथ राजस्थान राजपत्र के भाग 4 (ग) के विशेषांक दिनांक 1 मार्च, 1997 तक निश्चित रूप से प्रकाशित करने के लिए अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को निर्देशित करने की कृपा करें।
2. प्रबंध निदेशक, रीको लि0, जयपुर।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, राज0, जयपुर।
4. विधि (प्रारूपण) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

बैराठ में हरे वृक्षों की अवैध कटाई

458. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र में सूखे पेड़ों की कटाई के लिए कोई नियम हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन क्षेत्र में सूखे पेड़ों के नाम पर हरे पेड़ों की अवैध कटाई के लिए भी कोई नियम हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ में पिछले पांच वर्षों में सूखे पेड़ों के नाम पर अवैध कटाई का कोई प्रकरण सामने आया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं और उन पर सरकार द्वारा कब व क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पेड़ों की कटाई स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार ही की जा सकती है।

(2) जी नहीं। वन क्षेत्र में अवैध कटाई होने पर अपराधियों के विरूद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।

(3) बैराठ विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्रों में गत पांच वर्षों (1999-2000 से 2003-2004) में अवैध कटाई के कुल 382 प्रकरण दर्ज किये गये हैं उनमें की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" पर दर्शाया गया है।

(4) उपरोक्त अवैध कटान में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही का विचार नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

बैराठ विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में दर्ज अवैध कटान के प्रकरण एवं उन पर की गयी कार्यवाही का वर्षवार/रेंजवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	अवैध कटान के दर्ज प्रकरणों की संख्या	फैसल प्रकरणों की संख्या	वसूल की गयी शास्ति (रूपये में)	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1.	99-2000	68	51	21380	17
2.	2000-01	85	73	29456	12
3.	2001-02	91	63	36927	28
4.	2002-03	75	27	15464	48
5.	2003-04	63	41	18657	22
	योग	382	255	121884	127

बांदीकुई में स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्रों में कर्मियों का पदस्थापन

459. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र कार्यरत हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों/उप केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं ? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पशु चिकित्सा उप केन्द्र भावता, गुढलिया और काटरवाड़ा गत वर्ष स्वीकृत किये गये थे,

(श्री मुरारी लाल मीणा)

लेकिन अभी तक इनको चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब इन उप केन्द्रों को कब तक चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 5 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एवं 8 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कार्यरत हैं, जो ग्रामवार निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	पुश चिकित्सालय	क्र.सं.	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकि. बांदीकुई	1.	उपकेन्द्र, अरनियां
2.	पशु चिकित्सालय, बसवा	2.	उपकेन्द्र, कोल्वाग्राम
3.	पशु चिकित्सालय, द्वारापुरा	3.	उपकेन्द्र, पिचूवाड़ा कलां
4.	पशु चिकित्सालय, बडियाल कलां	4.	उपकेन्द्र, सोडाला
5.	पशु चिकित्सालय, गुढाकटला	5.	उपकेन्द्र, बिवाई
	पशु औषधालय	6.	उपकेन्द्र, कोलाना
1.	पशु औषधालय, अलीपुर	7.	उपकेन्द्र, लोटवाड़ा
2.	पशु औषधालय, धनावड़	8.	उपकेन्द्र, गुल्लाना

(2) उक्त पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्रों में से निम्नांकित संस्थाओं में पद रिक्त हैं :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सालय, द्वारापुरा	पशु चिकित्सा अधिकारी - 1 पद

क्र. सं.	संस्था का नाम	रिक्त पद
2.	पशु चिकित्सालय, बड़िया कलां	पशु चिकित्सा सहायक - 1 पद
3.	पशु चिकित्सालय, गुढ़ाकटला	सईस - 1 पद

जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें नहीं खोला गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-460

(स्थगित)

निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु नीति

461. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(2) सरकार को इस सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार का संकल्प है। इस हेतु विधेयक के प्रारूप का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने बाबत् नवम्बर, 2002 से जुलाई, 2004 तक 8 प्रस्ताव प्राप्त हुये, परन्तु विधेयक के अस्तित्व में नहीं आने से उन पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

462. श्री नवरतन राजौरिया (फुलेरा), श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ), श्री जीतराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई एवं उससे पुलिस बल का क्या आधुनिकीकरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में रू. 1617.10 लाख की राशि स्वीकृत की गयी। इस राशि में से रू. 1565.68 लाख राज्य सरकार को प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से रू. 51.42 लाख डी.सी.पी.डब्ल्यू नई दिल्ली को पोलनेट प्रोजेक्ट हेतु सीधे ही दिये गये।

वर्ष 2003-04 में केन्द्र सरकार द्वारा राशि रू. 4302.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी। केन्द्र सरकार द्वारा इस राशि में से रू. 2422.75 लाख सीधे ही विभिन्न निर्माण कार्य हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराये गये। राशि रू. 1098.40 लाख राज्य सरकार को प्राप्त हुए। पोलनेट प्रोजेक्ट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि रूपये 232.52 लाख सीधे ही डी.सी.पी.डब्ल्यू. को दी गई। शेष राशि में केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही 122 हल्के वाहन उपलब्ध कराये गये तथा पुलिस दूरसंचार के उपकरण उपलब्ध होने हैं।

(2) वर्ष 2002-03 में उपलब्ध करायी गयी, राशि रू. 1565.68 लाख माह मार्च के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई थी जिससे वर्ष 2003-04 में पुर्नवैध कराकर निम्न अनुसार व्यय किया गया :-

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	नाम मद	राशि (लाख रूपये)
1.	पुलिस थाना भवन, आवासीय भवन एवं प्रशासनिक भवनों का निर्माण (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)	1157.70
2.	अपराध शाखा का आधुनिकीकरण 1. अपराध सतर्कता हेतु हल्के वाह्न एवं मोटर साईकिल	12.71
3.	सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण 1. पुलिस थानों हेतु हल्के वाह्न 2. अस्थाई गार्ड हेतु पोर्टाहट 3. हाईवे पेट्रोलिंग हेतु हल्के वाह्न	336.16
4.	सामान्य पुलिस (वितन्तु) का आधुनिकीकरण 1. वायरलैस रिपिटर्स 2. एच.एफ. वायरलैस सैट	10.71
5.	पुलिस मुख्यालय हेतु कम्प्यूटर्स का आधुनिकीकरण	48.40
	योग	1565.68

वर्ष 2003-04 में प्राप्त राशि रू. 1098.40 लाख की स्वीकृति माह मार्च, 2004 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण कोई व्यय वर्ष 2003-04 में नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में उक्त राशि को व्यय करने की स्वीकृति दिनांक 30-4-2004 को प्रदान कर दी गई है तथा इस राशि का बजट वर्ष 2004-05 में प्रावधान रखा गया है। जिसमें निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाकर पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जावेगा :-

क्र.सं.	नाम मद	राशि (लाख रूपयों में)
1.	अपराध शाखा का आधुनिकीकरण	625.20

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	नाम मद	राशि (लाख रूपयों में)
2.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	83.91
3.	सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	137.60
4.	सामान्य पुलिस (वितन्तु) का आधुनिकीकरण	116.27
5.	होमगार्ड का आधुनिकीकरण	96.42
6.	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा निर्माण कार्य	39.00
	योग	**1098.40**

निजी कम्पनियों में कार्यरत विक्रय अभिकर्ताओं हेतु न्यूनतम वेतनमान

463. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत निजी कम्पनियों के दवा व सेल्स प्रतिनिधियों के लिए सरकार न्यूनतम वेतनमान लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार इनके विवादों के निपटारे हेतु ट्रिब्यूनल के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 राज्य में कार्यरत निजी कम्पनियों के दवा व सेल्स प्रतिनिधियों के लिए पूर्व से ही लागू है।

(2) जी नहीं। क्योंकि श्रम न्यायालय ही ऐसे वादों की सुनवाई करता है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 1 जुलाई, 2004)

बेरोजगारों हेतु स्थाई रोजगार गारंटी योजना

12. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी है तथा बेरोजगारी दूर करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित 1, 2 और 5 वर्ष की योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य एवं कार्य योजना निर्धारित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में सीधी भर्ती हेतु कुल कितने पद रिक्त हैं ? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कोई स्थायी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजिका के अनुसार दिनांक 31-12-2004 को कुल 794838 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे। बेरोजगारी दूर करने हेतु राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष एक लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसरों के सृजन करने का लक्ष्य रखा है।

रोजगार से तात्पर्य केवल राज्य सरकार की नौकरियों से ही नहीं है। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जायेगा। वर्ष 2004-05 में गैर सरकारी क्षेत्र तथा लघु, मध्यम वृहद तथा ग्रामीण उद्योगों, खादी ग्रामोद्योग, विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी मजदूरी के रूप में रोजगार सृजन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में 26521 सहयोगिनियों का चयन तथा 33936 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।

(2) 122 विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

राज्य में सीधी भर्ती हेतु दिनांक 31-3-2004 की स्थिति के अनुसार 61558 पद रिक्त हैं। सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या-464

(स्थगित)

सरकारी भूमि का खान मालिकों के नाम म्यूटेशन

465. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि खान क्षेत्र में सरकारी भूमि को खान मालिकों के नाम म्यूटेशन कर दिया जाए ? यदि हां, तो अब तक कितने जिलों में यह कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ?

(2) इन जिलों में खान का आबंटित क्षेत्र कितना था उसमें कितना क्षेत्र सरकारी भूमि थी और कितने खान आबंटित क्षेत्र में म्यूटेशन हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि बाकी रहे क्षेत्र में म्यूटेशन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जा चुका है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा यह निर्देशित नहीं किया गया है कि खान क्षेत्र में सरकारी भूमि को खान मालिकों के नाम म्यूटेशन कर दिया जावे, परन्तु राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17-1-2002 से निर्देशित किया गया है कि जो वर्तमान में खनन लीज है उसका अंकन खान व राजस्व विभाग सम्बन्धित क्षेत्र का सर्वे कर खसरा नम्बर तथा उसके क्षेत्रफल का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में सुनिश्चित करेंगे। अब तक यह कार्यवाही बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमन्द एवं श्रीगंगानगर जिलों में पूर्ण कर ली गई है।

(खनिज मंत्री)

(2) इन जिलों में खानों का आबंटित क्षेत्र 66608.0081 हैक्टेयर है। इसमें से 48952.2382 हैक्टयेर क्षेत्र सरकारी भूमि है तथा सम्पूर्ण 48952.2382 हैक्टेयर क्षेत्र का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है।

(3) जी हां। बाकी रहे अधिकांश मामलों में खनन क्षेत्रों को राजस्व नक्शों पर सुपरइम्पोज कर सम्बन्धित तहसीलदारों को म्यूटेशन हेतु भिजवा दिया गया है। सम्बन्धित जिला कलक्टरों एवं तहसीलदारों से निरन्तर सम्पर्क कर कार्य शीघ्र ही पूरा करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता

466. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा 41 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों में कांउसलिंग के बाद छात्रों को विद्यालयों का आबंटन कर दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकरण पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि 2000 छात्र-छात्राओं का भविष्य इन विद्यालयों से जुड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इन विद्यालयों को कब तक सरकार प्रारम्भ कर देगी ?

(6) इन विद्यालयों को प्रारम्भ नहीं करने के लिए कौन दोषी है ? सरकार दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 में 44 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित जिला कलक्टरों की समिति से इन संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी।

(5) व (6) जिला कलक्टरों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

चौहटन तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल

467. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौहटन की सरूपे का तला, रमजान की गफन चालीस किलोमीटर लम्बी योजना के अन्तिम छोर व बीच की शाखाओं के गांव/ढ़ाणियां व बस्तियों में पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो किन-किन में तथा कितने वर्षों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त ग्रामों को उक्त नल योजना से कब तक जल वितरण प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

(3) चौहटन तहसील के सिंहाणिया, हातला व अन्य जल स्रोतों से साता, हाथला, बाखासर, भलगांव, बावरवाला, तरला व भंवरिया पंचायतों में कितने गांव ऐसे हैं जो नल योजना से जुड़े हुये होने के उपरान्त भी पानी नहीं पहुंच रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री गंगाराम चौधरी)

(4) चौहटन तहसील की धोनिया जल स्रोतों से जुड़े हुये ग्राम पोशाल व बिडाणियों की ढ़ाणी में पिछले कितने वर्षों से जल आपूर्ति बन्द है ? इस समस्या के हल हेतु सरकार की क्या योजना है ? इसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(5) चौहटन तहसील के ग्राम भादुपुरा, भारीयों की बस्ती हेतु किस प्रकार की जल प्रदाय योजना विभाग के विचाराधीन है ? इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्णित ग्राम क्षेत्रीय जलयोजना नवातला-कुम्हारों का टीबा के अन्तर्गत लाभान्वित है। इस योजना से लाभान्वित एवं इनमें से जिन ग्राम/ढ़ाणियों में वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है, का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	योजना से लाभान्वित		योजना के अन्तिम छोर के ग्राम/ढ़ाणी जिनमें वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है।	
	ग्राम	ढ़ाणी	ग्राम	ढ़ाणी
क्षेत्रीय जल योजना नवातला- कुम्हारों का टीबा	22	9	11	1

प्रभावित ग्राम एवं ढ़ाणियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्रभावित ग्राम एवं ढ़ाणियों में विभाग द्वारा की जा रही तात्कालिक व्यवस्था का उल्लेख परिशिष्ट-"अ" में समाहित है। पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए इस योजना के पुनर्गठन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृति प्राथमिकता व धन उपलब्धि अनुसार सम्भव हो सकेगी।

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) वर्णित ग्राम 2 क्षेत्रीय जल योजनाओं क्रमशः सिंहानिया-बाखासर व सिंहानिया-पनोरिया के अन्तर्गत लाभान्वित है। इनमें से जिन ग्राम/ढाणियों में वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है, का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	योजना से लाभान्वित		योजना के अन्तिम छोर के ग्राम/ढाणी जिनमें वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है।	
	ग्राम	ढाणी	ग्राम	ढाणी
क्षेत्रीय जल योजना सिंहानिया-बाखसर	14	17	3	4
क्षेत्रीय जल योजना सिंहानिया-पनोरिया	11	7	2	2

प्रभावित ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने बाबत की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"ब" में समाहित है।

(4) वर्णित दोनों ग्राम क्षेत्रीय जलयोजना घोनिया-बीजराड के अन्तर्गत लाभान्वित है। बीजराड़ से बिण्डानियों की ढाणी के मध्य 20-25 वर्ष पुरानी डाली गई एम.एम. पाइप लाइन जंग लगने से जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त होने के कारण इन दोनों गांवों में इस योजना से पेयजलापूर्ति विगत 2 वर्षों से बन्द है। इन दोनों गांवों में वर्तमान में आवश्यकतानुसार टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन चालू है।

समस्या के समाधान हेतु क्षतिग्रस्त एम.एस. पाइप लाइन को बदलने के लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। जिनका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2006 तक किया जाना प्रस्तावित है।

(5) वर्णित दोनों ग्रामों हेतु कोई पेयजल योजना वर्तमान में स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। ये दोनों ग्राम वर्ष 1996 में नये राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं। सन्दर्भित क्षेत्र में अधिक गहराई पर सीमित भू-जल उपलब्ध होने तथा भू-जल आवक क्षमता कम होने के कारण विश्वसनीय स्रोत के चयन बाबत भू

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

-जल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। स्रोत चयन उपरान्त प्राथमिकता धन उपलब्धि अनुसार योजना स्वीकृत करना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-"अ"

क्षेत्रीय पेयजल योजना नवातला-कुम्हारों का टीबा से जुड़े ग्राम/ढाणियों में पेयजल स्थिति का विवरण

क्र. सं.	ग्राम/ढाणी का नाम	कोड नं.	जन-संख्या 1991	वर्तमान पेयजलापूर्ति की स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सरूप का तला	93/2	1711	जल वितरण हो रहा है।	कंटीजेन्सी प्लान (पंचम) के तहत सरूप का तला में 2 और नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है।
2.	मेगवालों की ढाणी	93/3	500	जल वितरण हो रहा है।	
3.	हसन की ढाणी	93/2	150	जल वितरण हो रहा है।	
4.	मीए का तला	92	1009	जल वितरण हो रहा है।	
5.	जोगराज सिंह की ढाणी	91/2	56	जल वितरण हो रहा है।	
6.	मिठडाउ	91	2173	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
7.	समेलों का तला	89	497	जल वितरण हो रहा है।	
8.	भीलों का तला	90	224	जल वितरण हो रहा है।	
9.	अर्जन का तला	87/2	256	जल वितरण हो रहा है।	
10.	हूरों का तला	88/2	350	जल वितरण हो रहा है।	
11.	नवातला जैतमाल	88	1704	जल वितरण हो रहा है।	
12.	लिडियाला	38	464	जल वितरण हो रहा है।	
13.	शोमाला जैतमाल	37	373	जल वितरण हो रहा है।	
14.	हूडो की ढाणी	37/2	300	जल वितरण हो रहा है।	
15.	जाखडों की ढाणी	37/5	200	जल वितरण हो रहा है।	
16.	जेठानियों की ढाणी	37/3	150	जल वितरण हो रहा है।	
17.	केलनोर	36	1206	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
18.	उदसिमार	34	448	जल वितरण हो रहा है।	
19.	माणक का तला	88/3	256	2 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टेंकर पहुंचना सम्भव नहीं है परन्तु स्थानीय स्त्रोत से गांववासी पानी ले रहे है।
20.	आरबी की गुफन	33	745	जल वितरण अनियमित है।	टेंकरों द्वारा जल वितरण
21.	रासबानी	30	412	2 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टेंकरों द्वारा जल वितरण
22.	भीलों का तला	28	157	2 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टेंकरों द्वारा जल वितरण
23.	हैजम का तला	29	130	10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टेंकरों द्वारा जल वितरण
24.	सादुल की गफन	26	213	5 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टेंकरों द्वारा जल वितरण

1	2	3	4	5	6
25.	तमाची की गफन	25	264	5 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
26.	रमजान की गफन	7	507	5 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
27.	लखे का तला	6	55	10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
28.	भोजारिया	5	1964	6 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
29.	भभूते की ढाणी	4	755	10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
30.	राठौडान का तला	2	182	10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण
31.	कुम्हारों का टीबा	1	184	10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकरों द्वारा जल वितरण

परिशिष्ट-"ब"

क्र. सं.	ग्राम/ढाणी का नाम	कोड नं.	जन-संख्या 1991	वर्तमान पेयजलापूर्ति की स्थिति	विवरण
1. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सिहानिया बाखासर					
1.	साता	254	705	जल वितरण हो रहा है।	
2.	कुम्हारों की ढाणी	254/2	150	जल वितरण हो रहा है।	
3.	रंगवाली	255	302	जल वितरण हो रहा है।	
4.	हाथला	252	446	जल वितरण हो रहा है।	2 ओपनवैल में कंटींजेन्सी प्लान के तहत वर्टीकल बोरिंग कार्य प्रस्तावित है।
5.	फकीरों की बेरी	252/2	3300	8 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकर पहुंचना सम्भव नहीं है परन्तु स्थानीय स्रोत से गांववासी पानी ले रहे हैं।
6.	छोटा हाथला	252/3	300	लगभग 1 वर्ष से जल वितरण नहीं हो रहा है।	इस वर्ष निजी कुएं से जल सप्लाई की गई। (मई, 2004 एवं जून, 2004

1	2	3	4	5	6
					में) वर्तमान में ग्रामवासी स्थानीय स्रोत से पानी ले रहे हैं।
7.	बछवाल	257	98	7 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	इस वर्ष गर्मी में लगभग एक माह जल वितरण किया, वर्तमान में ग्रामवासी स्थानीय स्रोत से पानी ले रहे हैं। टैंकर द्वारा भी जलापूर्ति।
8.	मोगावा	247	262	7 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकर से जलापूर्ति।
9.	बाखासर	260	1900	जल वितरण हो रहा है।	
10.	नगे भील की ढाणी	260/2	150	जल वितरण हो रहा है।	
11.	सोठो की ढाणी	260/5	200	जल वितरण हो रहा है।	
12.	कालू पडियार की ढाणी	260/6	150	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
13.	बिरंछा बेरी	260/7	300	जल वितरण हो रहा है।	
14.	चान्दासनी	259	246	जल वितरण हो रहा है।	
15.	कचेर्लो की ढाणी	259/6	0	जल वितरण हो रहा है।	
16.	बोरला	267	189	जल वितरण हो रहा है।	
17.	रडवा	260/8	250	7 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकर पहुंचना सम्भव नहीं है। योजना के जल स्रोत सिहाणिया में कंटीजेन्सी प्लान (पंचम) के तहत खुले कुओं में वर्टिकल बोरिंग प्रस्तावित है।
18.	बावरवाला	262	1100	जल वितरण हो रहा है।	
19.	तोजा की ढाणी	262/4	40	जल वितरण हो रहा है।	
20.	नवापुरा	264	400	लगभग 10 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	योजना के जल स्रोत सिहाणिया में कंटींजेन्सी प्लान (पंचम) के

1	2	3	4	5	6
					तहत खुले कुओं में वर्टिकल बोरिंग प्रस्तावित है। टैंकर से जलापूर्ति।
21.	भलगांव	258	284	जल वितरण हो रहा है।	
22.	गनेगा रबारी की ढाणी	258/2	100	जल वितरण हो रहा है।	
23.	रबारियों की ढाणी	258/3	150	लगभग 7 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	वर्तमान में ढाणी गैर आबाद है।
24.	ब्राह्मणों की ढाणी	258/4	200	जल वितरण हो रहा है।	
25.	लालपुरा	258/5	200	जल वितरण हो रहा है।	
26.	तारीसरा	261	108	जल वितरण हो रहा है।	
27.	सादुल की ढाणी	261/5	40	जल वितरण हो रहा है।	
28.	अरटा	246/4	450	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
29.	भीलों की ढाणी	246/3	200	जल वितरण हो रहा है।	
30.	सुहाजी	256	421	जल वितरण हो रहा है।	
31.	अरटी	246	661	जल वितरण हो रहा है।	
2. क्षेत्रीय जलयोजना सिहानिया पनोरिया					
1.	सिहानिया	212	880	जल वितरण हो रहा है।	
2.	बरूचो की ढाणी	212/2	150	जल वितरण हो रहा है।	
3.	मालाना भील की ढाणी	212/3	80	जल वितरण हो रहा है।	
4.	हरचन भील की ढाणी	212/4	250	जल वितरण हो रहा है।	
5.	तरला	270	636	जल वितरण हो रहा है।	
6.	कुम्हारों की ढाणी	270/2	200	लगभग 7 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	वर्तमान में ग्रामवासी स्थानीय स्रोत से पानी ले रहे हैं।
7.	अम्बावा	269	123	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
8.	सोनारडी	269/2	200	जल वितरण हो रहा है।	
9.	मेघानियों की ढाणी	269/3	150	जल वितरण हो रहा है।	
10.	कचला रबारी की ढाणी	269/4	72	जल वितरण हो रहा है।	
11.	गंगासरिया	268	393	जल वितरण हो रहा है।	
12.	पाण्डरवाली	265	400	लगभग 5 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	ग्रामवासी हैण्ड पम्प से पानी ले रहे हैं और टैंकर से वितरण हो रहा
13.	सूरता कोली की ढाणी	265/2	250	लगभग 5 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	टैंकर से वितरण हो रहा है।
14.	गिडा	271	912	जल वितरण हो रहा है।	
15.	डीडावा	279	609	जल वितरण हो रहा है।	
16.	खारी	277	749	जल वितरण हो रहा है।	

1	2	3	4	5	6
17.	भंवरिया	266	325	लगभग 4 वर्षों से जल वितरण नहीं हो रहा है।	हैण्ड पम्प चालू है।
18.	सावलासी	272	200	जल वितरण हो रहा है।	

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 23 जुलाई, 2004)

यातायात पुलिस, जयपुर द्वारा जब्त वाहन

287. श्री सुरेश मीणा (करौली) एवं मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यातायात पुलिस द्वारा जयपुर शहर में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से अब तक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 207 के तहत कितनी बसों, मिनी बसों, जीप व अन्य वाहनों की भिन्न-भिन्न स्थानों से भिन्न-भिन्न सवारियां लेने, परमिट की शर्तें भंग करने या परमिट न होने के सम्बन्ध में जब्ती की कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वाहनों में से यातायात पुलिस, जयपुर द्वारा अपने स्तर पर उक्त अवधि में किन-किन वाहनों को मुक्त किया गया। किन-किन वाहनों का उपरोक्त अंकित आरोप में राजीनामा कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। कितनी राशि का जुर्माना किया गया। कितने प्रकरण बगैर राजीनामा एवं शास्ती के फाइल किए गए और कितने प्रकरण में चालान सक्षम न्यायालयों में पेश किये गये ? मय वाहन संख्या, वाहन जब्त/मुक्त करने की दिनांक जुर्माना एवं कम्पाउण्डिंग राशि, वाहन मुक्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद मय सम्बन्धित फर्द जब्ती एवं चैकिंग मीमो असल (जिल्द) किए गए चालानों की प्रतियां व सम्बन्धित वाहनों का कम्प्यूटर में दर्ज विवरण की

(श्री सुरेश मीणा)

प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परमिट की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों में वगैर वाहन के जब्त किए गए चालान स्वयं के स्तर पर ही जुर्माना/राजीनामा/फाइल किए गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे वाहनों के प्रकरणों का स्वयं के स्तर पर निस्तारित करने वाले अधिकारी का नाम, पद, वाहन संख्या, तारीख चालान/निस्तारण, जुर्माना राशि मय प्रतियां, चालान व असल रिकार्ड का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भिन्न-भिन्न स्थानों की पृथक्-पृथक् सवारियां लेने, परमिट शर्तों के अनुसार परमिट न होने पर वाहनों द्वारा किए गए अपराध को बिना सक्षम न्यायालय से दण्डात्मक कार्यवाही हुए इसे यातायात पुलिस, जयपुर द्वारा छोड़ा जा सकता है। फाइल किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आलोच्य अवधि में यातायात पुलिस जयपुर शहर द्वारा एम.वी. एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने, भिन्न भिन्न स्थान से सवारियां लेने के मामलों में 47 बसों, 92 मिनी बसों, 667 जीपों व 8 अन्य वाहनों को जब्त किया गया है। सूची परिशिष्ट-"अ", "ब", "स", "द" पर संलग्न है।

(2) एम.वी. एक्ट की धारा 66/192ए में पुलिस को कम्पाउण्ड करने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रकरणों को न्यायालय में पेश किया जाता है। आलोच्य अवधि में 40 बसों, 90 मिनी बसों व 596 जीपों व 8 अन्य वाहनों के चालान न्यायालय में पेश किये गये। कई प्रकरणों में चालक/मालिक के शिकायत करने पर कि उनका वाहन गलत जब्त किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों द्वारा परिवादी को सुनकर तथा इस बात से सन्तुष्ट होकर कि एम.वी. एक्ट की धारा 66/192 ए का अपराध नहीं किया गया है तथा एम.वी. एक्ट की अन्य धाराओं का अपराध किया गया है। ऐसे प्रकरणों में 7 बसों, 1 मिनी बस व 39

(गृह मंत्री)

जीप चालकों से जुर्माना लिया गया है। कुछ प्रकरणों में एम.वी. एक्ट की किसी धारा का अपराध घटित नहीं होने पर 1 मिनी बस व 32 जीपों को बिना जुर्माना दिये मुक्त किया गया। वाहनों का अपने स्तर पर जुर्माना अथवा कोई जुर्म नहीं करने पर मुक्त करने का निस्तारण करने वाले अधिकारियों के नाम व पद, वाहन की फर्द जब्ती, चैकिंग मिमो, चालानों की प्रतियां इत्यादि अल्प अवधि में उपलब्ध कराने में असमर्थता है। शेष विवरण परिशिष्ट-"अ" से "द" पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि परमिट शर्तों का उल्लघंन करने पर बिना वाहन जब्त किये यातायात पुलिस द्वारा चालान किये गये हैं। आलोच्य अवधि में 313 बसों, 818 मिनी बसों, 1302 जीपों व 183 अन्य वाहनों के चालान किये गये है। जिनमें से 294 बसें, 751 मिनी बसें, 1128 जीपें व 169 अन्य वाहनों के चालान न्यायालय में पेश किये गये। गलत चालान होने की शिकायत मिलने पर जांच से सन्तुष्ट होने पर 13 बसों, 13 मिनी बसों, 55 जीपों व 2 अन्य वाहनों द्वारा एम.वी. एक्ट की अन्य धाराओं का अपराध पाये जाने पर वाहन चालक/मालिक के सहमत होने पर क्रमश: 1900, 1700, 9000 व 500 रूपये जुर्माना लिया गया व 6 बसों, 54 मिनी बसों, 119 जीपों व 12 अन्य वाहनों द्वारा एम.वी. एक्ट का कोई अपराध साबित नहीं होने पर स्वयं के स्तर पर निस्तारित करने वाले अधिकारी का नाम, पद, चालानों की प्रतियां व असल रेकार्ड अल्प अवधि में उपलब्ध कराने में असमर्थता है। शेष विवरण परिशिष्ट-"ई" से "एच" पर अंकित है।

(4) परमिट की शर्तों के अनुसार परमिट नहीं होने पर वाहन चालक द्वारा किये गये अपराध के लिए बिना न्यायालय से दण्डनात्मक कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता है ना ही फाइल किया जा सकता है।

भिन्न-भिन्न स्थानों से पृथक्-पृथक् सवारियां लेने पर यदि वाहन चालक चालान होने के पश्चात् धारा 72 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत मंजिले वाहन (स्टेज कैरिज) का परमिट पेश कर देता है जिसमें उसे भिन्न-भिन्न

(गृह मंत्री)

स्थानों से सवारियां ले जाने का अधिकार है तो सक्षम अधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होने पर वाहन को छोड़ा जा सकता है।

एम.वी. एक्ट की धारा 130 के अनुसार परमिट बाद में पेश करने का जुर्माना लिया जा सकता है। नियमों की सूची परिशिष्ट-"आई", "जे" पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नवलगढ़ के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

468. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अध्यापकों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो कब से ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नवलगढ़ के अध्यापकों को कार्यालय उप जिला कलक्टर, नवलगढ़ में काफी समय से प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है ? यदि हां, तो किस-किस को कब से एवं कब तक लगाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रतिबन्ध के बावजूद यदि गलत तरीके से अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है तो दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) जी हां। उप जिला कलक्टर, नवलगढ़ कार्यालय में अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। नियुक्त अध्यापकों की सूची परिशिष्ट-"ख" संलग्न है।

(3) गलत तरीके से प्रतिनियुक्ति के प्रकरण प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा शिक्षकों की अन्य विभागों में की गई प्रतिनियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

(558)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.5(11)शिक्षा/ग्रुप-2/98 जयपुर, दिनांक 10.6.98

आदेश

[illegible] शैक्षिक [illegible] पदों में [illegible] होने के कारण शैक्षिक [illegible] में [illegible] उत्पन्न होने [illegible] व्यवधान को [illegible] प्रयोजनार्थ, निम्न लिखित [illegible]/[illegible]/[illegible] के [illegible] अन्य [illegible] और शैक्षिक गतिविधि में [illegible] नियोजन [illegible] निषेध किया जाता है :-

1. [illegible] एवं [illegible] शिक्षा [illegible] ।
2. [illegible]
3. राष्ट्रीय जनगणना,
4. राष्ट्रीय सरकार [illegible] तथा [illegible] द्वारा प्रायोजित [illegible] की महत्वपूर्ण [illegible] ।
5. [illegible] गणना ।

[illegible] अनुमोदित [illegible] है ।

ह0
(कृष्ण कुमार)
[illegible]

परिशिष्ट-ख

193

[illegible]

1	2	3	4
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 21.5.04
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 13.10.03
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 18.10.03 [illegible] 29.02.04 [illegible] 31.3.04 [illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 28.11.03 [illegible] 31.3.04 [illegible] 3.04
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 28.11.03 [illegible] 29.01.04 [illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

देवगढ़ (भीम) पुलिस थाना का क्रमोन्नयन

469. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के कस्बा देवगढ़ में पुलिस थाना देवगढ़ को क्रमोन्नंत कर वहां उप निरीक्षक स्तर के स्थान पर वृत्त निरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि देवगढ़ पुलिस थाना पर महिला पुलिस कर्मी की नियुक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार उक्त नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के कस्बा देवगढ़ में पुलिस थाना देवगढ़ को क्रमोन्नत कर वहां उप निरीक्षक स्तर के स्थान पर वृत्त निरीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। पुलिस थाना देवगढ़ में एक महिला पुलिस कानिस्टेबल को महिला डेस्क स्थापित कर पदस्थापित किया हुआ है।

टौंक के बीड़ी कारखानों में कार्यरत श्रमिक

470. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक शहर में बीड़ी बनाने वाली इकाइयों में काम करने वाली "बीड़ी कामगारों" का शोषण होता है और इनकी हालत बहुत खराब है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन कारखानों में बाल श्रमिकों से कार्य करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बीड़ी कामगारों की स्थिति का निरीक्षण करवा कर इन्हें उचित मजदूरी, उचित चिकित्सा सुविधाएं एवं अन्य परिलाभ दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि

(श्री जीतराम)

हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त कारखानों में कार्य करने वाले महिला और पुरूष श्रमिक की औसत मजदूरी क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) बीड़ी बनाने वाले महिला एवं पुरूष श्रमिकों को 1000 बीड़ी बनाने पर औसत रूप से 46 रूपये 50 पैसे मजदूरी देय है।

बूंदी जिले की प्रदूषित औद्योगिक इकाइयां

471. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी की कितनी औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया और उनके विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस-किस औद्योगिक इकाई का वर्ष 2002-03 व 2003-04 में निरीक्षण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी की 28 औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है।

उक्त 28 इकाइयों में से 23 इकाइयों को ज़ल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) व 2 इकाइयों को जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण

(खनिज मंत्री)

(निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं।

शेष 3 इकाइयों के विरूद्ध उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करना आवश्यक है। वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 में बूंदी जिले की औद्योगिक इकाइयों के किये गए निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 2002-2003 व 2003-2004 के दौरान बूंदी जिले में किये गये उद्योगों का निरीक्षण

क्र. सं.	उद्योगों का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	उत्पाद	श्रेणी	प्रकार
1.	मैसर्स शंकर उद्योग, गोविन्दपुरा बावड़ी, बूंदी	8-7-2002	स्टोन	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
2.	मैसर्स लाखेरी सीमेन्ट (ए.सी.सी.) लाखेरी	16-7-2002	सीमेन्ट	17 प्रकार लाल श्रेणी	वृहत् उद्योग
3.	मैसर्स रूप स्टोन क्रेशर, गोविन्दपुरा बावड़ी, बूंदी	24-7-2002	गिट्टी	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
4.	मैसर्स महावीर स्टोन क्रेशर, बासनी, जिला बूंदी	17-10-2002	गिट्टी	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग

1	2	3	4	5	6
5.	मैसर्स चेतक एन्टरप्राइजेज, बासनी, जिला बूंदी	17-10-2002	गिट्टी	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
6.	मैसर्स जी.पी. सेवाल प्रा.लि. रामगंज बालाजी, बूंदी	23-12-2002	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग
7.	मैसर्स लाखेरी सीमेन्ट (एसीसी) लाखेरी	27-1-2003	सीमेन्ट	17 प्रकार लाल श्रेणी	वृहत् उद्योग
8.	मैसर्स रीको आटो लि., सिलोट रोड, बूंदी	13-3-2003	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग
9.	मैसर्स मृतिका, बूंदी	9-6-2003	मिनरल ग्राइड	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
10.	मैसर्स लाखेरी सीमेन्ट (एसीसी) लाखेरी	31-7-2003	सीमेन्ट	17 प्रकार लाल श्रेणी	वृहत् उद्योग
11.	मैसर्स रूचि सोया लि., गोविन्दपुरा, बूंदी	24-11-2003	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग
12.	मैसर्स अग्रवाल मारबल इण्डस्ट्रीज, गोविन्दपुरा, बूंदी	25-8-2003	स्टोन	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग

1	2	3	4	5	6
13.	मैसर्स उत्सव स्टोन क्रेशर, नैनवां, बूंदी	20-1-2004	ग्रिट	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
14.	मैसर्स चांदना स्टोन क्रेशर, खटकड़, बूंदी	20-1-2004	ग्रिट	नारंगी श्रेणी	लघु उद्योग
15.	मैसर्स लाखेरी सीमेन्ट लाखेरी	3-2-2004	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग
16.	मैसर्स जी.पी. सेवाल प्रा.लि., रामगंज बालाजी, बूंदी	19-3-2004	सीमेन्ट	17 प्रकार लाल श्रेणी	वृहत् उद्योग
17.	मैसर्स रीको आटो लि., सिलोट रोड, बूंदी	26-3-2004	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग
18.	मैसर्स रुचि सोया लि., गोविन्दपुरा, बूंदी	8-6-2004	खाद्य तेल	लाल	वृहत् उद्योग

तारानगर (चूरू) के पशुपालकों के दूध के जिला हनुमानगढ़ में बिक्री पर रोक

472. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू की तारानगर तहसील के पशुपालकों द्वारा गत चार वर्षों से हनुमानगढ़ जिले के नोहर दुग्ध संकलन केन्द्र पर दूध का विक्रय किया जा रहा था ?

(2) क्या यह सही है कि हाल ही में उपरोक्त व्यवस्था बन्द कर तारानगर तहसील के पशुपालकों द्वारा चूरू जिले के दुग्ध संकलन केन्द्रों को ही दूध बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले के सरदारशहर डेयरी, राजगढ़ उप ब्रांच सरदारशहर डेयरी एवं गंगमूल डेयरी की दुग्ध विक्रय दर एक समान नहीं है ? इसी प्रकार चूरू एवं हनुमानगढ़ जिले के दुग्ध संकलन केन्द्रों की दरें भी एक समान नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार पूर्व व्यवस्था के अनुसार तारानगर क्षेत्र का दुग्ध हनुमानगढ़ जिले में बेचने की रोक हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। एक जून से 10 जुलाई, 2004 तक दूध चुरू दुग्ध संघ को बेचा गया, क्योंकि तारानगर चुरू दुध संघ के कार्य क्षेत्र में आता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। दिनांक 11-7-2004 पूर्व की स्थिति पुनः प्रभावी कर दी गयी है।

लूणी नदी साइफन व पुलियाओं के निर्माण पर व्यय

473. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नर्बदा नहर पर बने लूणी नदी साइफन व पुलियाओं पर कुल कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह कार्य करने के पश्चात् पानी आने के पहले ही उपरोक्त कार्य कुछ स्थानों से टूट चुके हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार के घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नर्मदा नहर के लूणी नदी साइफन जो कि वर्तमान में अपूर्ण है, पर रूपये 106.52 लाख, पुलियाओं के निर्माण पर रूपये 298.52 लाख व्यय हुए हैं। परिशिष्ट-"अ" सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पुलियों की एप्रोच जिस-जिस जगह से टूटी का विवरण परिशिष्ट-"ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा कराये गये परीक्षण के आधार पर कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाया गया है। तदनुसार जन लेखां समिति को सूचित किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-"अ"

नर्मदा मुख्य नहर परियोजना सांचौर के विभिन्न स्थल पर पुलियों के निर्माण एवं लूणी साइफन पर किये गये व्यय की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
(ए) पुलिया			
1.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 0.75	19.87	
2.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 2.495	18.74	
3.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 5.750	21.86	
4.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 6.45	10.47	
5.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 7.10	18.39	
6.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 10.70	18.85	
7.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 12.00	8.48	

1	2	3	4
8.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 12.760	17.94	
9.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 14.00	8.39	
10.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 15.40	19.60	
11.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 19.750	3.22	
12.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 24.500	9.11	
13.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 25.200	9.09	
14.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 25.900	10.52	
15.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 26.900	10.30	
16.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 27.900	16.00	
17.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 35.530	8.80	
18.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 36.100	9.21	
19.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 41.880	8.81	
20.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 42.750	9.05	
21.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 44.130	9.28	
22.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 45.660	9.06	
23.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 46.900	11.34	
24.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 47.700	12.14	
	योग:-	**298.52**	
(बी)	25 लूणी नदी पर साइफन किमी. 52.00	**106.52**	
	कुल योग:-	**405.04**	

परिशिष्ट-"ब"

नर्मदा नहर पर वर्ष 2001-02 में पुलियों की एप्रोच में कटाव तथा क्षतिग्रस्त का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 19.750
2.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 24.500
3.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 25.200
4.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 25.900
5.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 26.900
6.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 27.900
7.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 35.530
8.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 36.100
9.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 41.880
10.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 42.750
11.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 44.130
12.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 45.660
13.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 46.900
14.	वी.आर.बी. निर्माण किमी. 47.700

जिला प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों को वितरित सहायक शिक्षण सामग्री

474. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु कितनी राशि दी जा रही है ?

(2) इस राशि एवं निर्मित सामग्री के शिक्षण कार्य में उपयोग के निरीक्षण की क्या व्यवस्था है ? क्या राशि के दुरूपयोग की शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 19 जिलों के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को रू. 500/- सहायक शिक्षण सामग्री (शिक्षण अधिगम सामग्री/टी.एल.एम.) के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष दी जा रही हैं।

इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 जिलों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को छोड़कर) राज्य के सभी जिलों में राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को रू. 500/- सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।

(2) (i) जिला परियोजना समन्वयकों की राज्य स्तर पर आयोजित मासिक बैठक में टी.एल.एम. राशि एवं निर्मित सामग्री के उपयोग की समीक्षा की जाती है।

(ii) राज्य स्तर पर नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलों में अवलोकन के दौरान उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

(शिक्षा मंत्री)

(iii) जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में परिवीक्षण के दौरान विद्यालयों का अवलोकन किया जाता है।

(iv) बी.आर.सी.एफ. एवं सी.आर.सी.एफ. विद्यालयों के अवलोकन के दौरान टी.एल.एम. राशि के वितरण एवं उसके सही उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है।

(v) विद्यालयों में टी.एम.एल. राशि से खरीदी गई सामग्री का रेकार्ड रखा जाता है एवं उसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

(vi) टी.एल.एम. राशि के दुरूपयोग की शिकायतें आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

भीलवाड़ा जिले में जहरीली शराब से मृत्यु

475. श्री रामलाल (सिरोही) एवं श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में दिसम्बर, 2003 में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं कितने लोग बीमार हुए ? उक्त घटना के सम्बन्ध में किस-किस थाने में क्या-क्या मामले किन-किन धाराओं में दर्ज किए गए ? प्रत्येक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटना में मरने वालों में कितने शवों का पोस्टमार्टम किया गया एवं कितनों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की ओर से किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता दी गई ? घटना किस तिथि को हुई एवं सहायता राशि किस-किस तिथि को कितनी-कितनी किस-किस को प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(4) जहरीली शराब किन लोगों के द्वारा बांटी गई एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई ? गिरफ्तार किए गए लोगों एवं लापता अथवा फरार लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में क्या-क्या मामले दर्ज हैं ?

(5) उक्त मामलों की जांच में अपराध की धारा के निर्धारण के सम्बन्ध में क्या सरकार की ओर से भी राय दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में दिसम्बर, 2003 में जहरीली शराब पीने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 49 व्यक्ति बीमार हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना गुलाबपुरा पर मुकदमा नं. 97/04 धारा 328, 336, 304 आई.पी.सी. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम में दिनांक 6-5-2004 को दर्ज किया गया।

थाना गुलाबपुरा में ही एक अन्य प्रकरण 98/04 धारा 323, 336, 304 आई.पी.सी. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 7-5-2004 को दर्ज किया गया।

थाना बनेड़ा में मुकदमा नं. 72/04 धारा 328, 304 आई.पी.सी. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 7-5-2004 को दर्ज किया गया। उक्त तीनों प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त घटना में मृत हुए 5 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया गया जबकि 2 मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) घटनाएं दिनांक 5-5-2004 से 7-5-2004 के मध्य घटीं तथा दिनांक 7-5-2004 को मृतकों सर्वश्री किशनसिंह राजपूत, शंकरसिंह राजपूत, दल्लानाथ, नरेन्द्रसिंह राजपूत, बालू बैरवा तथा कालू दरोगा की आश्रित पत्नियों, प्रत्येक को राज्य सरकार की ओर से 50,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। मृतक लाडू की पत्नि को दिनांक 7-5-2004 को 10,000/- रूपये तथा दिनांक

(गृह मंत्री)

9-5-2004 को राज्य सरकार की ओर से 40,000/- रूपये की सहायता प्रदान की गई। सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) गुलाबपुरा में कवलियास नामक स्थान पर नानू तेली, महावीर सिंह, रघुवीरसिंह, जगाराम पटवारी, धनसिंह राजपूत तथा इनके सहयोगियों द्वारा शराब वितरित की गई। इनके खिलाफ थाना गुलाबपुरा में मुकदमा नं. 97/04 धारा 328, 336, 304 भा.द.स. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें धनसिंह पुत्र चान्दसिंह राजपूत, जगदीश प्रसाद पुत्र रघुनन्दन ब्राह्मण एवं भगवान सिंह पुत्र माती सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया जा चुका है। तथा रघुवीरसिंह राजपूत, नानू तेली, महावीर सिंह, लक्ष्मीलाल रांका, चन्दू भण्डारी तथा विनोद जोशी की गिरफ्तारी शेष है।

थाना गुलाबपुरा पर एक अन्य मुकदमा 98/04 धारा 328, 336, 304 भा.द.स. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया। जिसमें दो व्यक्तियों रामनिवास पुत्र मांगीलाल माहेश्वरी तथा देवकरण पुत्र गोकुल खारौल को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकरण में महावीरसिंह राजपूत निवासी सनोदिया महावीर सिंह राजपूत निवासी रूपाहेली, नानूराम तेली, रघुवीर सिंह राजपूत तथा सौभागसिंह राजपूत की गिरफ्तारी शेष हैं।

बनेड़ा थाना हल्के में नानू पुत्र खेमा खटीक तथा रतनलाल पुत्र रामस्वरूप सोमाणी द्वारा जहरीली शराब बांटी गई जिनके विरूद्ध थाना बनेडा में प्रकरण संख्या 72/04 धारा 328, 304 भा.द.स. तथा 16/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया है। प्रकरण में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। इस समबन्ध में सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(5) उक्त तीनों प्रकरणों में उप निदेशक अभियोजन, अजमेर सम्भाग, अजमेर द्वारा कानूनी राय दी गई है। तीनों ही अभियोग अभी तक अन्वेषणाधीन है, इसलिए विधान सभा नियमावली के अध्याय-7 के नियम 37 के भाग 20के प्रावधानानुसार राय को सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं होगा।

परिशिष्ट-अ

मुकदमा नं. 72/04 के आरोपी नानू पुत्र खेमा खटीक के विरूद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	परिणाम
1.	67/87	19/54	बनेड़ा	दिनांक 3-9-1990 को सजा हुई है।
2.	130/89	16/54 आबकारी अधिनियम	बनेड़ा	न्यायालय में विचाराधीन है।

मुकदमा नं. 97/04 के मुल्जिम रघुवीर सिंह, जगदीश पुत्र रघुनन्दन जोशी एवं चन्दु भण्डारी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण

रघुवीरसिंह	1.	179/93	341, 323 भा.द.स.	न्यायालय में राजीनामा हुआ है।
जगदीश एवं चन्दु भण्डारी	1.	165-03	147, 148, 149, 332, 353, 180, 336, 283, 186 भा.द.सं. एवं 3 पी.डी.पी.वी. एक्ट	न्यायालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट-ब

मुकदमा नं. 98/04 के मुल्जिम देवकरण, महावीर सिंह पुत्र देवीसिंह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण

देवकरण	1.	211/91	341, 323 भा.द.स.	न्यायालय में राजीनामा हुआ है।
महावीर सिंह	1.	25/86	147, 323, 379 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

2.	45/87	323, 341 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
3.	64/89	341, 323 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
4.	177/90	452, 323 भा.द.स. व 3(1) (10) एससी/एसटी एक्ट	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
5.	264/96	341, 323 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
6.	143/97	452, 427, 323 भा.द.स. एवं 3(1) (10) एस सी/एसटी एक्ट	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
7.	247/99	19/64 आबकारी अधिनियम	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
8.	296/99	143, 341, 323, 336 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
9.	304/99	341, 323 भा.द.स.	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
10.	83/02	16/54, 19/54 आबकारी अधिनियम	न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

महुआ के निलम्बित राशन डीलर

476. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनता को केरोसिन एवं अन्य खाद्य सामग्री उचित मूल्य के डीलर नियुक्त कर उपलब्ध कराई जाती है ?

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

यदि हां, तो कितनी जनसंख्या पर कितने उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त करने का प्रावधान है ? नियम सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुआ में किस-किस ग्राम पंचायत के कितने-कितने डीलर नियुक्त हैं ? क्या ये मानदण्ड के अनुरूप पर्याप्त हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें, नहीं तो क्या सरकार और मानदण्ड के अनुरूप डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र महुआ में 90 दिन की अधिक अवधि से कितने उचित मूल्य के दुकानदार निलम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। साधारणतः 2000 व्यक्तियों पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देश हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं यातायात के साधनों आदि को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर इससे कम व्यक्तियों पर भी उचित मूल्य की दुकान खोल सकते हैं। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"क" एवं परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुआ की तहसील महुआ में कार्यरत डीलरों की सूची परिशिष्ट-"ग" पर एवं तहसील टोडाभीम के डीलरों की सूची परिशिष्ट-"घ" पर संलग्न है। वर्तमान में नियुक्त डीलर पर्याप्त हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र महुआ में 6 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र 90 दिवस से अधिक अवधि से निलम्बित है। विवरण निम्न प्रकार है

तहसील महुआ

1. मै. राजीव वशिष्ठ, एफपीएस डीलर, मंडावर
2. मै. शिवकुमार शर्मा, एफपीएस डीलर, ग्राम साथा
3. मै. रूपनसिंह जाट, एफपीएस डीलर, ग्राम पंचायत ढण्ड हिस्सा 1/2

तहसील टोडाभीम

1. मै. रतन सिंह गुर्जर, एफपीएस डीलर; देवलेन
2. रामूलाल मीणा, एफपीएस डीलर, सिंघनीया
3. रामहरि गुर्जर, एफपीएस डीलर, मूडिया

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार
खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:एफ 97(3)खा.वि./सा.वि.प्र./2001 जयपुर,दिनांक 15 नव. 2002

समस्त जिला कलेक्टर (रसद),
राजस्थान ।

विषय:—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं इसके प्रभावी संचालन के क्रम में ।

महोदय,

[illegible] दिनांक 17.11.2001 [illegible] माननीय मुख्यमंत्री महोदय, [illegible] एवं सहकारिता [illegible] में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की [illegible] गई थी । [illegible] के फलस्वरूप [illegible] स्थिति में [illegible] से जरूरतमंद परिवारों का खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह सख्त निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। उन्होंने यह निर्देश दिये हैं कि दूर-दराज के [illegible] सभी उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न सामग्री [illegible] पर और नियमित रूप से जावे इसके लिए [illegible] डिलीवरी सुनिश्चित की जावे [illegible] अधिकारी आयोजन के [illegible] कर दिये गये हैं। [illegible]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध में निम्न [illegible] लिये गये हैं :-

यह [illegible] सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में यह सुनिश्चित करेंगे कि जो उचित मूल्य की दुकानें रिक्त हैं, उन्हें सामान्य प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 15 दिसम्बर तक आवंटित कर दिया जावे । इस [illegible] में विभाग के द्वारा [illegible] आवंटन सलाहकार समिति प्रक्रिया [illegible] अपनी अभिशंषा 15 दिसम्बर से पूर्व जिला कलेक्टर को प्रेषित [illegible] यदि सलाहकार समिति द्वारा 15 दिसम्बर तक अपनी सिफारिशें जिला कलेक्टर [illegible] नहीं की जाती है तो जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है कि वे [illegible] सलाहकार समिति की अभिशंषा [illegible] के आधार पर [illegible] उचित मूल्य की दुकान के आवंटन की [illegible] ।

[illegible] उचित मूल्य की [illegible] भौगोलिक परिस्थितियों में [illegible] उचित मूल्य की दुकान [illegible] । राज्य सरकार ने [illegible] यह निर्णय लिया है कि [illegible] राज्य के विषम भौगोलिक परिस्थितियों को [illegible] दूर-दराज के क्षेत्र जो [illegible] से [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] उचित मूल्य की दुकान खोले जाने का [illegible] कि हर परिस्थिति में दूर-दराज [illegible] परिवारों को नियमित [illegible] हो सके । इस प्रकार की नई दुकानें

[illegible] जिला कलेक्टरों [illegible] अधिकृत किया जाता [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वयं अपने स्तर से दुकान [illegible] कर सकते।

जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में स्थित उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध में [illegible] ग्राम पंचायत में, यदि वे आवश्यक समझते हैं तो वर्तमान में स्थित [illegible] [illegible] पटल के रूप में अन्य किसी ग्राम में भी वर्तमान अधिकार [illegible] [illegible] पटल खोले जाने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

[illegible]

[illegible] जिला कलेक्टर जिला स्तरीय अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्धता एवं वितरण किया जाता है। इस हेतु जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ नियोजित करें तथा प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे और उसकी साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टर स्वयं करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी [illegible] प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके [illegible] [illegible] [illegible] प्रवर्तन [illegible] यदि पाये में लापरवाही [illegible] तो उनके विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का पालन अवश्य किया जावे तथा नियमित रूप से अपने-अपने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा कर विभाग को [illegible] [illegible] कराया जावे।

ह० [illegible]

हरिकृष्ण [illegible]
आयुक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि – [illegible]

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान [illegible]
[illegible], ग्रामीण [illegible] आयोजना [illegible]

क्रमांक:-97(8)ग्रा0वि0/ग्रा0रो0/050/2000 जयपुर, दिनांक: 27-9-03

आदेश

[illegible] योजना [illegible] संचालन के क्रम में जारी [illegible] दिशा-निर्देश दिनांक [illegible] के बिन्दु संख्या 2 [illegible] 2000 [illegible] पर [illegible] नहीं [illegible] जाये।

भवदीय,

[illegible]

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

(1)- समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
(2)- समस्त जिला [illegible] अधिकारी, राजस्थान।

[illegible]

परिशिष्ट-"ग"

पंचायत समिति महुआ

कार्यरत डीलरों की सूची

कोड सं.	न.पा./ पंचायत	वार्ड	कोड सं. उ.मू. दुकान	नाम उ. मूल्य दुकानदार	
188	रींदली		0430	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	
			0431	रिक्त	
189	रायपुर		0432	राजबहादुर मीणा	
190	मण्डावर		0433	क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मण्डावर	
			0434	अशोक कुमार गुप्ता	
			0435	राजीव वशिष्ठ	
			0436	दिनेश फागना	
			0437	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मण्डावर	
191	बनावड़		0438	रामावतार गुप्ता	
192	गढ़ हिम्मत सिंह		0439	ग्राम सेवा सहकारी समिति	
			0440	महेश कुमार शर्मा	

1	2	3	4	5	6
193	कोट		0441	ग्राम सेवा सहकारी समिति कोट	
			0442	किशोरीलाल खटीक	
194	हल्देना		0443	ग्राम सेवा सहकारी समिति	
			0444	रिक्त	
195	रसीदपुर		0445	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	
			0446	ओमप्रकाश गुप्ता	
			0447	रिक्त	
196	उकरूंद		0448	मानसिंह मीणा	
197	जटवाड़ा		0449	ग्राम सेवा सहकारी समिति जटवाड़ा	
			0450	नन्दकिशोर शर्मा	
198	पाखर		0451	तोताराम गुर्जर	
199	धौलखेड़ा		0452	रामजीलाल मीणा	
			0453	कालूराम मीणा	
200	सालिंमपुर		0454	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	
			0455	मोहनलाल मीणा	
201	केसरा		0456	माधोसिंह राजपूत	
			0457	भीमसिंह गुर्जर	

1	2	3	4	5	6
202	महवा		0458	राधामोहन गोयल	
			0459	गणेशनारायण एण्ड संस	
			0460	प्रहलाद कुमार गोयल	
			0461	राकेश कुमार शर्मा	
			0462	दामोदर प्रसाद गुप्ता	
			0463	अशोक कुमार गुप्ता	
			0464	गिर्राज प्रसाद सैनी	
			0465	मुकेश कुमार गुप्ता	
			0466	सुनील कुमार गुप्ता	
			0467	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. महवा	
203	ठेकड़ा		0468	कल्याण प्रसाद शर्मा	
			0469	बनवारी लाल शर्मा	
204	समलेटी		0470	गिल्याराम मीणा	
			0471	रूपसिंह मीणा	
205	गंगवाना		0472	गेन्दाराम मीणा	
			0473	विश्म्भरदयाल गुप्ता	
			0474	भीमसिंह गुर्जर	
206	नौरंगवाड़ा		0475	ठण्डीराम मीणा	
			0476	रामावतार मीणा	

1	2	3	4	5	6
207	बालाहेड़ी		0477	प्रकाश चन्द गुप्ता	
			0478	गोयनका उपभोक्ता भण्डार	
			0479	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	
208	टुडियाना		0480	सियाराम गुर्जर	
			0481	बाबूलाल बैरवा	
209	हुडला		0482	बाबूलाल मीणा	
			0483	लक्ष्मण मीणा	
210	रामगढ़		0484	कमलेश एण्ड कं.	
			0485	सीताराम जांगिड़	
			0486	रिक्त	
211	कमालपुर		0487	घनश्याम मीणा	
212	पाली		0488	जगदीश प्रसाद शर्मा	
			0489	बनीराम गुर्जर	
213	रोतहडिया		0490	संजय आयल स्टोर	
			0491	हुकमसिंह राजपूत	
			0492	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रौंत	
214	खेड़ला गदाली		0493	राधेश्याम मीणा	
215	खौंचपुरी		0494	ग्राम सेवा सहकारी समिति साहिड़ा	

1	2	3	4	5	6
			0495	बनवारी लाल शर्मा	
216	पलानहेड़ा		0496	बच्चूसिंह मीणा	
			0497	रिक्त	
217	सांथा		0498	धर्मसिंह मीणा	
			0499	शिवकुमार शर्मा	
			0500	जगदीश प्रसाद जैन	
218	गहनोली		0501	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	
			0502	मनोहर सिंह	
			0503	शिवरतन गुर्जर	
219	गाजीपुर		0504	रामनिवास विशम्भरदयाल	
			0505	पदमसिंह गुर्जर	
			0506	मुकेश गुर्जर	
220	औण्डमीना		0507	सहीराम गुर्जर	
			0508	दिलीप कुमार मीणा	
221	पावटा		0509	जनकसिंह गुर्जर	
			0510	गिर्राज प्रसाद गुर्जर	
			0511	धर्मसिंह गुर्जर	
222	खेड़ला बुजुर्ग		0512	ग्राम से.स.स. लि.	

1	2	3	4	5	6
			0513	रिक्त	
223	बाडाबुजुर्ग		0514	सलीम खां	
			0515	ग्राम से.स.स. लि.	
			0516	रिक्त	
224	बड़ागांव		0517	सन्तोष कुमार जैन	
			0518	ग्राम सेवा स.स. लि.	
225	तालचिड़ी		0519	अरूण कुमार जैन	
			0520	श्रीमती केसरी देवी मीणा	
226	ढण्ड		0521	ग्राम सेवा सहकारी समिति शीशवाड़ा	
			0522	रूपसिंह जाट	
227	सलेमपुर		0523	नरसीराम गुर्जर	
			0524	भगवान सिंह गुर्जर	
228	नाहिड़ा		0525	ग्राम सेवा सहकारी समिति साहिड़ा	
			0526	लाडमसिंह गुर्जर	

जिला रसद अधिकारी,
दौसा (राज.)

परिशिष्ट-"घ"

विधान सभा क्षेत्र महुआ टोडाभीम तहसील क्षेत्र के डीलरों की सूची

कोड सं.	नाम/पंचायत ग्राम	यूनिट	डीलर
1.	बौल	6570	श्री राम स्वरूप मीणा श्री कालूसिंह गुर्जर
2.	बालघाट	7845	श्री महेशचन्द माली जी.एस.एस. बालघाट
3.	कुड़ावल	6865	श्री रामस्वरूप मीणा जी.एस.एस. करीरी
4.	जौंल	7686	श्री राजूलाल मीणा
5.	महमदपुर	5698	श्री रेखासिंह गुर्जर
6.	तिघरिया	5954	श्री विशम्भरसिंह गुर्जर
7.	देवलेन	8144	श्री देवीराम गुर्जर श्री रतनसिंह गुर्जर
8.	जगदीशपुरा	4186	श्री नंगूराम बैंसला
9.	सिंघानिया	3973	श्री रामूलाल मीणा जी.एस.एस. तालारामपुरा
10.	मूढिया	6561	श्री हनुमत सिंह गुर्जर श्री रामहरि गुर्जर

कोड सं.	नाम/पंचायत ग्राम	यूनिट	डीलर
11.	कटारा अजीज	4042	श्री जगरूप सिंह गुर्जर श्री हंसराज गुर्जर
12.	लपावली	4067	श्री शहीद खां

जिला रसद अधिकारी,
करौली।

भादरा में लकड़ी विक्रय केन्द्र की स्थापना

477. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से सूखे पेड़ों को कटवा कर वन विभाग भादरा से नोहर ढुलाई कर विभागीय इकाई में जमा कर विक्रय करवाता है ? यदि हां, तो क्या भादरा क्षेत्र में काटे गये सूखे वृक्षों को वन विभाग भादरा में ही जमा कराकर विक्रय करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वन विभाग भादरा क्षेत्र में भी विभागीय लकड़ी डिपो खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन मण्डल हनुमानगढ़ की रेन्ज भादरा में गिरे पडे सूखे वृक्षों को नो कार्य इकाई के विक्रय भादरा क्षेत्र में एकत्रित सूखे वृक्षों को भादरा में करने की विचाराधीन नहीं है।

(2) भादरा क्षेत्र में लकड़ी डिपो खोलने की लाभान्वित न होने से विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर में दुग्ध संकलन केन्द्र

478. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सरकार के दूध खरीदने के उपयुक्त अधिकृत केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं और जहां हैं वहां भी पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित मूल्य के अधिक से अधिक अधिकृत केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के 7 केन्द्रों से वर्तमान में दुग्ध संकलित किया जा रहा हैं और दूध हेतु क्रय दर रूपये 94.99 प्रति किलो फेट व रू. 63.33 प्रति किलो एस.एन.एफ. की दर से भुगतान किया जा रहा हैं। जो कि राज्य में औसत क्रय दर के बराबर है। नये संकलन केन्द्र, संकलन मार्गों की आर्थिक सक्षमता (Viablity) देख कर खोले जाते हैं।

राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र (चूरू) का भू-जल स्तर

479. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) के गांव नवां, चान्दगोठी, गुडाण-थिरयाली छोटी के कुओं के पानी का जलं स्तर कम हो गया तथा कुछ कुए बिलकुल सूख गये हैं ? यदि हां, तो जल स्तर प्रतिवर्ष कितना कम हो रहा है ?

(2) क्या सरकार घटते जल स्तर पर चिन्तित है ? यदि हां, तो सरकार घटते जल स्तर को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार काश्तकारों को नीचे बोर करने के लिए बोरिंग मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार तालाब, एनीकट, खड़ीन आदि कार्य करवा रही है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति राजगढ़ (जिला चूरू) के ग्राम चान्दगोठी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में भूजल स्तर की सूचना

उपरोक्त विधान सभा प्रश्न में पंचायत समिति राजगढ़ (जिला चूरू) के ग्राम नवां, चान्दगोठी तथा थिरपाली छोटी के कुओं के पानी के जल स्तर की जानकारी पूछी गई है। इस ग्रामों के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित ग्राम चान्दगोठी, रामपुरा, सांखू तथा थिरपाली बड़ी में भू-जल विभाग के द्वारा पीजोमीटर्स तथा की-वैल्स के माध्यम से प्रति वर्ष भू-जल स्तर मापा जाता है। इस ग्रामों में वर्ष 1999 से वर्ष 2004 में वर्षा पूर्व अवधि में मापे गये भू-जल स्तर की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	गांव का नाम	वर्षा पूर्व अवधि में भूमि सतह से भू-जल स्तर की गहराई (मीटर)					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.	चान्दगोठ	48.56	49.69	50.72	51.10	52.89	54.20
2.	रामपुरा	50.53	51.30	52.09	53.07	54.01	54.18
3.	सांखू	37.07	37.16	37.38	37.25	37.40	36.71
4.	थिरपाली बड़ी	55.81	56.85	58.04	59.43	62.03	63.55

निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) राजकीय महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

480. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 1977 में खोला गया था ? यदि हां, तो इस समयावधि के पश्चात् वर्ष 1977 से वर्ष 2003-04 तक राजस्थान में कहां-कहां महाविद्यालय खोले गए ?

(2) राज्य में महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(3) वर्ष 1977 के पश्चात् खोले गए महाविद्यालयों में से कितने महाविद्यालय कहां-कहां स्नातकोत्तर (पी.जी.) में क्रमोन्नत किए गए ?

(4) क्या राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा सरकार के मानदण्ड अनुसार स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत होने की पात्रता रखता है ? यदि हां, तो सरकार इस महाविद्यालय को कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 1000 होनी चाहिए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से स्थाई मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भ किये जाने वाले विषय/विषयों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधायें जैसे कि कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकें आदि की व्यवस्था का होना आवश्यक है।

(3) वर्ष 1977 के पश्चात् खोले गये राजकीय महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय को राज्य के बजट से क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, नोहर में सत्र 2003-04 में हिन्दी, इतिहास, लेखा एवं सांख्यिकी एवं राजकीय महिला महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान में वर्ष 1977 से 2003-04 तक राजकीय क्षेत्र में खोले गये महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष
1.	राजकीय महाविद्यालय, नोहर	1984
2.	राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ़	1990
3.	राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़	1990
4.	राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	1991
5.	राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर	1991
6.	राजकीय महाविद्यालय, बयाना	1991
7.	राजकीय महिला महाविद्यालय, अजमेर	1994
8.	राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द	1994
9.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बारां	1995
10.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बूंदी	1995
11.	राजकीय महिला महाविद्यालय, झालावाड़	1995

1	2	3
12.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पाली	1995
13.	राजकीय महिला महाविद्यालय, टोंक	1995
14.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1995
15.	राजकीय महिला महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	1995
16.	राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी	1995
17.	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	1996
18.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	1996
19.	राजकीय महाविद्यालय, मेड़तासिटी	1996
20.	राजकीय महिला महाविद्यालय, डूंगरपुर	1996
21.	राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा	1996
22.	राजकीय महिला महाविद्यालय, रतनगढ़	1997
23.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बालोतरा	1997
24.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बाड़मेर	1997
25.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पिपाड़सिटी	1997
26.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नागौर	1997
27.	राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा	1997
28.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया	1997
29.	राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा	1997

1	2	3
30.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरोही	1997
31.	राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर)	1997
32.	राजकीय महिला महाविद्यालय, कोटपूतली	1997
33.	राजकीय महिला महाविद्यालय, करौली	1998
34.	राजकीय महिला महाविद्यालय, जैसलमेर	1998
35.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नाथद्वारा	1998
36.	राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़	1998
37.	राजकीय महाविद्यालय, तारानगर	1999
38.	राजकीय महाविद्यालय, रामगंजमण्डी	1999
39.	राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़	1999
40.	राजकीय महिला महाविद्यालय, जालौर	1999
41.	राजकीय महाविद्यालय, फलौदी	1999
42.	राजकीय महाविद्यालय, आमेट	1999
43.	राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज	1999
44.	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	1999
45.	राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमूं	1999
46.	राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं	1999
47.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना	1999
48.	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी	1999

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में अनुपयोगी उपकरण

481. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में हजारों मामले काफी समय से लम्बित हैं ? यदि हां, तो कब से ? लम्बित प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयवपुर में करोड़ों रूपये के उपकरण बेकार पड़े हैं ? जिनका कभी एक बार भी उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो ऐसे उपकरणों की सूची मय क्रय की गई कीमत के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में एक्सरे मशीन, डी.टी.ए., एच.पी.टी.एल.सी. कलर फोटो उपकरण, जी.सी.एम.एस., 120 आग बुझाने के उपकरण आदि करोड़ों रूपये के उपकरण पहले से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो आधुनिकीकरण के नाम पर अनावश्यक उपकरण भारतीय व्यापार संगठन, नई दिल्ली के माध्यम से क्यों खरीदे गए या खरीदे जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में दिनांक 30-6-2004 तक कुल 8164 प्रकरण लम्बित है ? लम्बित प्रकरणों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रलेख खण्ड	रसायन खण्ड	ए एवं ई खण्ड	जैविक खण्ड	भौतिकी खण्ड	अस्त्रक्षेप खण्ड	विष खण्ड	सीरम खण्ड	योग
1998	-	-	-	-	-	-	1749	-	1749
1999	-	-	-	01	-	-	1319	-	1320
2000	-	-	07	04	-	-	1223	-	1234

वर्ष	प्रलेख खण्ड	रसायन खण्ड	ए एवं ई खण्ड	जैविक खण्ड	भौतिकी खण्ड	अस्त्रक्षेप खण्ड	विष खण्ड	सीरम खण्ड	योग
2001	-	02	10	09	85	-	-	-	106
2002	-	09	34	35	160	115	-	-	353
2003	228	124	95	299	216	183	27	13	1185
2004	191	642	70	445	175	125	212	357	2217
योग	**419**	**777**	**216**	**793**	**636**	**423**	**4530**	**370**	**8164**

(2) जी नहीं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में करोड़ों के उपकरण बेकार नहीं पड़े हुए हैं। केवल एक कलर फोटो उपकरण स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होने व कम्पनी के इन्जीनियर द्वारा भी इसे सन्तोषप्रद कार्य योग्य नहीं बनाये जाने के कारण उपयोग में नहीं आ रहा है। यह उपकरण वर्ष 1995-96 में क्रय किया गया था जिसकी कीमत 10.00 लाख रूपये है।

(3) जी नहीं। पुलिस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में एक्सरे मशीन, डी.टी.ए., एच.पी.एल.सी., जी.सी.एम.एस. आदि करोड़ों रूपये के उपकरण पहले से बेकार नहीं पड़े हैं। 120 आग बुझाने के उपकरण न तो उपलब्ध है और न ही बेकार पड़े हैं। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार केवल एक कलर फोटो उपकरण प्रयोग नहीं आ रहा है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नवीनतम उपकरण प्रयोगशाला द्वारा अपराध की उन्नत विधियों के समावेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्रय किये जा रहे है। वर्ष 2002-03 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 3.83 करोड़ के अतिसंवेदनशील उपकरण प्राप्त हुये हैं जिनका इंस्टालेशन के बाद उपयोग किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों की प्रयोगशालाओं की तरह राजस्थान की विधि प्रयोगशाला हेतु भारतीय व्यापार संगठन के द्वारा उपकरण मंगवाये जाते हैं।

खिड़गी ग्राम (निवाई) के अग्नि पीडितों को सहायता

482. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या अकाल एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम खिड़गी में दिनांक 28 मार्च, 2004 को अग्निकाण्ड हुआ था ? यदि हां, तो इस अग्निकाण्ड में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना नुकसान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसीलदार, निवाई द्वारा उक्त अग्निकाण्ड के नुकसान की आकलन रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) जिला कलक्टर द्वारा उक्त अग्निकाण्ड के पीडितों को कितनी-कितनी सहायता स्वीकृत की गई ? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट में शामिल सभी पीडितों को सहायता स्वीकृत नहीं की गई ? यदि हां, तो किन -किन को सहायता स्वीकृत नहीं की गई और उन्हें अब कब तक सहायता स्वीकृत कर दी जाएगी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अग्निकाण्ड में जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत सहायता वास्तविक नुकसान की तुलना में अत्यन्त कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार नुकसान का पुन: आंकलन कराकर अग्नि पीडितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस अग्निकाण्ड में पीडित जिन-जिन व्यक्तियों को जितना-जितना नुकसान हुआ, उसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) जी हां। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-"ब")

(3) जिला कलक्टर द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई थी उसकी प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-"स")

(सहायता मंत्री)

(4) जी हां। जिन व्यक्तियों को सहायता स्वीकृत नहीं की गई उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-"द") ये सभी व्यक्ति सहायता दिये जाने के मापदण्डों में नहीं आते हैं। अतः इन्हें सहायता देय नहीं है।

(5) जी नहीं। सी.आर.एफ. के मानदण्डों के अनुसार ही सहायता स्वीकृत की गई थी व राज्य सरकार द्वारा मापदण्डों के अनुसार ही सहायता दी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

वन क्षेत्रों के अनुपात में कार्यरत वनकर्मी

483. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वन क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ? योजनाओं के नाम, क्षेत्रफल व व्यय की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं के फलस्वरूप राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विभाग में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? पद वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत वर्षों में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के पदों में वृद्धि हुई है जबकि निम्न स्तर के कार्यकारी स्टाफ के पदों में निरन्तर कटौती हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1985 के बाद से वन रक्षक के पद पर नई भर्ती नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप लगभग 2015 तक सारे वन रक्षक एक साथ सेवानिवृत्त हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि वन कर्मियों की संख्या में कमी के कारण राज्य में अवैध कटान/वन्य जीवों के शिकार में वृद्धि हुई है ? यदि हां,

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

तो क्या सरकार निचले स्तर के वन कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों को सरप्लस करके अन्य विभागों में भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सरप्लस किए गए अनुभवी वन कर्मचारियों को पुन: विभाग में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? सरप्लस किए गए कर्मचारियों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वन क्षेत्र के विकास के लिए चल रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न प्रस्तुत है।

(2) चालू योजनाओं के फलस्वरूप वन क्षेत्र में अभिवृद्धि नहीं हुई है क्योंकि इसके तहत परिभांषित वन भूमियों को ही मुख्यत: विकसित किया गया है। तथापि पूर्व वर्षों में किये गये वन विकास के फलस्वरूप वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह सर्वेक्षण के अनुसार जिलेवार वृद्धि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख" पर प्रस्तुत है।

(3) वर्तमान में विभाग में कुल 285 अधिकारी तथा 8455 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। पदवार संख्या की सूची परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(4) भारतीय वन सेवा का केडर स्ट्रेन्थ वर्ष 1996 से अभी तक अपरिवर्तित रहा, जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता से चल रही योजनाऐं बन्द हो जाने से 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकारी एवं कार्यकारी स्टाफ के पदों की संख्या में कटौती हुई है।

(5) केवल मृतक आश्रित कर्मचारियों को ही नियमानुसार वन रक्षकों के पद पर नियुक्ति दी गई है। वर्ष 1985 के बाद वन रक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक के कारण काफी संख्या में वनरक्षकों के सेवानिवृत्त हो जाने की सम्भावना है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(6) राज्य में आबादी की बढोतरी के साथ वन कर्मियों की संख्या में कमी के कारण वन एवं वन्य जीव सुरक्षा पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की वितीय स्थिति के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया जायेगा।

(7) यह सही है कि वर्कचार्ज कर्मचारियों को सरप्लस कर अन्य विभागों में भेजा गया है। सरप्लस किये गये कर्मचारियों को पुन: विभाग में लिए जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। अब तक अन्य विभागों में समायोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2629 है।

परिशिष्ट-"क"

-	2002-03 (उपलब्धि)		2003-04 (उपलब्धि)		2004-05 (लक्ष्य)	
	भौतिक	वितीय	भौतिक	वितीय	भौतिक	वितीय
1. राज. वानिकी एवं जैव विविधता परि.	-	-	अग्रिम क्लोजर - 9250 है. अग्रिम कार्य वृक्षा. - 21133 है. पौध तैयारी - 40 लाख नमी संरक्षण संरचनाएं - 355	3143.10	वृक्षा. - 21133 है. पौध वितरण - 40 लाख नमी संरक्षण संरचनाएं - 530	9000.00
2. राज्य योजना	पूर्व योजनाओं में हुए कार्यों का संधारण	436.44	अग्रिक कार्य - 150 है. पौध वितरण - 46.20 लाख तथा संधारण	567.74	150 है. वृक्षारोपण	525.00

	2002-03 (उपलब्धि)		2003-04 (उपलब्धि)		2004-05 (लक्ष्य)	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
3. भू संरक्षण	अग्रिम कार्य 150 है.	15.79	वृक्षारोपण - 150 है. एवं संधारण	33.70	वृक्षारोपण 150 है.	38.00
4 केन्द्र प्रवर्तित बनास एवं नदी घाटी परियोजना	21563 है. जलग्रहण क्षेत्र का उपचार	1300.99 लाख	22744 है. जलग्रहण क्षेत्र का उपचार	1572.21 लाख	18740 है. जलग्रहण क्षेत्र का उपचार	1710.10 लाख
5. वन विकास अभिकरण	1250 है. में वृक्षारोपण	228.85 लाख	3600 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण	437.05 लाख	7900 है. में वृक्षारोपण	697.57 लाख

परिशिष्ट-"ख"

DISTRICTWISE FOREST COVER IN RAJASTHAN

(Sq. km.)

S. No.	Name of District T-Tribal	1997 Assessment			1999 Assessment			2001 Assessment		
		Dense	Open	Total	Dense	Open	Total	Dense	Open	Total
1.	Ajmer	50	104	154	43	125	168	177	178	355
2.	Alwar	310	822	1,132	328	806	1134	436	773	1,209
3.	Banswara	45	303	348	45	303	348	66	327	393
4.	Baran	*	*	*	*	*	*	226	914	1,140
5.	Barmer	0	41	41	0	54	54	135	67	202
6.	Bharatpur	122	492	614	128	492	620	78	171	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Bhilwara	10	129	139	26	144	170	50	168	218
8.	Bikaner	0	38	38	1	55	56	155	47	202
9.	Bundi	78	292	370	163	255	418	173	282	455
10.	Chittorgarh	417	1,145	1,562	560	1,037	1,597	802	1,025	1,627
11.	Churu	0	3	3	3	12	15	42	33	75
12.	Dholpur	**	**	**	**	**	**	125	290	415
13.	Dungarpur	79	139	218	79	142	221	19	221	240
14.	Ganganagar	0	26	26	0	29	29	285	48	333
15.	Jaipur	40	388	428	81	392	473	210	428	638
16.	Jaisalmer	33	43	76	36	45	81	75	51	126
17.	Jalor	21	111	132	26	115	141	144	138	282
18.	Jhalawar	14	287	301	27	274	301	176	257	433
19.	Jhunjhunu	0	55	55	0	89	89	137	125	262
20.	Jodhpur	2	65	67	0	68	68	78	60	138
21.	Kota	259	1,306	1,565	352	1,311	1,663	168	448	616
22.	Nagaur	1	30	31	1	61	62	123	64	187
23.	Pali	199	414	613	212	406	618	266	351	617
24.	Rajsamand	***	***	***	***	***	***	197	293	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	S. Madhopur	239	1,014	1,253	266	1,004	1,270	362	924	1,286
26.	Sikar	0	94	94	8	95	103	68	117	185
27.	Sirohi	341	432	773	361	439	800	336	527	863
28.	Tonk	16	56	72	27	91	118	93	109	202
29.	Udaipur	1,414	1,834	3,248	1,536	1,718	3,254	1,320	1,609	2,929
	TOTAL	3,690	9,663	13,353	4,309	9,562	13,871	6,322	10,045	16,367

Source: State of Forestry Report 2001.

* Area included in Kota District

** Area included in Bharatpur district

*** Area included in Udaipur district

Sanctioned Posts of Various Cadre in Department

S.No.	Name of Post	Sanctioned Posts as on 01.04.2003	Sanctioned posts on 31.10.2003
1	Principal Chief Conservator of Forests	3	3
2	Addl. [illegible]	1	6
3	Chief Conservator of Forests	7	[illegible]
4	Conservator of Forests	23	[illegible]
5	Dy. Conservator of Forests	93	[illegible]
6	Assit. Conservator of Forests	93	[illegible]
7	Dy. Chief Wild Life Warden	4	[illegible]
8	Senior Rsearch Officer	3	[illegible]
9	Research Officer	5	[illegible]
10	Jr. Research Officer	7	[illegible]
11	[illegible]	1	[illegible]
12	Sr. Account Officer	8	[illegible]
13	Assit. Account Officer	9	[illegible]
14	Exec. Engg.	2	[illegible]
15	Assit. Engg.	8	10
16	Assit. Soil Conservation Officer	2	2
17	Stat. Officer	1	1
18	Assit. Labour Commissioner	1	1
19	Administrative Officer	1	1
20	Forest Settlement Officer	5	5
21	Public Relation officer	1	1
22	Dy. Legal Remembrancer	1	1
23	Head Legal Assistant	1	1
24	Veterinary Doctor	2	[illegible]
25	Assit. Horticulturist	1	1
	Sub Total	265	[illegible]
	Subordinate		
1	Ranger Grade I	337	342
2	Ranger Gade II	159	159
3	Forester	1026	[illegible]
4	Assistant Forester	573	[illegible]
5	Forest Guard	3650	[illegible]
6	Game watcher	133	[illegible]
7	Tractor Guard	24	[illegible]
8	Tracker	10	[illegible]
9	Accountant	85	[illegible]
10	Jr. Accountant	25	[illegible]
11	Amin	36	36
12	Surveyor	65	[illegible]
13	Surveyor/Amin	6	[illegible]
14	Surveyor/Fieldman	22	[illegible]
15	Draftsman	7	7
16	Junior Draftsman	1	1
17	Driver	244	245
18	Stat. Assistant	6	[illegible]
19	Tracer	8	[illegible]
20	Overseer/Jr. Engineer	13	[illegible]
21	Inspector/Rev. Inspector	5	[illegible]
22	Zoo Superintendent	1	[illegible]
23	Zoo Supervisor	4	[illegible]
24	Laboratory Assistant	25	[illegible]
25	Wireless Operator / technician	3	[illegible]
26	Research Assistant	[illegible]	[illegible]

28	Silt Anlyst	5	5
29	Silt Observer	10	10
30	Projector Operator	1	1
31	Fitter	1	1
32	Mechanic	2	[illegible]
33	Pump Driver	4	4
34	Buldoor Operator	2	2
35	Carpenter/Luhar/Mishtri	4	4
36	Foreman	1	1
37	Foreman cum mechanic	1	1
38	Foreman	1	1
39	Stat. Inspector	1	1
40	Supervisor cum operator	1	1
41	Legal Assistant	6	[illegible]
42	Data entry Operator	6	8
43	Tractor Driver	4	4
44	Veterinary Assistant	1	1
	Sub Total	6538	6580
	Ministerial Staff		
1	Office Superident	11	11
2	Office Assistant	107	10[illegible]
3	U.D.C. cum Steno	7	7
4	U.D.C.	278	279
5	L.D.C. cum Steno	4	4
6	L.D.C.	564	600
8	Private Secretary	1	1
9	Senior P.A.	9	9
10	P.A.	23	[illegible]
11	Stenographer	33	41
	Sub Total	1038	1087
	IV Class		
1	Peon	324	3[illegible]
2	Chokidar	30	[illegible]
3	Khalasi cum Chokidar	8	[illegible]
4	Jamadar	26	[illegible]
5	Cleaner	9	[illegible]
6	Head Care Taker	3	[illegible]
7	Care taker	15	15
8	Bhisti	2	[illegible]
9	Cook	1	1
10	[illegible]	3	[illegible]
11	[illegible]	2	[illegible]
12	[illegible]	2	[illegible]
13	[illegible]	43	[illegible]
14	[illegible]	5	[illegible]
15	[illegible]	2	[illegible]
	Sub Total	4[illegible]	[illegible]
	Grand Total	[illegible]	[illegible]

आरोपित/दण्डित कर्मियों का पुन: पदस्थापन

484. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक एफ.4(6) डी.ओ.पी./ए-3/2001 दिनांक 13 जुलाई, 2001 के द्वारा 16 सीसीए के तहत आरोपित व दण्डित अधिकारी/कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर आदेश पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखने के निर्देश दिए गए थे ? यदि हां, तो इस परिपत्र की पालना में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कितने अधिकारी/कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फील्ड पोस्टिंग से हटाए गए अधिकारी/कर्मचारियों को एक सप्ताह की अवधि में ही वापिस फील्ड पोस्टिंग दे दी गई ? यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार के निर्देशों की पालना में फील्ड पोस्टिंग से हटाये गये आरोपित/दण्डित अधिकारियों को वापस फील्ड में लगाना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(6)डी.ओ.पी./ए-3/78 दिनांक 13 जुलाई, 2001 के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया 17 अधिकारी/कर्मचारी उक्त परिपत्र की परिधि में पाये गये, जिन्हें पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। सूची परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में फील्ड पोस्टिंग से हटाए गए अधिकारी/कर्मचारियों को वापिस फील्ड पोसिटंग दिये जाने की सूचना भी परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है। इस हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी।

(3) पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण का बोर्ड ने व्यक्तिवार विस्तृत परीक्षण किया कि इनमें से कितने

(कृषि विपणन मंत्री)

अधिकारी गबन, गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजकोष को हानि पहुंचाने में संलिप्त हैं। परीक्षण के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हटाया गया कोई भी अधिकारी कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक एफ.4(6)डी.ओ.पी./ए-3/78 दिनांक 3-9-2001 की परिधि में पूर्णतया नहीं आता है। अतः उन्हें बोर्ड द्वारा पुनः फील्ड पोस्टिंग दी गई।

परिशिष्ट-"ए"

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.4(6)डी.ओ.पी./ए-3/2001 दिनांक 13-7-2001 के द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोपित व दण्डित अधिकारी/कर्मचारियों, जिन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर ए.पी.ओ. रखे गये एवं उनको फील्ड पोस्टिंग पर वापिस लगाये जाने की सूचना

क्र. सं.	नाम	पद	फील्ड पोस्टिंग से हटाने की तिथि	फील्ड पोस्टिंग पर वापिस लगाने की तिथि
1.	श्री एस.पी. जैन	अधीक्षण अभियन्ता	6-9-2001	24-1-2003
2.	श्री भीम सिंह टांक	अधिशाषी अभियन्ता	6-9-2001	5-10-2001
3.	श्री डी.के. गोयल	अधिशाषी अभियन्ता	6-9-2001	9-10-2001
4.	श्री आर.के. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता	6-9-2001	5-10-2001
5.	श्री यशवन्त आर्य	अधिशाषी अभियन्ता	6-9-2001	7-1-2002
6.	श्री नाहरसिंह मीणा	अधिशाषी अभियन्ता	6-9-2001	5-10-2001
7.	श्री मनोज कुलश्रेष्ठ	सहायक अभियन्ता	6-9-2001	11-2-2002

1	2	3	4	5
8.	श्री सुभाष चन्द सिंघल	सहायक अभियन्ता	6-9-2001	11-2-2002
9.	श्री सुरेश राय माथुर	सहायक अभियन्ता	6-9-2001	20-10-2001
10.	श्री आर.सी. खोईवाल	सहायक अभियन्ता	6-9-2001	20-10-2001
11.	श्री पी.सी. कल्ला	सहायक अभियन्ता	6-9-2001	20-10-2001
12.	श्री पारस मल जैन	कनिष्ठ अभियन्ता	7-9-2001	20-10-2001
13.	श्री मनोज बंसल	कनिष्ठ अभियन्ता	11-9-2001	20-10-2001
14.	श्री सत्यदेव शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	7-9-2001	11-2-2002
15.	श्री रोशनलाल मित्तल	वरिष्ठ लिपिक	7-9-2001	20-10-2001
16.	श्री मंगलाराम चौधरी	वरिष्ठ लिपिक	7-9-2001	11-2-2002
17.	श्री योगेश चन्द शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	7-9-2001	5-2-2002

जोधपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा आर.यू.पी. फेज द्वितीय में स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण

485. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सिवाना में कृषि विपणन बोर्ड खण्ड, कृषि उपज मण्डी खण्ड जोधपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में आर.यू.पी. फेज द्वितीय

(श्री टीकम चन्द कान्त)

योजना में स्वीकृत डामर सड़कों का नवीनीकरण किया गया ? यदि हां, तो इसमें कितनी सड़कें पूर्ण/अपूर्ण रही ?

(2) क्या यह सही है कि इन सड़कों के निर्माण के एक वर्ष में ही जगह-जगह पेच की स्थिति आ गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इसमें सी.डी. कार्य अधूरे रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इनमें पटरियों को ठीक करने के कार्य नहीं कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उनमें उच्च गुणवत्ता की सड़क निर्माण का कार्य पुनः कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या सड़क निर्माण में गुणवत्ता में कमी रखने के क्रम में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील सिवाना में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2002-03 में आर.यू.पी. (द्वितीय चरण) योजना में स्वीकृत 12 डामर सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया था, जिनमें से 8 सड़कें पूर्ण हैं एवं शेष 4 सड़कें आबादी क्षेत्र में जहां पानी भरता है, को छोड़कर लम्बाई में पूर्ण हैं।

(2) जी, हां। तहसील सिवाना की कुछ सड़कों पर वर्ष 2002-03 में मानसून के दौरान अतिवृष्टि व पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण पेच पड़ गये थे, जिनकी मरम्मत संवेदक द्वारा कर दी गई है।

(3) सड़क सुदृढ़ीकरण (द्वितीय चरण) परियोजना में सी.डी. कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

(4) सड़क सुदृढ़ीकरण (द्वितीय चरण) परियोजना के कार्यों के

(कृषि विपणन मंत्री)

तकमीनों में पटरियों को ठीक कराया जाने का प्रावधान लिया गया था, परन्तु पटरियों का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ सड़कों पर पूरी तरह से तथा कुछ पर आंशिक रूप से वर्ष 2002-03 में अकाल राहत के तहत किया गया।

(5) जी नहीं। वर्तमान में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) सड़क निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप ही करवाये जाते हैं। विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध बाद जांच कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन केन्द्र की स्थापना

720. श्री ब्रज किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन केन्द्र बनवाये जाने की केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या इस पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से समन्वय स्थापित किया जाकर उक्त केन्द्र बनवाने हेतु पहल की गई ? यदि हां, तो कब व उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

जी हां। सर्वप्रथम इस बाबत माननीय मुख्य मंत्री की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री को दिनांक 30-6-2003 को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजा गया। तत्पश्चात् माननीया मुख्यमंत्रीजी द्वारा केन्द्रीय पर्यटन मंत्री को अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 19-12-2003 भेजा गया। मुख्य सचिव द्वारा केन्द्रीय पर्यटन सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 7-2-2004 प्रेषित किया गया। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस विषय पर दिनांक 26-2-2004 को बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य सचिव, राजस्थान एवं पर्यटन सचिव ने भाग लिया। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से परियोजना सरचंना आदि हेतु तैयार करने के लिये सलाहकार नियुक्ति बाबत् उनके प्रस्तावानुसार 180 लाख रूपये स्वीकृत करने हेतु सचिव पर्यटन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

उमरड़ा ग्राम (उदयपुर) की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण

721. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उदयपुर के पास उमरड़ा ग्राम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाकर सुपर फास्फेट खाद एवं केमीकल की फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त फैक्ट्रियां

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

से निकलने वाली गैस के कारण पेड़-पौधे, खजूर सूख गये हैं तथा घास आदि खाने से पशुधन नष्ट हो रहा है ? क्या सरकार उक्त फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से पर्यावरण दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार या रीको द्वारा उदयपुर के पास उमरडा गांव के पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया है बल्कि खातेदारों द्वारा कृषि भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा कर सुपरफास्फेट व केमिकल इकाईयां स्थापित की गई हैं। इन औद्योगिक इकाइयों एवं आस-पास के क्षेत्र में इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस से पेड़ पौधे एवं घास नहीं सूखे है तथा पशुधन नष्ट होने की सूचना भी राज्य सरकार को नहीं है।

राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित उद्योगों में से दो उद्योग मैसर्स फास्फेट इण्डिया एवं आर.के. फास्फेट प्रा.लि. द्वारा शून्य निस्त्राव शर्त की पालना नहीं करने एवं अपशिष्ट से पर्यावरण दूषित होने की सम्भावना पाये जाने के फलस्वरूप इन दोनों उद्योगों की जल प्रदुषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति निरस्त कर दी है। मण्डल द्वारा समय-समय पर मानेटरिंग कर उद्योगों को यह निर्देशित किया जाता है कि निकलने वाली गैस में प्रदूषण तत्वों की मात्रा वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(2) जी नहीं। यदि किसी फैक्ट्री से पर्यावरण दुषित होगा तो प्रदुषण मण्डल अपेक्षित कार्यवाही करेगा।

उदयपुर ग्रामीण में संचालित उद्योग

722. **श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने छोटे व बड़े उद्योग स्थापित हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में से कितने उद्योग बन्द हैं तथा कितने उद्योग चालू हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अब तक 2077 छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें लघु उद्योग 2042 एवं वृहद/मध्यम उद्योग 35 है।

(2) उक्त क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में 582 बन्द तथा 1495 चालू है। (वर्ष 2001 में हुई सर्वे अनुसार), जिनमें वृहद/मध्यम 26 चालू 9 बन्द तथा लघु उद्योग 1469 चालू, 573 बन्द है।

फुलेरा के पारम्परिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार

723. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) पारम्परिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 में उक्त योजना के कौन-कौन से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पारम्परिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कार्यकारी एजेन्सी जिला परिषद, जयपुर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 116 कार्य कराये गये एवं उन पर रूपये 28,10,330 व्यय किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में इस कार्यक्रम में काई कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय पंचायत समिति, साम्भर लेक, जिला जयपुर पारम्परिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कुओं का विवरण वर्ष 2003-2004

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सार्व. कूप का नाम व स्थान	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृति राशि	व्यय राशि	पूर्ण/ अपूर्ण
1	अणतपुरा	1. बलाई मौहल्ला भोजपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25004.00	पूर्ण
		2. विद्यालय मैदान अणतपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
2	बबरे वालों की ढाणी	3. बाना की ढाणी बंशीनपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण
		4. सिगाटियों की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	18000.00	पूर्ण
		5. टंकी के पास बबेरवालों की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	12472.00	पूर्ण

1	2	3		4	5	6	7
3	वथाल	6.	खटीकान मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24939.00	पूर्ण
		7.	बलाई मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24919.00	पूर्ण
		8.	रैगरान मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24939.00	पूर्ण
		9.	खातियान ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	24939.00	पूर्ण
4	बासड़ी खुर्द	10.	बलाईयान मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24570.00	पूर्ण
		11.	मीणों की ढाणी	407/20-2-2001	25000.00	24730.00	पूर्ण
		12.	पंचायत भवन के पास	442/24-3-2001	25000.00	24830.00	पूर्ण
		13.	जोधपुर	442/24-3-2001	25000.00	24820.00	पूर्ण
		14.	साबत का बास	442/24-3-2001	25000.00	24470.00	पूर्ण
5	भैसावा	15.	बलाई मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		16.	फकीरों का मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
6	भैसलाना	17.	भैसलाना पंचायत कूप	442/24-3-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण
		18.	पशु चिकित्सालय के पास कूप	442/24-3-2001	25000.00	24300.00	पूर्ण
		19.	खातिमां का मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24830.00	पूर्ण
7	भोजपुरा कलो	20.	बारणबास स्कूल के पास	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		21.	वाण्ड्या का बास	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		22.	भोजपुरा कलो गांव में	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
8	ढाणी नागान	23.	गांव के बीच नया बास	407/20-2-2001	25000.00	24880.00	पूर्ण
9	डेहरा	24.	जाटों का बास अगरपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24880.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
		25. बलाईयान मौहल्ला अगरपुरा	442/24-3-2001	25000.00	19086.00	पूर्ण
10	डूंगरसी का बास	26. चारणवास	442/24-3-2001	25000.00	24995.00	पूर्ण
		27. बलाईयान मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24995.00	पूर्ण
		28. देवालिया	407/20-2-2001	25000.00	24995.00	पूर्ण
11	डूंगर कली	29. मीठा कुआ अस्पताल के पास	407/20-2-2001	25000.00	24998.00	पूर्ण
		30. बलाईयान मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24998.00	पूर्ण
		31. पंचायत भवन के पास	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
12	डूंगर खुर्द	32. अभयपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25200.00	पूर्ण
		33. खटीक मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	23780.00	पूर्ण
		34. रैगर मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	250780.00	पूर्ण
13	हरसाली	35. सोसायटी गोदाम के पास	407/20-2-2001	25000.00	24990.00	पूर्ण
		36. कोरवाला तालाब के पास	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
14	इटावा	37. रैगर मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25180.00	पूर्ण
		38. स्वामी मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25180.00	पूर्ण
		39. मीणा मौहल्ला कंवरपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25180.00	पूर्ण
		40. तेजाजी का स्थान	442/24-3-2001	25000.00	25180.00	पूर्ण
15	जयसिंहपुरा	41. जगमालपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24720.00	पूर्ण
		42. जैतपुरा कंरडावाल	407/20-2-2001	25000.00	24720.00	पूर्ण
		43. राजपूत/बलाईयान/ हरिजन मो.	407/20-2-2001	25000.00	24645.00	पूर्ण
16	जोरपुरा (जोबनेर)	44. बासडा	407/20-2-2001	25000.00	24835.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
17	काजीपुरा	45. कूच्यावास	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		46. कुमायतों का मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
18	कालख	47. रैगर मौहल्ला बस्ती नागान	442/24-3-2001	25000.00	24965.00	पूर्ण
		48. कीरों की ढाणी मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	12940.00	पूर्ण
		49. घाटीलाई रैगर मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	15300.00	पूर्ण
		50. हरिपुरा रैगर मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	19800.00	पूर्ण
19		51. केशा का बास	442/24-3-2001	25000.00	24550.00	पूर्ण
		52. खिजुरिया मिडिय स्कूल के पास	407/20-2-2001	25000.00	24833.00	पूर्ण
		53. हरिजन मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24870.00	पूर्ण
		54. आम चौक बलाईयान करणसर	407/20-2-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण
20	खण्डेल	55. रैगर बलाई मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24495.00	पूर्ण
		56. कूप गहरा अमीपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24810.00	पूर्ण
		57. कूप गहरा तेजाजी का चौक	407/20-2-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण
21	खेजड़ा का बास	58. बस स्टेण्ड खेजड़ा का बास	442/24-3-2001	25000.00	24950.00	पूर्ण
		59. बस स्टेण्ड विनोबापुरी	442/24-3-2001	25000.00	24645.00	पूर्ण
		60. बलाईयों की ढाणी गोकुलपुरी	442/24-3-2001	25000.00	23821.00	पूर्ण
22	लालसर	61. शमसान घाट नदी पर	442/24-3-2001	25000.00	24961.00	पूर्ण
		62. हरिजन मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24988.00	पूर्ण
		63. कुडियों की ढाणी	407/20-2-2001	25000.00	24988.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
		64. हरिजन मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24988.00	पूर्ण
23	लूनियावास	65. हनुमान मन्दिर के पास तुर्कियावास	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		66. नाई मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
24	मलिकपुरा	67. मौहल्ला बलाईयान मलिकपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		68. मौहल्ला बलाईयान रामपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24940.00	पूर्ण
		69. मौहल्ला नामकान रम्भपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
25	मुण्डोती	70. ठीकरिया का रास्ता मुखालपुरा	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		71. बलाई प्रतापपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		72. बलाई मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	25025.00	पूर्ण
26	मुण्डावाडा	73. बलाईयान मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24970.00	पूर्ण
		74. रैगरान मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	24970.00	पूर्ण
		75. बिरदा वार्डपंच की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	24995.00	पूर्ण
		76. बलाईयान श्यामपुरा	442/24-3-2001	25000.00	20425.00	पूर्ण
27	मुरलीपुरा	77. मुरलीपुरा	442/24-3-2001	25000.00	22890.00	पूर्ण
		78. ठाकुरजी का बास	442/24-3-2001	25000.00	24490.00	पूर्ण
		79. चिरनोटिया	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
28	नौरंपुरा	80. अमराबूल की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	24830.00	पूर्ण
		81. बलाईयान की ढाणी	407/20-2-2001	25000.00	24940.00	पूर्ण
29	पक्कोडिया	82. जाटों का मौहल्ला खोरवा	442/24-3-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण
		83. राजपूत खातियों का मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24900.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
		84. जोगियों का मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24950.00	पूर्ण
		85. बस स्टेण्ड लक्ष्मीपुरा	442/24-3-2001	25000.00	24950.00	पूर्ण
30	रलावता	86. बलाईयान का मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24970.00	पूर्ण
		87. डिस्सा गांव के पूर्व में	442/24-3-2001	25000.00	24820.00	पूर्ण
		88. रैगरान मौहल्ला देवाकाबास	442/24-3-2001	25000.00	24706.00	पूर्ण
		89. बलाईयान मौहल्ला के पास बांरा का बास	442/24-3-2001	25000.00	24980.00	पूर्ण
31	रामजीपुरा कली	90. रैगरान मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	25020.00	पूर्ण
		91. बलाईयान रामजीपुरा खुर्द	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		92. राजपूत मौहल्ला रामजीपुरा खुर्द	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
32	सिंनोदिया	93. युगालियों की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	24975.00	पूर्ण
		94. खतबाई खुर्द प्राथ. शाला के पास	442/24-3-2001	25000.00	13425.00	पूर्ण
		95. रैगरान मौहल्ला सिंनोदिया	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		96. खतवाडी कली रैगरान मौहल्ला	442/24-3-2001	25000.00	24990.00	पूर्ण
33	तेजा का बास	97. प्राथ. वि. ईटावा	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		98. जाटों का मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		99. मालियों का मौहल्ला भादरपुरा	442/24-3-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		100. बलाई मौहल्ला	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		101. कुमावता का मौहल्ला शिवमन्दिर के पास इरोलाव	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
34	त्योद	102. मालियों की ढाणी	442/24-3-2001	25000.00	24600.00	पूर्ण
		103. राज.उ.प्रा.वि. के पास	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
		104. भूखरों की ढाणी	407/20-2-2001	25000.00	25000.00	पूर्ण
35	मण्ढा भीमसिंह	105. सार्व. कूप वीर बाली शमशान घाट के पास	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24880.00	पूर्ण
36	जयसिंहपुरा	106. सार्व. कूप राज.उ.मा.वि. जैतपुरा	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	22590.00	पूर्ण
37	डूंगरी कलां	107. महाराज के तलाब के पास	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24960.00	पूर्ण
38	काजीपुरा	108. खटीक मौह. राज.प्रा. विद्यालय	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24900.00	पूर्ण
39	खेडीमिल्क	109. थानां का बास खंडीमिल्क	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24904.00	पूर्ण
40	भैसावा	110. बलाई मौहल्ला भैसावा	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	20020.00	पूर्ण
41	भोजपुरा कलां	111. जी.आर.आर. के पास नान्दरी	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24942.00	पूर्ण
42	नान्दरी	112. जी.एल.आर. के पास नान्दरी	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24980.00	पूर्ण
43	डेहरा	113. इन्द्रगढ़ डेहरा	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24995.00	पूर्ण
44	भैसलाना	114. सार्व. कूप भैसलाना	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	23930.00	पूर्ण
		115. सार्व. कूप बोहराजी वाला शिवमन्दिर	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24840.00	पूर्ण
45	सिनोदिया	116. सार्व. कूप खतवाड़ी कलां जी.एल.आर. के पास	2484-92/ 14-5-2003	25000.00	24940.00	पूर्ण
			कुल योग रु.	2900000.00	2810330.00	

विजयपुरा (सादुलपुर) ग्राम में पेयजल हेतु पाइप लाइन

724. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम विजयपुरा केरली बास व डाबली ढाणी में कितने वर्ष पूर्व किस साइज की पाइप लाइन डाली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में डाली गई लाइन से ग्राम में पानी की पूर्ति नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में नई बड़ी पाइप लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्णित तीनों ग्रामों को वर्ष 1975-76 में पाइप लाइन से जोड़कर लाभान्वित किया गया था। तत्समय स्वीकृत योजनान्तर्गत इन ग्रामों हेतु डाली गई पाइप लाइन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	डाली गई पाइप लाइन	
		पाइप की साइज (मि.मी.)	अनुमानित लम्बाई (कि.मी.)
1.	विजयपुरा	75	4.00
2.	सांखू पम्प हाउस से जंक्शन प्वाइंट तक	90	1.00
3.	जंक्शन प्वाइंट से केरलीवास	63	2.00
4.	जंक्शन प्वाइंट से डाबली ढाणी	63	2.00

(2) जी हां। उक्त तीनों ग्रामों में वर्तमान में अधिक पेयजल मांग होने के कारण कम मात्रा में पेयजल आपूर्ति हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान पेयजल मांग अनुरूप उचित साइज की नई पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह अगस्त, 2004 में पूर्ण करना लक्षित है।

बस्सी के नाकारा हैण्ड पम्प

725. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में गत पांच वर्षों में कौन-कौन से नाकारा हैण्डपमप उखाड़ लिए गये या वर्तमान में बन्द हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उखाड़े गए नाकारा या खराब हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में विगत 5 वर्षों में उखाड़े गये एवं वर्तमान में बन्द हैण्डपम्पों की स्थिति का विवरण निम्नानसार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति	उखाड़े गये हैण्डपम्प	वर्तमान में बन्द हैण्डपम्प
1.	बस्सी	125	236
2.	चाकसू	43	46
	योग:-	168	282

सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) सभी में नहीं, पंचायत समिति बस्सी के मात्र एक गांव भोन्यावाला में न्यूनतम जल सेवा स्तर बनाए रखने हेतु एक हैण्डपम्प की आवश्यकता है। जिसे आगामी 2 माह में लगाया जाना प्रस्तावित है।

दोनों पंचायत समितियों के शेष ग्रामों (परिशिष्ट-'अ' के अनुसार) में विभागीय मापदण्ड अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में कार्यरत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर के बूढ़ा पुष्कर से रेलवे को जलापूर्ति से प्रभावित भू-जल स्तर

726. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूढ़ा पुष्कर से रेलवे द्वारा पानी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से व कितना ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रेलवे से पानी लेने हेतु कोई करार किया गया है ? यदि हां, तो किस संस्था से व क्या तथा कितने समय का ?

(3) क्या यह सही है कि पानी के इस दोहन से बूढ़ा पुष्कर के आस-पास के कुओं का जल स्तर गिरा है जिससे किसानों को क्षति हुई है ?

(4) क्या सरकार इस दोहन को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार का कोई परिपत्र पुष्कर क्षेत्र से जलदोहन को पाबन्द करता है ? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रेलवे विभाग, अजमेर द्वारा बूढ़ा पुष्कर से वर्ष 1889 से जल का दोहन उनके स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है। प्रारम्भ में उनके द्वारा 20 से 25 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया जाता था। वर्तमान में जल दोहन की दर 4000 से 5000 लीटर प्रतिदिन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उपरोक्त एवं अल्प जल वृष्टि के कारण भू-जल स्तर गिरा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार रेलवे विभाग, अजमेर द्वारा बूढ़ा पुष्कर से जल दोहन उनके स्वयं के स्तर से किया जा रहा है। वर्तमान में जल दोहन न्यूनतम स्तर पर लाया जा चुका है।

(5) जी हां। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण

[पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के सेक्शन 3 (3) के अधीन विनिर्मित]

1103, अंसल भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001

सार्वजनिक सूचना क्र. 24 /2001

विषय:- 'पुष्कर घाटी' अजमेर जिला राजस्थान को भूमि जल निष्कर्षण (निकालने) के नियमितीकरण हेतु 'अधिसूचित क्षेत्र' के रूप में अधिघोषित करना।

[illegible]

1. पुष्कर	2. बूढ़ा पुष्कर	3. [illegible]	4. [illegible]
5. [illegible]	6. [illegible]	7. [illegible]	8. [illegible]
9. [illegible]	10. [illegible]	11. [illegible]	12. [illegible]
13. [illegible]	14. [illegible]	15. [illegible]	

इस अधिनियम के सेक्शन-5 के अन्तर्गत निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते प्रस्तावित हैं:-

[1] [illegible] (PHED) [illegible]

[2] [illegible]

[3] [illegible]

[4] [illegible] (Structures) [illegible]

[5] [illegible]

[6] [illegible]

[7] [illegible]

[illegible] 1103, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001 [illegible] 30 दिन के भीतर [illegible] 6-A, [illegible] जयपुर- 302004 (राजस्थान) [illegible]

डीएवीपी 4054/141/2001 [illegible] चेयरमैन

Attested

अधिशासी अभियन्ता

[illegible]

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या-727
(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर को पेयजल आपूर्ति

728. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर पेयजल योजना कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

धन एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

कोटपूतली हेतु पेयजल व्यवस्था

729. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के कितने गांवों में पेयजल हेतु भू-जल उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन गांवों के लिए पेयजल हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

भू-जल विभाग द्वारा वर्षा पूर्व सर्वेक्षण वर्ष 2004 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में क्वार्टजाइट भू-जल धारक इकाई क्षेत्र के 33 गावों में भू-जल निकास क्षमता कम आंकी गई है। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

इन ग्रामों में से 8 ग्रामों में सैक्टर रिफार्म/स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं एवं 3 ग्रामों की योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

शेष ग्रामों में ग्रामवासियों की सहमति के अनुसार वर्तमान में लागू 'स्वजलधारा कार्यक्रम' के अन्तर्गत ही योजनाऐं स्वीकृत करना सम्भव होगा। इस ग्रीष्म में आवश्यकतानुसार प्रभावित ग्रामों में टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन भी किया जा रहा है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पेयजल समस्या से प्रभावित 33 ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या		योजना का प्रकार	योजना से जल सेवा स्तर	हैण्ड पम्पों की स्थिति				टिप्पणी
				1991	2000			कुल	नकारा	सूखे	चालू	
1.	कोटपूतली	रामगढ़	4	958	1184	हैण्डपम्प	10	8	1	0	7	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
2.	कोटपूतली	कायमपुरावास	38	1182	1535	पीएण्डटी	19	10	0	0	10	स्वजलधारा योजना स्वीकृत। वर्तमान में टैंकर परिवहन चालू है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	कोटपूतली	पवाला राजपूत	41	794	1031	हैण्डपम्प		4	0	0	4	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
4.	कोटपूतली	कुहाडा	44	1392	1663	हैण्डपम्प		9	0	0	9	स्वजलधारा योजना स्वीकृत। वर्तमान में टैंकर परिवहन चालू है।
5.	कोटपूतली	कलयाणपुरा कलां	45	1406	1671	हैण्डपम्प		9	0	2	7	स्वजलधारा योजना स्वीकृत। वर्तमान में टैंकर परिवहन चालू है।
6.	कोटपूतली	शुकल्लावास	48	2253	2467	पाईप्ड	19	11	0	2	9	
7.	कोटपूतली	पुरूषोत्तम पुरा	49	2160	2772	पाईप्ड	19	7	0	0	7	
8.	कोटपूतली	सुदरपुरा	51	1827	2350	पीएण्डटी	18	7	0	1	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	कोटपूतली	दांतिल	55	4354	5339	पाईप्ड	19	24	0	2	22	स्वजलधारा योजना स्वीकृत।
10.	कोटपूतली	रूपपुरा	62	1303	1485	हैण्डपम्प		10	0	1	9	स्वजलधारा योजना स्वीकृत।
11.	कोटपूतली	फतेहपुरा खुर्द	63	1330	1695	क्षैत्रिय	9	5	0	0	5	
12.	कोटपूतली	भोनावास	64	3430	4387	पाईप्ड	18	18	0	0	18	
13.	कोटपूतली	देवता	1	2430	3092	पाईप्ड	43	7	0	0	7	सैक्टर रिफार्म योजना पूर्ण
14.	कोटपूतली	बनार	2	1889	2280	पीएण्डटी	31	8	1	1	6	कंटीजेन्सी योजना पूर्ण। सेवा स्तर 50 प्रतिशत से अधिक।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	कोटपूतली	बनेठी	7	4608	5229	पाईप्ड	21	21	1	1	19	सेवा स्तर 50 प्रतिशत से अधिक। वर्तमान में ढाणी में टैंकर परिवहन चालू है।
16.	कोटपूतली	कालूहेड़ा	18	762	950	हैण्डपम्प		5	0	1	4	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
17.	कोटपूतली	नाहरोडा	35	5031	6320	पाईप्ड	24	13	0	0	13	सेवा स्तर 50 प्रतिशत से अधिक।
18.	कोटपूतली	भौपतपुरा	39	241	253	हैण्डपम्प		2	0	0	2	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
19.	कोटपूतली	पिचानी	47	742	1039	पाईप्ड	40	8	0	3	5	
20.	कोटपूतली	बैरी	50	1955	2703	हैण्डपम्प		21	0	3	18	सैक्टर रिफार्म योजना पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	कोटपूतली	ढाढा	52	1235	1392	हैण्डपम्प		7	0	0	7	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
22.	कोटपूतली	गुलाबगढ़	53	927	979	हैण्डपम्प		8	0	0	8	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
23.	कोटपूतली	झींणगौर	58	1051	1587	हैण्डपम्प		11	0	0	11	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
24.	कोटपूतली	चांदोली	59	690	1238	हैण्डपम्प		7	0	0	7	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
25.	कोटपूतली	दुदावास	60	729	955	हैण्डपम्प		4	0	1	3	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
26.	कोटपूतली	बुचारा	61	1534	2242	पीएण्डटी	22	6	0	0	6	सेवा स्तर 50 प्रतिशत से अधिक।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	कोटपूतली	टोरडा कलाम	65	2799	3451	पीएण्डटी	21	22	0	0	22	सेवा स्तर 50 प्रतिशत से अधिक।
28.	कोटपूतली	बसई	95	1222	1368	हैण्डपम्प		8	1	0	7	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
29.	कोटपूतली	ककराना	121	638	573	हैण्डपम्प		5	0	0	5	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपंम्प हैं।
30.	कोटपूतली	नवल कुशालपुरा	42	223	351	हैण्डपम्प		5	0	1	4	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
31.	कोटपूतली	चुरी	40	1318	1582	पीएण्डटी	25	5	0	0	5	पंचायत द्वारा संचालित
32.	कोटपूतली	पदमा की ढाणी	43	508	547	हैण्डपम्प	12	5	0	1	4	मानक अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प हैं।
33.	कोटपूतली	भोजावास	75	433	592	पीएण्डटी	50	5	0	1	4	सैक्टर रिफार्म योजना पूर्ण

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

730. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कौन-कौन से गांवों में फ्लोराइडयुक्त जल है ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में उक्त ग्रामों के पानी की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2004 में क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई ज्ञापन प्रस्तुत किए गए ? यदि हां, तो कब और उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या कोई योजना बनाई गई या प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या और इसका क्रियान्वयन कब से शुरू किया जाना प्रस्तावित है ?

(5) क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए गए हैं ? यदि हां, तो कब और वर्तमान में उक्त प्रस्तावों की क्रियान्विति किस स्तर पर लम्बित है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जांच परिणाम संलग्न सूची परिशिष्ट-'अ' में समाहित है।

(3) जी हां। दिनांक 15-3-2004 को माननीय विधायक महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन की मूल भावना विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांवों में आपणी योजना

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

से मीठा पानी उपलबध करवाने बाबत है। इस विषय में वस्तुस्थिति यह है कि इस विधान सभा क्षेत्र के दोनों कस्बे एवं 94 गांव पूर्व में ही स्वीकृत आपणी योजना-द्वितीय चरण में सम्मिलित है जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण हेतु जर्मन दूतावास, नई दिल्ली को दिनांक 15-4-2004 को भिजवाई गई है।

(4) जी हां। आपणी योजना के द्वितीय चरण में रतनगढ़ क्षेत्र के 94 ग्राम एवं 2 कस्बे सम्मिलित किये गये हैं। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 145वीं बैठक दिनांक 4-6-2002 में अनुमानित लागत रूपये 405.08 करोड़ की जारी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा योजना वित्त पोषण हेतु जर्मन दूतावास नई दिल्ली को दिनांक 15-4-2004 को भिजवाई गई है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव होगा।

(5) जी हां। दिनांक 23-5-2003 को आपणी योजना-द्वितीय चरण के प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को अनुमोदन एवं बाह्य वित्त पोषण हेतु भिजवाये गये हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने योजना अनुमोदन करके योजना आयोग को भिजवाई। तत्पश्चात् योजना आयोग ने इसका अनुमोदन कर दिया है एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 15-4-2004 को जर्मन दूतावास को वित्त पोषण हेतु प्रेषित की गई है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के फ्लोराइडयुक्त जल के गांवों की पंचायतवार सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	कोड नं.	जल की जांच के परिणाम-पीपीएम			
				फ्लोराइड	टीडीएस	क्लोराइड	नाइट्रेट
1	बीरमसर	बीरमसर	84	1.6	2867	600	130
	बीरमसर	ठठावता	85	3.2	4095	990	190
2	बीनादेसर	विनोदसर	30	2.4	1701	700	140
	बीनादेसर	बण्ठवा	32	3.0	1701	270	40
3	बछरार	बच्छरारा छोटा	65	1.9	3596	640	170
	बछरार	धुमान्दा	66	1.9	6370	1890	150
4	कांगड़	चैनपुरा	22	1.9	2709	510	160
5	कुसुमदेसर	छाबड़ी खारी	87	2.8	9100	3880	250
	कुसुमदेसर	कुसमदेसर	92	1.8	5010	1500	350
6	कनवारी	कनवारी	90	2.7	3213	750	210

1	2	3	4	5	6	7	8
7	मैणासर	बुधवाली	77	1.6	3322	1840	250
	मैनासर	मेनासर	88	2.3	6830	3490	280
	मैनासर	रूखासर	89	3.0	4599	1180	10
8	मेलूसर	पाबूसर	8	2.8	2016	420	70
	मेलूसर	छोड़डिया	9	3.1	2646	260	60
	मेलूसर	मेहलूसर	10	2.8	2268	640	70
	मेलूसर	मालासर	11	1.8	2000	620	70
9	सिकराली	बलरामपुरा	5	1.8	1386	280	80
	सिकराली	शिकराली	6	2.1	4410	360	90
	सिकराली	बरजांगसर	26	2.7	25863	440	140
	सिकराली	जैतासर	27	2.8	2583	660	70
10	सिमसिया	सिमसिया बिदावतान	40	1.8	1365	440	85
	सिमसिया	सिमसिया पुरोहितान	41	1.7	1365	360	75
11	टिडियासर	हरदेसर	82	1.6	8290	2760	150
	भरपालसर	आबड़सर	29	1.9	2829	590	70
	भरपालसर	भरपालसर लाडखानिया	47	2.8	1827	440	180

1	2	3	4	5	6	7	8
12	भरपालसर	भरपालसर चारणान	48	2.7	1953	360	70
	भरपालसर	छाजूसर	49	2.5	3024	1020	140
	भरपालसर	भरपालसर बीदावतान	50	1.8	3519	680	110
	भरपालसर	पाइली	46	3.8	4410	1040	170
13	भाणिदा	बाढ़ो की ढाणी	2	1.8	1336	270	60
	भाणिदा	भानूदाबिदा वतान	3	1.8	2142	200	40
	भाणिदा	" चारणान	4	2.1	2394	240	40
	भाणिदा	हामूसर	7	2.6	2709	400	70
14	भूखरेड़ी	फांसा	94	1.8	4558	840	140
	भूखरेड़ी	भुखरेड़ी	95	2.9	2953	610	190
	भूखरेड़ी	सुलखनियां	98	1.8	2958	640	160
15	परसनेठ	जोरावर पुरा	33	1.9	8820	1180	160
	परसनेठ	परसनेठ	34	3.0	1890	900	90
16	रतनादेसर	लुणासर	42	1.5	2807	950	180
	रतनादेसर	रतनादेसर	74	3.0	4277	1740	250

1	2	3	4	5	6	7	8
17	रतनसरा	सेहला	15	1.6	1953	330	90
	रतनसरा	रतनसरा	17	2.1	3462	890	110
18	सीतसर	सीतसर	96	1.8	3640	600	120
	सीतसर	दीपसर	97	1.8	2776	560	80
19	सांगासर	खोतड़ी	79	2.9	3322	710	210
	सांगासर	सांगासर	80	1.9	3181	1120	120
20	जान्दवा	खुडेरा बिकान	59	2.9	7560	1760	170
	जान्दवा	खुडेरा चारनान	60	3.7	5418	1520	140
	जान्दवा	खुडेरा बिदावतान	61	2.8	2776	1130	160
	जान्दवा	मोलीसर छोटा	62	2.9	4599	1180	310
21	नोसरिया	गोपालपुरिया	28	2.8	3339	510	140
	नोसरिया	चम्पावासी	51	1.9	11340	2880	190
	नोसरिया	नोसरिया	52	2.2	2394	560	140
	नोसरिया	हुडेरा आथुना	53	1.8	4977	1480	70
	नोसरिया	हुडेरा सिदान	54	2.1	4662	1260	170

1	2	3	4	5	6	7	8
	नोसरिया	हुडेरा अबुना	55	2.1	4662	1260	110
22	नूंवा	नूंवा	45	2.6	2503	810	160
23	गोगासर	गोगासर	23	2.9	4150	1090	190
24	गोलसर	गोलसर	24	1.8	2520	500	170
	गोलसर	हंसासर	25	2.6	2640	440	120
25	लाछड़सर	लाछड़सर	1	2.2	2835	570	80
26	लोहा	लोहा	72	1.8	3730	900	170
	लोहा	भोजासर	73	2.2	5920	3500	250
	लोहा	सांवतीया	78	1.8	4102	2050	130
27	लूंछ	रघुनाथपुरा	68	1.9	2366	880	170
	लूंछ	देराजसर	70	2.8	2183	780	100
	लूंछ	लूंछ	71	2.8	3712	1230	180

गोविन्द नगर पूर्व (जयपुर) में अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति

731. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के आमेर रोड स्थित गोविन्द नगर पूर्व विस्तार योजना में पेयजल वितरण की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त कालोनी में दो अलग-अलग तरह की पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कुछ समय पूर्व डाली गई नई पाइप लाइन कनेक्शन से बहुत अल्प समय के लिये व अल्प मात्रा में पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकतानुसार भी जल उपलब्ध नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार द्वारा उक्त पाइप लाइन में अधिक मात्रा में पानी की आपूर्ति कब तक शुरू कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब शीघ्र उक्त कालोनी में समुचित मात्रा में पेयजल आपूर्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आमेर रोड स्थित गोविन्द नगर पूर्व विस्तार क्षेत्र में वर्तमान में रामगढ़ बांध पर आधारित लक्ष्मण डूंगरी स्थित फिल्टर प्लान्ट से आ रही 14 इंच व्यास की मुख्य सी.आई. पाइप लाइन के माध्यम से प्रातः 4.00 बजे से 5.00 बजे तक प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था रामगढ़ बांध पर ही आधारित है। गत 4 वर्षों से अल्पवृष्टि होने से बांध में पानी की आवक कम हुई है। अतः बांध में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जल उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घण्टे कम दबाव से पेयजल वितरित हो रहा है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार टैंकर द्वारा भी पेयजल परिवहन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पेयजल वितरण में सुधार हेतु आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा पाइप लाइन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। यह कार्य माह दिसम्बर, 2004 तक पूर्ण होना प्रस्तावित हैं।

(4) जी हां। बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

बांदीकुई के नाकारा हैण्ड पम्प

732. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने हैण्डपम्प नाकारा हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर कितने नये हैण्डपम्प लगा दिये गये तथा शेष कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त शेष हैण्डपम्प कब तक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कुल 47 हैण्डपम्प नाकारा हैं। ग्रामवार विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) विभिन्न प्रकार की योजनाओं में वर्तमान मे नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्पों की आवश्यकता नहीं है।

(3) आवश्यकता नहीं है।

प्रपत्र-"अ"

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नाकारा हैण्डपम्प वाले गांवों की वस्तुस्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या		योजना का प्रकार	हैण्ड पम्पों की स्थिति				टिप्पणी
			1991	2001		कुल	सूखे	नकारा	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बसवा	शहरी	16,153	20999	पाइप्ड	92	14	3	78	
2.	गादरवाडा ब्राह्मणान्	62	643	921	हैण्डपम्प	7	0	1	6	
3.	ऊनबडा, गांव	128	2731	3910	पीएण्डटी	20	2	2	16	
		126	721	1032	हैण्डपम्प	10	5	1	4	

					6	7	8	9	10	11
		114	2075	1971	क्षेत्रीय	10	5	1	4	
6.	हींगोटा	203	2376	2749	पीएण्डटी	11	1	1	9	
7.	खारी की झोपड़ी	199	386	553	हैण्डपम्प	5	0	1	4	
8.	कांकर वास	205	350	501	हैण्डपम्प	9	3	1	5	
9.	महू खुर्द	181	1067	1518	हैण्डपम्प	12	2	1	9	
10.	ढिगारिया भीम	194	1377	1971	हैण्डपम्प	10	1	1	8	
11.	पण्डितपुरा	83	2990	4281	क्षेत्रीय	17	0	6	11	
12.	हरनाथपुरा	84	291	417	क्षेत्रीय	2	1	1	0	
13.	केसरीसिंहपुरा	35	1130	1418	हैण्डपम्प	5	1	1	3	वर्तमान सेवा स्तर 60 प्रतिशत है जो वर्तमान परिपेक्ष में पर्याप्त है।
14.	आनन्दपुरा	86	971	1289	हैण्डपम्प	6	1	2	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	कोठीन	192	667	961	हैण्डपम्प	10	1	1	8	
16.	झूथा हेडा कलां	208	693	992	पीएण्डटी	5	0	1	4	
17.	निहालपुरा	182	1478	2096	हैण्डपम्प	17	0	1	16	
18.	ठिकरिया	174	524	750	हैण्डपम्प	5	1	1	3	
19.	भेदाडी गूजरान	145	708	708	हैण्डपम्प	5	0	1	4	
20.	ख्यालाराम सिंहपुरा	172	40	57	हैण्डपम्प	3	1	1	1	
21.	रानापाडा	167	1585	2904	हैण्डपम्प	17	4	1	12	
22.	श्यालावास कलां	70	998	1830	पीएण्डटी	17	4	1	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	धनावड	61	2794	4140	पीएण्डटी	24	1	1	22	
24.	कोलवा	55	1205	1725	हैण्डपम्प	16	3	2	11	
25.	तिगड्डा	56	662	948	हैण्डपम्प	6	0	1	5	
26.	भोजवाडा	60	927	1327	हैण्डपम्प	6	1	1	4	
27.	लोटवाडा	186	2979	4265	पीएण्डटी	25	2	2	20	
28.	खूटजाटोली	9	563	806	हैण्डपम्प	5	-	2	3	
29.	ऐचेडी	22	1341	1881	हैण्डपम्प	14	1	1	12	
30.	जैतपुरा	47	268	384	हैण्डपम्प	5	0	2	3	
31.	चान्देरा	3	751	1075	हैण्डपम्प	4	0	1	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	भावता	14	1661	2436	हैण्डपम्प	15	2	1	12	
33.	कोट वालों का बास	153	405	580	हैण्डपम्प	5	0	1	4	

अलवर जिले में नवीन मार्बल नीति के तहत प्राप्त आवेदन

733. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में नई मार्बल नीति, 2002 के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? आवेदक का नाम एवं आवेदित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त आवेदनों में कितने स्वीकृत किये गये एवं कितने अस्वीकृत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में नई मार्बल नीति, 2002 के अन्तर्गत खनन पट्टे हेतु 178 एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु 27 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची मय आवेदित क्षेत्र के विवरण सहित परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से खनन पट्टा के 6 एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के 2 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-"स" संलग्न है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से खनन पट्टा के 45 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए है, जिनकी सूची परिशिष्ट-"द" संलग्न है, शेष आवेदन पत्र लम्बित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन एवं सेवन पर रोक

734. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश मे मादक पदार्थों का उत्पादन तथा मादक पदार्थ बनाने का कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो किस पदार्थ का किस-किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मादक पदार्थों के उत्पादन तथा बनाने के सम्बन्ध में प्रभावी रोक हेतु उपाय किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो किस कारण ?

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या सरकार मादक पदार्थों सम्बन्धी कार्य को प्रोत्साहन/संरक्षण देने वालों की सूची बनाकर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) सरकार द्वारा मादक पदार्थो के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं हानि से आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राज्य में जिला भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा ग्रा. व चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन नारकोटिक्स विभाग द्वारा पट्टे दिये जाने के बाद कृषकों द्वारा किया जाता है। जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
1.	भीलवाड़ा	काछोला	घामनिया, हरपुरा, बदनपुरा, जस्सुजी का खेड़ा, आमली, रलायता, काछोल, संरथला, जगपुरा, मोदड़ा, थलकला, हरनाथपुरा, ककोलिया घाटी, जालकारी।
	भीलवाड़ा	बीगोद	बीगोद, बरून्दनी, धाकड़खेड़ा, जोजवा, मोटरों का खेड़ा बिलोड, सांडगांव, सरथला, बिठलपुरा, बागिद, लोडियाणा, बडलियास, सिंगपुरा, सुठेपा, राणीखेड़ा, श्रीपुरा गठवाडा, मेगा का खेड़ा, जीवा खेड़ा।
	भीलवाड़ा	कोटड़ी	खजीना, बडला, बनकाखेड़ा, रेडवास, तीत्या, आकोला, सोपुरा, सवाईपुर, तोलीरडा, सालरिया, गोरों का खेड़ा डेलाणा, डसालिश का खेड़ा।

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	मानपुरा, कोवटा, टहला, डामरीखेडा, पलासिया, श्यामगढ़, काशीराम जी का खेडा, पदमपुरा, रायसिंहपुरा, लालपुरा, बापरपुरा, बल्दरखा, गोविन्द, खाचरोल, लाडपुरा, पीपलदा।
	भीलवाड़ा	बीजोलिया	चान्दजी की खेड़ी, गोपालपुरा, बृजपुरा, डोबिया।
	भीलवाड़ा	शक्करगढ़	जोझर, भृगुनगर, रजावास, हसनखेडा, हरस्लो का खेड़ा, रतनपुरा, कावरी, जवानपुरा।
2.	झालावाड़		सम्पूर्ण झालावाड़ जिला अफीम उत्पादक क्षेत्र है इस क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग द्वारा जिले की सभी 7 तहसीलों मे अफीम के लाईसेन्स के पट्टे कास्तकारों को दे रखे हैं तथा उत्पादित अफीम को नारकोटिक्स विभाग ही एक निर्धारित प्रक्रिया से तोल कर क्रय करता है। उपरोक्त के अलावा यह भी सही है कि अफीम से अन्य घातक निर्मित मादक पदार्थों का उत्पाद यथा स्मेक, हिरोईन, ब्राऊन सुगर, जैसे तैयार किये जाते हैं। परन्तु अधिकांशत स्मेक का उत्पाद अवैध स्तर पर चोरी छिपे तस्करों द्वारा किया जाता है। अतः इस हेतु कोई निर्धारित या चयनित स्थान नहीं होता है।

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
3.	बारां		जिला बारां में मादक पदार्थ अफीम का उत्पादन जिले की राजस्व तहसील बारां, अटरू, छबड़ा एवं छीपाबडोद में होता है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा कृषकों को अफीम उत्पादन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं। अन्य मादक पदार्थ स्मैक, हिरोईन आदि बनाने का कार्य जिले में किसी भी निश्चित स्थान पर नहीं होता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चोरी छुपे अवैधानिक रूप से दूरस्त, दुर्गम एवं निर्जन स्थानों पर गुप्त तरीकों से अफीम से स्मैक का निर्माण करते हैं। पुलिस द्वारा इन अवैध कार्यों की सूचना मिलने पर अपराधियों पर दबीश आदि की कार्यवाही कर मादक पदार्थों की बरामदगी कर उनके विरूद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही भी की जाती है। वर्ष 2002 में निम्न स्थानों पर पुलिस द्वारा अफीम से स्मैक निर्माण करते अपराधियों की गिरफ्तारी की है। जो निम्न प्रकार है- (1) मोजा गागटी थाना छीपाबडोद (2) धामनिया थाना छीपाबडोद (3) करणी थाना छीपाबडोद (4) गोरडी थाना मोठपुर (5) मुसीन-माता थाना मोठपुर (6) ढोलम थाना छीपाबडोद (7) सरसखेडा थाना छीपाबडोद
4.	कोटा ग्रा.		जिले में अफीम का उत्पादन नारकोटिक्स विभाग द्वारा पट्टा दियें जाने के बाद कृषकों द्वारा फसल की जाती है जिनकी सूची निम्न प्रकार है -

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम

नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
बपावरकला	बपावरकला, बपावर खुर्द, मोई कला, डूंगरपुर, लवानिया, खडिया गेहुखेड़ी, बरूखेडी, भूलाहेड़ी।
सुकेत	नालोदिया, जुल्मी, हनोतिया, कोला, उदपुरिया, लखारिया दादिया, चारिया खेड़ी, हरिया खेड़ी।
मोडक	मोडक, गणेशपुरा, हनाऊ, मोडक गांव, पीपल्दा, ईसरपुरा, अमधार, भटवाड़ा, गुणदी।
चेचट	साण्डयाखेडी, गुमानपुरा, कोटडी, खेड़ी, कवरपुरा, भेलु, बडेदिया कला, गुडाला, धायपुरा, मनोहरपुरा।
रामगंजमण्डी	निमाण, दुहनिया, सोहनखेडा, हेमलखेड़ी, गोरधनपुरा, साण्डपुर, धरनावाद, तैल्याखेडी, जगपुरा, देवलीखुर्द, अमरपुरा, हरिपुरा उण्डवा, नियामतखेडी, किशोरपुरा, मण्डली, बन्धा, रावली मण्डा, गूरनखडी, भीमपुरा गोचन्दा दुडकली, रीछडिया, सारनखेड़ी। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ बनाने का कार्य नहीं किया जाता।

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
5.	चित्तौड़गढ़		जिला चित्तौड़गढ़ में अफीम की पैदावार होती है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में अफीम की पैदावर के लिये कृषकों को दिये जाने वाले पट्टों को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड- 1091.655 हैक्टेयर जमीन में कृषकों के अफीम पैदा करने के लिये पट्टे दिये गये। द्वितीय खण्ड में प्रतापगढ़ क्षेत्र में कुल 1642.600 हैक्टेयर जमीन के लिये पट्टे दिय गये परन्तु पानी के अभाव के कारण 1501.545 हैक्टेयर में ही कृषकों द्वारा अफीम पैदा की गई है। तृतीय खण्ड जिला चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग द्वारा 1405.495 हैक्टेयर जमीन में कास्तकारों को अफीम पैदा करने के पट्टे दिये गये। इस प्रकार सम्पूर्ण जिला चित्तौड़गढ़ में अफीम की पैदावार होती है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा 20 आरी में 10.500 ग्राम अफीम कास्तकार द्वारा ली जाती है। लेकिन अच्छे मौसम, अच्छा खाद, अच्छा बीज एवं पर्याप्त पानी एवं फसल की सही रख-रखाव से कृषकों द्वारा 20 आरी में 15 से 20 किलोग्राम अफीम का उत्पादन किया जाता है इस प्रकार प्रत्येक किसान के पास राजकीय मूल्यांकन के अलावा 2 से 5 किलोग्राम तक अफीम की बचत होती है।

क्र. सं.	जिला	नाम थाना	अफीम उत्पादक ग्रामों के नाम
			कृषकों द्वारा यह अफीम कुछ असामाजिक तत्वों या तस्करों के हाथ भारी मूल्य में बेच दी जाती है इस प्रकार जिले में मध्य प्रदेश की सीमा लगने से अफीम की तस्करी होती है।

(2) हां। यह सही है कि सरकार द्वारा मादक पदार्थों के उत्पादन तथा बनाने के सम्बन्ध में प्रभावी रोक के उपाय किये गये, जो निम्न प्रकार से हैं :-

1. मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये चिन्हित स्थानों पर प्रभावी नाकाबन्दी की जाती है व अफीम तस्करी पर कड़ी नजर रखी जाती है।
2. उत्पादित अफीम तथा इससे अवैध रूप से तैयार किये जाने वाले उत्पाद स्मैक इत्यादि की तस्करी पर रोकथाम के प्रयास हेतु नारकोटिक्स विभाग का प्रथम रूप से प्रयास होता है। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चला कर मादक पदार्थों के अवैध करोबार पर नियन्त्रण पर रोकथाम के प्रयास किये गये हैं, इस हेतु अभियान के दौरान आकस्मिक/ नियमित नाकाबन्दी, प्रभावी आसूचना तन्त्र को विकसित कर अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जाती है।
3. सरकार द्वारा अफीम की प्रति हैक्टेयर उत्पादन की अपेक्षित मात्रा में वृद्धि कर दी गई है। ताकि कास्तकारों के पास तोल के पश्चात् अफीम नहीं बचे और बची अफीम तस्करी में प्रयुक्त नहीं हो साथ ही सरकार द्वारा अफीम के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की गई है जिससे कृषक उत्पादित अफीम की समस्त मात्रा राज्य सरकार को जमा कराने के लिए प्रेरित हो।

(गृह मंत्री)

4. मादक पदार्थों का उत्पाद असामाजिक तत्वों एवं तस्करों द्वारा कृषकों से खरीदी गई अफीम से कुछ स्थानों पर ब्राउन शुगर बनाने का कार्य किया जाता है जिसमें खास तौर पर वृत्त प्रतापगढ़ में मौजा, नोगांवा, देवल्दी, अखैपुर, वसाड आदि गांव के खेतों या जंगलों में अफीम से ब्राउन शुगर बनाई जाती हैं। जिले में बेगू क्षेत्र में भी हाल ही में अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के उपकरण एवं फैक्ट्री को जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ द्वारा जब्त किया गया है।

(3) हां, 1. मादक पदार्थों सम्बन्धी कार्य को प्रोत्साहन/संरक्षण देने वालों की सूची बनाकर प्रभावी कार्य करने का विचार रखती है, जो निम्नानुसार है :-

1. मादक पदार्थों सम्बन्धी कार्य को प्रोत्साहन/संरक्षण देने वाले अपराधी, सफेदपोश किस्म के हैं, जिनके विरूद्ध खुफिया तरीके से आसूचना संकलन किया जा रहा है एवं पर्याप्त आधार जुटाये जाकर कार्यवाही किये जाने की योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। पुख्ता ठोस प्रमाण प्राप्त करने पर शीघ्र विधि सम्मत कदम उठाये जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचित कर साक्ष्य संकलन जारी है।

2. यह सही है कि राज्य सरकार मादक पदार्थों सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने वालों के विरूद्व एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कटिबद्व हैं।

3. मादक पदार्थों के सम्बन्ध में समय-समय पर दबिश व नाकाबन्दी के दौरान कार्यवाही कर अभियोग दर्ज किये जाते हैं।

4. मादक पदार्थ सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन/संरक्षण देने वाले लोगों की सूची बनाकर इन अपराधियों पर पुलिस द्वारा विशेष रूप से निगरानी रखी जाकर प्रभावी कार्यवाही हेतु आपराधिक सूचना संकलित करने की कार्यवाही की जाती है।

(गृह मंत्री)

5. एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में गिरफ्तार अपराधियों के जेल से रिहा होने पर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और समय-समय पर चैक किये जाते हैं।

(4) राज्य में मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं नुकसान से आम जनता को जागरूक करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है -

1. मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न बीमारियों/दुष्परिणामों बाबत् नारकोटिक्स विभाग द्वारा मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर प्रकाशन सामग्री का प्रचार प्रसार किया जाता है तथा पुलिस विभाग द्वारा समस्त थाना स्तर पर होने वाली मासिक सी.एल.जी. की बैठक में पंचायतों/ग्राम सभा की बैठक में आमजन को उक्त दुष्परिणामों से अवगत कराया जाकर जन जागृति उत्पन्न किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा विभाग/समाज कल्याण विभाग/ सामाजिक संगठनों से भी समन्वय स्थापित किया जाकर यथायोग एवं सहयोग लिया जाता है। साथ ही स्मेक के आदी व्यक्तियों के पकड़े जाने पर पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक चिकित्सा सहायता यथा नशा मुक्ति शिविर लगाये जा रहे हैं।

2. रैलियों के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया गया है तथा पम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग एवं बैनर आदि के प्रकाशन व वितरण के माध्यम से जनता को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु उत्प्रेरित किया गया तथा मादक पदार्थ के सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

3. युवा वर्ग को इस बुरी लत से दूर रहने हेतु प्रेरणात्मक कार्यवाही शिविरों के माध्यम से की गई।

(गृह मंत्री)

4. प्रत्येक वर्ष 26 जून को अन्तरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस मनाया जाता है जिसमें भी लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया जाता है।

5. वृत्ताधिकारियों/थानाधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्र के स्कूल/कालेजों में छात्र/छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचने के लिए जानकारियां दी गई।

6. समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्र में आम नागरिकों के लिए कैम्प स्थापित कर आम नागरिकगणों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारी के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी गई।

कोटा सम्भाग में भेड़ों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु तैनात गार्डस

735. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग में वर्षाकाल में भेड़ों के निष्क्रमण को नियन्त्रित रूप से सम्पादित करने बाबत् अतिरिक्त पुलिस तथा होमगार्डस की व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कुल कितने पुलिसकर्मी तथा होमगार्डस के जवान तैनात किए जाते हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य हेतु कुल कितने चैक पोस्ट कायम किये जाते हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भेड़ निष्क्रमण की सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस तथा होमगार्डस की नियुक्ति पर होने वाले खर्च को कौनसा विभाग वहन करता है तथा इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय होती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा सम्भाग में वर्षा काल में भेड़ों के निष्क्रमण को नियन्त्रित रूप से सम्पादित करने बाबत अतिरिक्त पुलिस तथा होमगार्डस की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य हेतु कुल 201 पुलिसकर्मी एवं 435 होमगार्डस लगाऐ जाते हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्य हेतु कुल 87 चेक पोस्ट कायम की जाती है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) भेड़ निष्क्रमण की सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस का खर्च पुलिस विभाग तथा होमगार्डस की नियुक्ति पर होने वाला खर्च गृह रक्षा विभाग वहन करता है। इस कार्य पर कुल 1,45,76,607 रूपये की राशि व्यय होती है।

परिशिष्ट-"अ"

कोटा सम्भाग में भेड निष्क्रमण के दौरान तैनात किये जाने वाले अतिरिक्त पुलिस बल एवं होमगार्डस की संख्या

क्र.सं.	जिला	अति. पुलिस कर्मियों की संख्या	होमगार्डस की संख्या
1.	सवाई माधोपुर	23	30
2.	बूंदी	50	100
3.	झालावाड़	49	70
4.	कोटा ग्रामीण	32	60
5.	कोटा शहर	25	45
6.	बारां	-	70
7.	करौली	22	60
	कुल योग :-	201	435

परिशिष्ट-"ब"

जिलेवार चैक पोस्टों की सूची

(1) जिला बूंदी

1-	बोर कुई	2-	लाम्बा खोह	3-	गुंवाह	4-	गरड़दा
5-	खड़ीपुर	6-	डाबी	7-	धोरेला महादेव	8-	धनेश्वर
9-	गोलपुर	10-	पलका	11-	करौंदी	12-	बांकी
13-	गैरा	14-	गुर्जरघाटा	15-	बाबई	16-	तलबास
17-	माण्डपुर	18-	पाण्डूला	19-	अरनेठा	20-	बसोली
21-	खीण्या	22-	बीसवामील	23-	नीम का खेड़ा	24-	तीरथ
25-	सुनगर	26-	नवलपुरा	27-	सथूर	28-	जजावर

(2) जिला कोटा शहर

1-	झंभुपुरा (कुन्हाड़ी)	2-	लखावा	3-	कोलना	4-	केतलगर
5-	जगपुरा	6-	कोलीपुरा	7-	गिरधरपुरा	8-	बोरावास

(3) जिला बारां

1-	बारां	2-	भंवरगढ़	3-	केलवाड़ा	4-	शाहबाद
5-	अटरू	6-	कवाई	7-	नाहरगढ़	8-	कस्बाथाना
9-	अंता	10-	छबड़ा	11-	मांगरोल	12-	बड़ोरा

(4) जिला कोटा ग्रामीण

1-	रावठा	2-	दरा स्टेशन	3-	केशीपुरा	4-	धुलेट

1	2	3	4	5	6	7	8
5-	डाढदेवी	6-	उण्डवा	7-	अलोद	8-	घाटोली
9-	चेचट	10-	भण्डाना	11-	भीलोत	12-	कनवास
13-	बड़ौदा	14-	मांदलिया	15-	खेंडारसूलपुर		

(5) जिला झालावाड़

1-	भवानीमण्डी	2-	बाहोर	3-	भलता	4-	पिड़ावा
5-	मशालपुरा	6-	रिछावा	7-	मिश्रोली	8-	सूलिया
9-	अकलेरा	10-	झालरापाटन	11-	बकानी	12-	खानपुर
13-	डग						

(6) जिला करौली

1-	क्यारदा खुर्द	2-	सुरौठ	3-	नादौती	4-	हाड़ौती
5-	खोहरी	6-	बबड़ा की घाटी	7-	कुड़गांव	8-	लागरा

(7) जिला सवाईमाधोपुर

1-	दुग्ध डेयरी (गंगापुर सिटी)	2-	सवाई माधोपुर मोड़ (गंगापुर सिटी)
3-	भाड़ौती		

कुल - 87

मन्दिर श्री चतुर्भुजजी, बारह भाइयों का चौराहा (जयपुर) में अवैध निर्माण प्रकरण

736. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुरानी बस्ती के रास्ता राजा शिवदासजी, जयपुर में बारह भाइयों के चौराहे पर चतुर्भुजजी के मन्दिर के सामने स्थित सार्वजनिक शिव मन्दिर ध्वस्त कर उस पर तामीरातरत कराने के सम्बन्ध में माह जून, 2004 तक दी राजस्थान रीलिजियस बिल्डिंग्स एण्ड प्लेसेज (एर्मेडमेन्ट) एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर से अनुमति प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर को किसी अतिक्रमी द्वारा गैर कानूनी रूप से ध्वस्त कर बदनीयतिपूर्वक मूल स्वरूप के विरूद्ध दो मंजिल का निर्माण करने के सम्बन्ध में मोहल्लावासियों द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो क्या व किसके विरूद्ध ? शिकायत की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मोहल्लावासियों द्वारा की गई शिकायत के साथ मन्दिर के सार्वजनिक होने के कोई प्रमाण संलग्न किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शिकायत पर अतिक्रमी के विरूद्ध अब तक दी राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्स एण्ड प्लेसेज (एर्मेडमेन्ट) एक्ट, 1988 के प्रावधानों के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अतिक्रमी द्वारा मन्दिर को निजी मिल्कियत बताये जाने के कोई प्रमाण संलग्न किए गए हैं ? यदि हां, तो प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(6) क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मन्दिर को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका मूल स्वरूप बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दी राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्स एण्ड प्लेसेज (एमेंडमेन्ट) एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति/संस्था को चतुर्भुजजी के मन्दिर के सामने स्थित सार्वजनिक शिव मन्दिर को ध्वस्त कर उस पर निर्माण कार्य की कोई अनुमति नहीं दी है।

(2) जी हां। कई मोहल्लावासियों के हस्ताक्षर से पुरानी बस्ती के रास्ता राजा शिवदासजी जयपुर में बारह भाइयों के चौराहे पर चतुर्भुजजी के मन्दिर के सामने स्थित सार्वजनिक शिव मन्दिर ध्वस्त कर उस पर तामीरात कराने के सम्बन्ध में शिकायत जिला कलेक्टर, जयपुर को दिनांक 14-6-2004 को श्री रघुवीर शरण पारीक के विरूद्ध प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। मोहल्लेवासियों द्वारा शिकायत के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न की हैं-

1- नकल खसरा नक्शा आबादी

2- आयुक्त नगर परिषद, जयपुर की टिप्पणी

3- मोहल्लेवासियों का सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को लिखा पत्र

(4) विधान सभा प्रश्नोत्तर दिनांक 25-3-1983 की छाया प्रति प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(गृह मंत्री)

अतिक्रमी को राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम, 1954 के तहत नोटिस जारी किया गया एवं जांच विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

(6) अभी जांच विचाराधीन है। जांच का निष्कर्ष सामने आने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

महुआ (दौसा) थाना में वृत्त निरीक्षक का पदस्थापन

737. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस थानों में सी.आई. पद सृजन हेतु क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के पुलिस थानों में सी.आई. के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1998 के बाद किस-किस थाने में सी. आई. के पद सृजन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना महुआ (दौसा) में सी.आई. के पद की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक पद स्थापन नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(5) क्या सरकार अब उक्त थाने में सी.आई. पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस थानों में सी.आई. पद सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां वर्ष 1998 के बाद थानों में सृजित किये गये सी.आई. के पदों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) महुआ थाने हेतु सी.आई. का पद सृजित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1998 से 2004 तक स्वीकृत निरीक्षक स्तर के थाने

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष	थाना जहां सी.आई. का पद सृजित है
1.	जयपुर ग्रामीण	1999	1. चन्दवाजी
			2. फागी
2.	झुन्झुनूं	" "	3. पिलानी
			4. चिडावा
3.	टोंक	" "	5. देवली
4.	दौसा	" "	6. लालसोट
5.	बीकानेर	" "	7. नया शहर
6.	चुरू	" "	8. डूंगरगढ़ (अब यह थाना बीकानेर जिले में हैं)

1	2	3	4
			9. सरदार शहर
7.	हनुमानगढ़	" "	10. नोहर
			11. भादरा
8.	उदयपुर	" "	12. डबोक
			13. रिखबदेव
9.	चित्तौड़गढ़	" "	14. चन्द्रेरिया
10.	कोटा ग्रामीण	" "	15. इटावा
11.	बारां	" "	16. अन्ता
			17. अटरू
12.	झालावाड़	" "	18. झालरापाटन
13.	बूंदी	" "	19. दाई
			20. हिण्डोली
			21. डाबलाना
14.	भरतपुर	" "	22. रूपवास
15.	भीलवाड़ा	" "	23. जहाजपुर
16.	अजमेर	2001	24. दरगाह

उप अधीक्षक पुलिस पद हेतु आरक्षित बैकलाग

738. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उप अधीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग शेष है ? यदि हां, तो कितने पद ? अब सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला (उप अधीक्षक पुलिस) में वर्ष 2003-04 की रिक्तियों में अनुसूचित जाति के 13 एवं अनुसूचित जनजाति के 11 पद बैकलाग सहित निर्धारित किये गये हैं। इन पदों को पदोन्नति से भरने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

हाड़ौती सम्भाग में प्रस्तावित राजीव गांधी नेशनल पार्क

739. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हाड़ौती में राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस पार्क की कुल सीमा कितनी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नेशनल पार्क के बनने पर हाड़ौती में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा हाडौती में नेशनल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है।

लगभग 200 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को जो दरा अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य का भाग है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान का भाग होगा।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना से हाड़ौती क्षेत्र में विश्व स्तरीय पर्यटन विकास का ठोस आधार प्राप्त होगा। स्थानीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का यह मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा। इसी श्रृंखला में अब तक पर्यटकों से उपेक्षित बूंदी की पेन्टिंग्स, हाड़ौती के पुरातत्व महल, मन्दिरों, किलों तथा रावठा, अभेड़ा महल, गागरोन किला, मन्दिरगढ़, बाडीली, रामगढ़, भण्डदेवरा के मन्दिर, मुकन्दरा पहाडियों में उपलब्ध शैल चित्र, बुद्व गुफायें आदि स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से हाड़ौती क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलने की प्रबल सम्भावना है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के उपरान्त भारत सरकार से इसके लिए नियमित रूप से राशि मिलने की सम्भावना है। उसी के अनुरूप कार्य योजना तैयार की जायेगी।

चूरू जिले में वन विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि

740. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में काम्बेटिंग डेजर्टीफिकेशन कार्य के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना क्रियान्वित की जा रही है ?

(2) यदि हां। तो इस योजना के अन्तर्गत जिला चूरू एवं चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में टीबा स्थिरीकरण, वृक्षारोपण, शेल्टरबैल्ट वृक्षारोपण तथा पौध वितरण के लिए कितनी राशि का आबंटन तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना के अन्तर्गत जिला चूरू एवं चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में टीबा स्थिरीकरण, वृक्षारोपण, शैल्टर बेल्टरूट वृक्षारोपण तथा पौध वितरण कार्यों हेतु स्वीकृत बजट एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-"क"

	जिला चुरू						तारानगर						राजगढ़					
	टीबा स्थिरीकरण		शैल्टर बैल्ट		पौध वितरण		टीबा स्थिरीकरण		शैल्टर बैल्ट		पौध वितरण		टीबा स्थिरीकरण		शैल्टर बैल्ट		पौध वितरण	
	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	स्वीकृत बजट (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
फेज-I																		
00-01	360-44	154.01	139.73	108.60	14.22	13.48	0	0	25.54	19.85	1.14	1.08	70.52	30.13	20.69	16.08	2.06	1.95
01-02	79-47	71.44	66.92	86.99	14.22	5.27	4.42	3.97	12.28	15.96	2.59	0.96	16.09	14.46	9.31	12.11	2.15	0.8
02-03	59-12	39.41	63.22	37.91	14.22	0.28	3.74	2.49	9.12	5.47	4.08	0.88	16.6	12.4	19.67	11.8	5.07	0.1
03-04	21-49	37.23	63.80	89.79	5.92	4.96	1.07	1.86	9.76	13.77	2.52	2.11	6.13	10.63	7.86	11.08	2.11	1.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
फेज-II																		
01-02	110-7	66.42	74.14	44.06	3.68	1.03	13.57	8.14	15.58	9.26	0.93	0.26	36.1	21.87	10.72	6.37	1.07	0.3
02-03	107.22	54.63	129.31	55.21	5.24	1.19	15.88	8.09	22.53	8.62	1.54	0.35	28.49	14.51	27.94	11.93	1.59	0.36
03-04	140.27	136.81	132.91	65.19	5.24	4.45	2.58	8.78	57.55	28.23	0.78	0.67	4.24	14.52	50.94	29.89	3.18	2.7

अतारांकित प्रश्न संख्या-741

(स्थगित)

निम्न दर्जे के बीज, खाद एवं कीटनाशक आपूर्ति कर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही

742. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार निकृष्ट दर्जे के बीज, नकली, खाद व नकली कीटनाशक दवाइयां सप्लाई करने वाली कम्पनियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी फर्मों को चिन्हित करने के लिए कोई विशेष कार्यबल गठित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी फर्मों पर कार्यवाही अब तक की जा चुकी है व उनकी सप्लाई से प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा निकृष्ट दर्जे के बीज, नकली खाद व नकली कीटनाशक दवाइयां सप्लाई करने वाली कम्पनियों/विक्रेताओं के विरूद्ध कृषि आदान निरीक्षकों द्वारा बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियन्त्रण आदेश 1983, उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी नियम 1971 में प्रावधित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनतर्गत न्यायिक कार्यवाही की जाती है।

(2) कृषि आदानों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी फ़सलों की बुवाई से पूर्व विशेष गुण नियन्त्रण अभियान भी चलाया जाता है। वर्ष 2004-05 में खरीफ अभियान विक्रेताओं के यहां से बीज के 1706, उर्वरक के 690 व कीटनाशक के 104 नमूने लिये गये हैं, इस दौरान 72 में विक्रय पर रोक, 5 में जब्ती और 10 में अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये।

(कृषि मंत्री)

राज्य स्तर पर उडनदस्ता गठित किया गया है किसी प्रकार की शिकायत आने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

किसान अपने नुकसान की भरपाई उपभोक्ता मंच में वाद दायर कर प्राप्त कर सकते हैं।

कठूमर के कस्बा खेड़ली में संचालित ग्रेडिंग सेन्टरों की निगरानी

743. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कस्बा खेडली में कितने ग्रेडिंग सेन्टर हैं ? नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रेडिंग सेन्टरों पर किसानों को कृषि कार्यों हेतु जिन्सों का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो किस दर से किस-किस किसान को कब-कब और कितना-कितना ? किसानों के नाम सहित ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्रेडिंग सेन्टरों की प्रक्रिया क्या है क्या इन सेन्टरों पर किसानों को जिन्स की ग्रेडिंग के आदान-प्रदान करने हेतु कोई रिकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्रेडिंग सेन्टरों पर किसानों को जिन्स किस दर पर दिया जाता है तथा किसानों से किस दर पर लिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्रेडिंग सेन्टरों पर जिन्स की खरीद के बाद ग्रेडिंग की जाती हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी के समक्ष ग्रेडिंग कर टैग लगाए जाते हैं ? इस हेतु कस्बा खेडली में किस अधिकारी को नियुक्त कर रखा है ? क्या इसका इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में किया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार ग्रेडिंग सेन्टरों पर जनप्रतिनिधि की निगरानी में जिन्सों की खरीद के बाद ग्रेडिंग व टैग लगाए जाने हेतु कोई कमेटी का गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री रमेश खींची)

(7) क्या सरकार इन ग्रेडिंग सेन्टरों पर जनप्रतिनिधि के समक्ष रिकार्ड व स्टॉक की जांच कराए जाने का विचार रखती है ?

(8) क्या यह सही है कि जिन्सों को बाजार से कम दर पर खरीद कर टैग लगा कर उच्च दरों पर किसानों को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या ग्रेडिंग सेन्टरों द्वारा किसानों को कृषि के लिए उपलब्ध कराए गए जिन्सों की पहचान हेतु कोई बोर्ड लगाए जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कस्बा खेरली में पांच ग्रेडिंग सेन्टर है। जिनके नाम इस प्रकार हैं।

1- मैसर्स कृष्णा एग्रो सर्विस सेन्टर, स्टेशन रोड, खेरली (पंजीकरण संख्या 23)

2- मै. श्रीजी उद्योग, इन्डस्ट्रीयल एरिया, खेरली (पंजीकरण संख्या 80)

3- मै. चन्द्रा एग्रो सीडस कं. एच 22-23, रीको, खेरली (पंजीकरण संख्या 102)

4- मै. बलदेव सीडस कारपोरेशन, अरूवा, कठूमर रोड़, खेड़ली (पंजीकरण संख्या 125)

5- मै. शैलजा एन्टरप्राईजेज रामपुरा रोड, खेरली (पंजीकरण संख्या 136)

(2) जी नहीं। जिन्सों का वितरण नहीं किया जाता।

(3) ग्रेडिंग सेन्टरों पर बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा क्षेत्र स्तर पर मानक पाये गए बीज प्रक्षेत्रों की उपज का अनुमानित उपज विवरण के अनुसार

(कृषि मंत्री)

तथा फसल किस्म वर्ग अनुसार भण्डार किया जाता है। उसके बाद संस्था के अधिकारियों की देखरेख में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार ग्रेडिंग मशीनों की निर्धारित जालियों द्वारा विधायन कार्य करवाया जाता है। एवं विधायित बीज का नमूना बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को विश्लेषण हेतु भिजवाया जाता हैं। किसानों से प्राप्त उपज, विधायन आदि की विस्तृत सूचना ग्रेडिंग सेन्टरों पर बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा बीज उत्पादकों द्वारा निर्धारित पंजिकाओं में रखी जाती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त बीज लाटस की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मानक बीज लाटस की निर्धारित पैकिंग साइज के बैग्स में पैकिंग, टैगिंग व सीलिंग संस्था अधिकारी द्वारा करवायी जाती है। उसके उपरान्त बीज अधिनियम के अनुसार सेक्शन-9 का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद ही संस्था द्वारा प्रमाणित किए गये बीज, उत्पादक संस्थाओं द्वारा विपणन किये जाते हैं।

बीजों की ग्रेडिंग के आदान प्रदान करने हेतु सेन्टरों पर संस्था की बीज विधायन पंजिका, टैग्स रजिस्टर तथा बीज उत्पादकों का बीज आवक-जावक रजिस्टर रखा जाता है। जिनमें विस्तृत सूचनायें अंकित की जाती है।

(4) ग्रेडिंग सेन्टरों पर किसानों को जिन्स का वितरण नहीं किया जाता है। किसानों को दी जाने वाली दर का निर्धारण आपसी सहमति से सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था व कृषकों के द्वारा किया जाता है।

(5) ग्रेडिंग सेन्टरों पर खरीफ एवं रबी फसलों के समस्त बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आबंटित एवं क्षेत्र स्तर पर मानक पाये गये फसल किस्मों के बीजों की ग्रेडिंग की जाती है। यह कार्य कस्बा खेरली में दो सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है। इस हेतु कस्वा खेरली में डा. के. राम चन्द्रराव तथा श्री रमेश कुमार सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को नियुक्त कर रखा हैं। ग्रेडिंग व टैगिंग का स्टोक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है।

(6) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कमेटी गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(7) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(8) जी नहीं।

(9) ग्रेडिंग सेन्टरों पर उपज को फसल, किस्म वर्ग अनुसार भण्डारित किया जाता है। उसी प्रकार विधायित बीजों को भी पृथक-पृथक रखा जाता हे एवं भण्डारित मात्रा की पहचान हेतु स्टेक कार्ड लगाये जाते हैं जिनमें समस्त भण्डारित बीजों की सूचना अंकित होती है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तिम छोर के चकों के पक्के खालों का निर्माण

744. श्री गुरजन्ट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज द्वितीय में पक्के खालों का निर्माण पूरे चक के अन्तर्गत पड़ने वाले मुरब्बों के आधार पर किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सी.ए.डी. के अन्तर्गत स्टेज द्वितीय में विभिन्न चकों में अन्तिम छोर पर पड़ने वाले एक-एक मुरब्बा को छोड़कर पक्के खाले निर्मित किये गये हैं ?

(3) प्रत्येक चक में अन्तिम छोर के एक-एक मुरब्बे को पक्का न करने का आधार व औचित्य क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, दिनांक 7-3-1996 से पूर्व चक में पूरी लम्बाई में खाला निर्माण कार्य किया जाता था परन्तु दिनांक 7-3-1996 से दिनांक 3-9-2002 की अवधि में लागत प्रति हैक्टर कम करने के उद्देश्य से चक के मुख्य खाले व शाखा के अन्तिम एक या दो मुरब्बों लाइन को कच्चा छोडा गया है तथा दिनांक 3-9-2002 के पश्चात् पूरी लम्बाई में पक्के खालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) चक को अन्तिम मुरब्बे में पानी चलाने की समय अवधि कम होने के कारण पानी की लोसेज कम होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति हैक्टेयर लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक चक में मुख्य खाला व शाख के अन्तिम छोर को कच्चा रखने का प्रावधान किया गया। क्षेत्र के किसानों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर वर्तमान में पूरे चक में पक्के खालों का निर्माण करवाया जा रहा है।

रानीवाड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद

745. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों हेतु विभागीय चयन समिति का आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषयों के 1407 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है तथा व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी हैं। अतः चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के अन्तर्गत विद्यालायों में रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्र. चार्य	कब से रिक्त	प्र.अ.	कब से रिक्त	व्याख्याता मय विषय	कब से रिक्त	वरिष्ठ अ. मय विषय	कब से रिक्त	अध्यापक	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	राउमावि, रानीवाड़ा	-	-	-	-	अंग्रेजी-2	7-2-2001	गणित-2	2/01	3	1/2 के 10/01
						जीव विज्ञान-1	15-3-2004		23-2-2004		
						वाणिज्य-3	3/02, 10/02, 1/03	विज्ञान-1	24-2-2004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	राउमावि, मालवाड़ा (आर)	-	-	-	-	हिन्दी-1	30-9-2002	अंग्रेजी-1	31-10-2003	-	-
						वाणिज्य-2	16-10-2002	विज्ञान-1	11/99		
3.	राउमावि, बड़गांव	-	-	-	-	हिन्दी-1	10/02	विज्ञान-2	7/2001, 7/2001		
						अंग्रेजी-1	15-10-2002	सामा.-1	7/03	-	-
						इतिहास-1	6-10-2002				
						भूगोल-1	2-7-2003				
4.	राउमावि, गोंग	01	31-10-2002	-	-	हिन्दी-1	3/2001	सामान्य -1	15-2-2003	01	31-10-2003
						अंग्रेजी-1	3/01	-	-	-	-
						इतिहास-1	3/01	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						रा. वि.-1	3/01	-	-	-	-
5.	राउमावि, जसवंतपुरा	-	-	-	-	अंग्रेजी-1	11/95	गणित-1	7/2001	03	1/98 से
						इतिहास-1	29-2-2004				
						रा. वि.-1	1-11-1990				
6.	राउमावि, (बा.) रानीवाड़ा	01	7/03	-	-	हिन्दी-1		अंग्रेजी-1	7/01	-	-
						इतिहास-1		गणित-1	7/99	-	-
						रा.वि.-1		सामा.-1	11/02		
7.	राउमावि, रामसीन	-	-	-	-	अंग्रेजी-1		अंग्रेजी-1	15-7-2003	01	14-9-2002
								विज्ञान-1	7/99		
								सामा.-1	10-3-2004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	राउमावि, मांडोलीनगर	-	-	-	-	हिन्दी-1		सामा.-1	10/03	-	-
						इतिहास-1					
						रा.वि.-1					
						अर्थ शा.-1					
9.	राउमावि, तवाब	-	-	-	-	हिन्दी-1		अंग्रेजी-1	11/2001	-	-
						इतिहास-1		विज्ञान-1	7/2001		
						रा.वि.-1					
10	रामावि, करवाड़ा	-	-	-	-	-	-	विज्ञान-1	3/01	01	13-12-2002
11.	रामावि, पूरण	-	-	-	-	-	-	अंग्रेजी-1	7/03	03	7/2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	रामावि, जाखड़ी	-	-	-	-	-	-	गणित-1	7/03	-	-
								गणित-1	7/01	01	7/97
13.	रामावि, मुडतरासीली	-	-	01	7/2001	-	-	विज्ञान-1	28-6-2003		
								अंग्रेजी-1	7/01	-	-
								विज्ञान-1	3/01		
14.	रामावि, पावली	-	-	-	-	-	-	गणित-1	3/01	-	-
15.	रामावि, तातोली	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3/2000
16.	रामावि, सीकवाड़ा	-	-	-	-	-	-	अंग्रेजी-1	7/03	03	7/2003
								गणित-1	7/2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	रामावि, धानसा	-	-	-	-	-	-	विज्ञान-1	9/01	-	-
								सामा.-1	7/03		
18.	रामावि, मोदरन	-	-	-	-	-	-	सामान्य -1	-	01	4/2000
19.	रामावि, राजीकावास	-	-	-	-	-	-	विज्ञान-1	7/2001	01	4/2000
20.	रामावि, कोडका	-	-	-	-	-	-	अंग्रेजी-1	7/2001	01	3/2000
	योग:-	2	-	2	-	31	-	34	-	23	

परिशिष्ट-"क"

(सिर्फ रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रिक्त पदों की सूचना)

प्रपत्र

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद				रिक्त पद				रिक्त पद कब से है।			
		II	III	शा. शि.	योग	II	III	शा. शि.	योग	II	III	शा. शि.	योग
1.	राउप्रावि., मोखतरा	01	04	01	06	---	01	---	01		00		
2.	राउप्रावि., कोटडा	01	04	01	06	---	---	---	---				
3.	राउप्रावि., डाडोकी	01	02	01	04	---	01	---	01		7/03		
4.	राउप्रावि., दईपुर	01	04	01	06	---	01	---	01		2000		
5.	राउप्रावि., जालेराखुर्द	01	04	01	06	---	---	01	01	---		9/03	
6.	राउप्रावि., वणधर	01	04	01	06	---	01	---	01	---	2000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	राउप्रावि., सावलावास	01	03	--	04	---	01	---	01		7/03		
8.	राउप्रावि., रतनपुर	01	04	01	06	---	01	---	01		7/01		
9.	राउप्रावि., मैत्रीवाडा	01	05	--	06	---	03	---	03		9/03		
10.	राउप्रावि., धानौल	01	06	01	08	---	02	01	03		2000	9/03	
11.	राउप्रावि., सिलासन	01	03	01	05	---	02	---	02		2002		
12.	राउप्रावि., रानीवाडा खुर्द	01	05	01	07	---	01	---	01		12/03		
13.	राउप्रावि., बामनवाडा	01	04	01	06	---	01	---	01		12/2000		
14.	राउप्रावि., धामसीत्र	01	04	01	06	---	01	---	01		11/2001		
15.	राउप्रावि., चाटवाडा	01	05	01	07	---	01	---	01		11/2002		
16.	राउप्रावि., भाटीप	01	05	--	06	---	02	---	02		9/2002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	राउप्रावि., सूरजवाडा	01	04	01	06	---	02	---	02		7/2003		
18.	राउप्रावि., डूंगरी	01	04	01	06	---	01	---	01		2000		
19.	राउप्रावि., मेडा	01	04	01	06	---	01	---	01		12/2002		
21.	राउप्रावि., सेवाडिया	-	03	-	03	0	---	0	02	---	2000	---	---
22.	राउप्रावि., रानीवाडाकला	-	05	-	05	---	01	---	01	---	2002	---	---
23.	राउप्रावि., जाखंडी	01	00	-	01	01	0	---	01	---	2001	---	---
24.	राउप्रावि., करवाडागांव	01	06	-	07	01	06	---	07	---	2002	---	---
25.	राउप्रावि., रोपसी	01	-	-	01	01	---	---	01	---	2001	---	---
26.	राउप्रावि., करडा	02	-	-	02	02	---	---	02	---	2001	---	---
	कुल योग	**24**	**74**	**16**	**114**	**5**	**29**	**02**	**36**	---	---	---	---

(रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पंचायतराज के रिक्त पदों की संख्या)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद III	रिक्त कब से है III
1.	राप्रावि., कोडका	06	02	2000 से
2.	राप्रावि., मण्डारनरडी	02	01	2000 से
3.	राप्रावि., उदा की ढाणी	02	01	2000 से
4.	राप्रावि., मारूवाडा	04	01	2000 से
5.	राप्रावि., आन्नदपुरा	02	01	2000 से
6.	राप्रावि., पाल	03	01	2000 से
7.	राप्रावि., बडगांव	08	03	2001 से
8.	राप्रावि., भवरियां	02	01	2001 से
9.	राप्रावि., चरपटियां	03	01	2001 से
10.	राप्रावि., पाडावी	02	01	2001 से
11.	राप्रावि., कोरी	05	02	2003 से
12.	राप्रावि., चारा	03	01	2002 से
13.	राप्रावि., वाडाभोजा	03	01	2002 से

1	2	3	4	5
14.	राप्रावि., रोपसी	05	03	2000 से
15.	राप्रावि., वाडाल	02	01	2001 से
16.	राप्रावि., जालोर कल्ला	04	01	2003 से
17.	राप्रावि., बब का गमाला	02	01	2001 से
18.	राप्रावि., बिलड	03	01	2000 से
19.	राप्रावि., चादपुरा	02	02	2001 से
20.	राप्रावि., जाखड़ी	08	04	2000 से
21.	राप्रावि., लालपुरा ढाणी	02	01	2000 से
22.	राप्रावि., लाखावास	03	01	2001 से
23.	राप्रावि., बोलवाडा	04	02	2001 से
24.	राप्रावि., ताविदर	03	02	2003 से
25.	राप्रावि., चिमनगढ़	02	01	2001 से
26.	राप्रावि., हीरपुरा	04	01	2002 से
27.	राप्रावि., आदरवाडा	03	01	2002 से
28.	राप्रावि., डोडवाडियां	05	----	-------

1	2	3	4	5
29.	राप्रावि., वरेठा	03	01	2000 से
30.	राप्रावि., मेडक कल्ला	02	01	2000 से
31.	राप्रावि., रूपावटी खुर्द	02	01	2002 से
32.	राप्रावि., बाह का बास	02	01	2000 से
33.	राप्रावि., केर	02	01	2000 से
34.	राप्रावि., धुलियां	02	01	2000 से
35.	राप्रावि., करडा	06	01	2000 से
36.	राप्रावि., रानीवाडा	07	01	2000 से
37.	राप्रावि., कोटकी ढाणी	03	01	2000 से
		121	47	

लोक जुम्बिश परियोजना में नियुक्त कर्मियों का समायोजन

746. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोक जुम्बिश परियोजना दिनांक 30 जून, 2004 से समाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि लोक जुम्बिश परियोजना में भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी कर विगत वर्षों में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में किन-किन पदों पर किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसी साजिश के तहत उक्त नियुक्तियां स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्फत होने का उल्लेख नियुक्ति आदेश में अंकित कर दिया गया, जबकि विज्ञापन में ऐसा किये जाने का उल्लेख नहीं था ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियों को स्वयंसेवी संस्थाओं से जोड़ने के कारण दिनांक 30 जून, 2004 से ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त अनुबन्धित कर्मचारी को सर्व शिक्षा अथवा अन्य किसी निकाय में समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किसमें एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। 30 जून, 2004 को लोक जुम्बिश परियोजना समाप्त हो चुकी हैं। लोक जुम्बिश परियोजना के तृतीय चरण की अवधि दिनांक 30 जून, 2004 को समाप्त हो जाने के कारण परियोजना समाप्त हो गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। किसी साजिश के तहत नियुक्तियां स्वयंसेवी संस्था द्वारा नहीं की गई बल्कि रैप्सर एक्ट के प्रावधानों के कारण आवश्यकतानुसार कार्मिकों की सेवाएँ सेवा एजेन्सी के मार्फत ली गई। जिसका उल्लेख कुछ विज्ञापनों में भी किया गया है।

(4) जी हां। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नियुक्त कार्मिकों की सेवाएँ भी लोक जुम्बिश परियोजना के 30 जून, 2004 को समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई। शाषी परिषद की बैठक के निर्णयानुसार उक्त कार्मिकों को आवश्यकता होने पर सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिकता से लिया जायेगा।

(5) लोक जुम्बिश के अनुबन्धित कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया है, शेष श्रेणी के कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान या अन्य निकायों में समायोजन का कोई विचार नहीं है, बल्कि शाषी परिषद की बैठक के निर्णय अनुसार उक्त कार्मिकों को आवश्यकता होने पर सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिकता से लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

फागी के विद्यालयों में रिक्त पद

747. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (बालक/बालिका) विद्यालय हैं ? उक्त प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं व उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या परिशिष्ट-'क' में सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फागी में माध्यमिक शिक्षा में संचालित विद्यालयों में अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' एवं 'ख' में सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) शिक्षकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे एवं वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटने पर अन्य संवर्ग के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट – क

क्र.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	प्रधानाचार्य		प्र.अ.		व्या.		स.अ.		प्र.का.लि.		व.पु.अ.		व.प्र.स.		[illegible]		[illegible]		पु.अ.		प्र.क.स.		कार्य. [illegible]		व.लि.		क.लि.		प्र.प्र.स.		अनाबाद		च.श्रे.क.	
1	[illegible]	[illegible]	1	1	0	0	21	19	16	14	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	4	4	1	1	8	5
2	राजमा... [illegible]	339	1	1	0	0	3	2	8	6	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	[illegible]	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	8	8
3	राजमावि [illegible]	436	1	1	0	0	3	1	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
4	[illegible]	708	1	1	0	0	4	3	8	4	1	1	1	1	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	4
5	राजमावि [illegible]	382	1		0	0	4	4	8	5	1	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4
6	राजमावि [illegible]	[illegible]	1	1	0	0	6	4	8	6	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	4	2
7	राजमावि [illegible]	391	1	1	0	0	5	3	8	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	5
8	राजमावि [illegible]	647	[illegible]	1	0	1	18	17	8	6	1	1	0	[illegible]	1	1	2	2	0	0	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	[illegible]	1	1	0	4	4
9	राजमावि [illegible]	[illegible]	1	1	1	[illegible]	[illegible]	4	9	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	5	5
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	8	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4
11	राजावि [illegible]	177	[illegible]	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	राजावि [illegible]	104	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
13	राजावि [illegible]	142	0	0	1	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
14	राजावि [illegible]	318	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
15	राजावि [illegible]	177	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
16	राजावि [illegible]	177	0	0	1	1	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2
17	राजावि [illegible]	167	0	0	1	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
18	राजावि [illegible]	166	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट – क (D)

क्र. स.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	[illegible]		प्र.अ		व्या.		व.अ		व शा शि		व पु अ		व प्र श्या स		अध्या.		शा. शि		पु अ		प्र शा स		कार्या सहा		व.लि.		क.लि.		प्र शा से		जमादार		च.श्रेणी	
19	रामा.वि [illegible]	[illegible]	0	0	1	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2
20	[illegible]	343	0	0	1	1	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	3
21	[illegible]	197	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
22	[illegible] बुजुर्ग	165	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
23	रामावि डाबिच	229	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
24	रामावि डिडावता	178	0	0	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
25	रामावि किशोरपुरा	158	0	0	1	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
26	रामावि लदाना	217	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
27	रामावि मन्डोर	221	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
28	रामावि मण्डावरी	148	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
29	रामावि मेन्दवास	264	0	0	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	3
30	रामावि पीपला	258	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
31	राबामावि माधोराजपुरा	154	0	0	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3
	योग		10	9	21	21	71	60	180	134	8	5	4	4	1	1	70	59	21	20	12	12	6	6	3	3	31	27	23	23	10	5	3	2	84	75

परिशिष्ट-"ख"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद		कब से रिक्त है
		संख्या	पदनाम	
1.	राउमावि., चाकसू	2	व्याख्यता	Feb-04
		2	वरि. अध्यापक	Jul-03
2.	राउमावि., कादेडा	1	व्याख्यता	Apr-03
		1	अध्यापक	Dec-03
3.	राउमावि., निमोडिया	2	व्याख्यता	Feb-04
		2	वरि. अध्यापक	July 01, Sep 01
4.	राउमावि., चाकसू	1	व्याख्यता	Mar-04
		2	वरि. अध्यापक	Nov 02, Apr 03
		1	च.श्रे.क.	May-02
5.	राउमावि., चौरू	1	प्रधानाचार्य	Jan-04
		1	वरि. अध्यापक	Jul-00
		1	व.शा. शिक्षक	Jul-99
6.	राउमावि., माधोराजपुरा	1	व्याख्यता	Aug-02
		2	च.श्रे.क.	Jul-95
7.	राउमावि., निमेडा	2	व्याख्यता	Jan 01, Sep 02
		1	वरि. अध्यापक	Jul-03
		1	व.शा. शिक्षक	Jan-01

1	2	3	4	5
		1	वरि. लिपिक	Mar-04
		1	च.श्रे.क.	Apr-03
8.	राउमावि., फागी	1	व्याख्यता	Mar-03
		5	प्र.शा.सेवक	Mar-02
		1	जमादार	Jul-03
9.	राउमावि., रेनवाल माझी	2	वरि. अध्यापक	June 03, July 03
10.	राउमावि., फागी	1	व्याख्यता	Apr-02
		2	वरि. अध्यापक	Jul-03
		1	व.शा. शिक्षक	Dec-02
11.	राउमावि., खाजलपुरा	3	वरि. अध्यापक	July 01, Dec 02
12.	राउमावि., कौथून	2	वरि. अध्यापक	July 03, Dec 03
		1	अध्यापक	Aug-03
13.	राउमावि., थूनी अहिरान	2	वरि. अध्यापक	Sep 01, Aug 03
14.	रामावि., दूमलीकावास	1	वरि. अध्यापक	Dec-01
		1	शा.शि.	May-00
		1	च.श्रे.क.	Jun-03
15.	रामावि., टूटोली	1	वरि. अध्यापक	Sep-03
16.	रामावि., बीची	2	वरि. अध्यापक	Apr-03

1	2	3	4	5
		1	अध्यापक	Apr-03
		1	वरि. लिपिक	Mar-04
17.	रामावि., चांदमाकलां	1	वरि. अध्यापक	Jul-01
		1	च.श्रे.क.	Jul-03
18.	रामावि., चकवाडा	1	वरि. लिपिक	Mar-04
		1	च.श्रे.क.	Oct-02
19.	रामावि., चित्तौडा	2	वरि. अध्यापक	Oct 02, July 03
		2	अध्यापक	Jul-03
20.	रामावि., डाबला बुजुर्ग	1	अध्यापक	Dec-02
21.	रामावि., डाबिच	2	वरि. अध्यापक	July 01, July 03
22.	रामावि., डिडावता	3	वरि. अध्यापक	Aug 97, Apr 01
23.	रामावि., किशोरपुरा	1	वरि. अध्यापक	Aug-00
		1	अध्यापक	Mar-01
24.	रामावि., लदाना	2	वरि. अध्यापक	Jan 00, July 01
25.	रामावि., मण्डोर	2	वरि. अध्यापक	July 01, Oct 02
		1	च.श्रे.क.	Jun-03
26.	रामावि., मण्डावरी	2	वरि. अध्यापक	Apr-03
		3	अध्यापक	Apr-03
		1	वरि. लिपिक	Mar-04

1	2	3	4	5
27.	रामावि मेन्दवास	3	वरि. अध्यापक	Nov-98, Nov 02, Mar 04
		1	अध्यापक	Oct-03
		1	च.श्रे.क.	Mar-04
28.	रामावि., पीपला	2	वरि. अध्यापक	Mar 02, July 03
29.	राबामावि., माधोराजपुरा	3	वरि. अध्यापक	Jul-03
	योग	92		

गोगुन्दा व कोटड़ा पंचायत समिति में प्रस्तावित बालिका प्राथमिक विद्यालय

748. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में कितने बालिका विद्यालय कहां-कहां पर हैं तथा किस विद्यालय में कितने शिक्षकों के पद कब से रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में चल रहे बालिका विद्यालयों, उनमे शिक्षकों के रिक्त पदों एवं पद रिक्त होने की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

शिक्षकों के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर एवं स्थानान्तरण से भरे जा सकेंगे।

(2) सामान्यतया: राज्य सरकार प्राथमिक स्तर पर पृथक से नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलती हैं, परन्तु पर्याप्त संख्या में बालिकाऐं उपलब्ध होने एवं स्थानीय जन समुदाय की मांग होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट-"1"

पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में चल रहे बालिका विद्यालयों एवं उनमें शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या एवं कब से रिक्त है का विवरण					
			व्याख्याता		II ग्रेड अध्यापक		III ग्रेड अध्यापक	
			संख्या	कब से	संख्या	कब से	संख्या	कब से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गोगुन्दा	राबाउमावि., गोगुन्दा	03	1/02 से 10/02 से 2/04 से	-	-	01	01/01 से
2.	गोगुन्दा	राबाउमावि., सायरा	-	-	02	10/02 से 5/03 से	-	-
3.	गोगुन्दा	राबाप्रावि., गोगुन्दा	-	-	-	-	-	-
4.	गोगुन्दा	राबाप्रावि., कमाल	-	-	-	-	-	-
5.	गोगुन्दा	राबाप्रावि., सायरा	-	-	-	-	-	-
6.	गोगुन्दा	राबाप्रावि., नांदेशमा	-	-	-	-	01	7/03 से
7.	गोगुन्दा	राबाप्रावि., जसवन्गढ़	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कोटड़ा	राबामावि., कोटडा	-	-	06 (2 पद) (4 पद)	7/2000 से 7/2001 से	-	-
9.	कोटड़ा	राबाउमावि., माण्डवा	-	-	-	-	04	8/01 से
10.	कोटड़ा	राबाप्रावि., कोटडा	-	-	-	-	-	-

सीकर के विद्यालयों में रिक्त पद

749. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में वर्तमान में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय स्तर पर संचालित हैं ? उक्त विद्यालयों में अध्यापकों/व्याख्याताओं व अन्य संवर्गों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर विधान सभा क्षेत्र में 12 उच्च माध्यमिक, 17 माध्यमिक एवं 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। उक्त विद्यालयों में संवर्गवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-"क" में सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) शिक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों की नियुक्ति पर लगा प्रतिबन्ध हटने पर भरा जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-"क"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण																	
		प्रधानाचार्य	प्र.अ.	व्याख्यता	व.अ.	वशाशि	वपुअ	वप्र शास	अध्यापक	शाशि	पुअ	प्रशास	का.स.	व.लि.	क.लि.	जमादार	लेबबाय	च.श्र. क.	कुल रिक्त
1.	श्री क. राउमावि सीकर			5								2					3	1	11
2.	प.चि. उमावि सीकर			1	1									1					3
3.	राउमावि कदन			4	1												3	1	9
4.	" पिपराली			1														1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	" तारपुरा			1		1													2
6.	" कोलीडा			1	1				1										3
7.	" पलासरा			2										1				1	4
8.	" कटराथल			1															1
9.	" रघुनाथगढ़			2					2					1					5
10.	" बामारू सीकर			3				1	5					2			4		15
11.	" बजाज रोड सीकर				2				4										6
12.	" दादिया सीकर			2					1					1					4
13.	माविगोठडाभाव सीकर								1									1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	" जेरठी सुभाष सीकर																		
15.	" हि.वि.भ. सीकर				1														1
16.	" लक्ष्मणा का बास																		
17.	" धर्मशालाबैरी				1														1
18.	" गोकूलपुरा																		
19.	" सिंहासन				2									1					3
20.	" श्यामगढ़				1				1									1	3
21.	" गुगारा				1														1
22.	" नांगल अभ्यपुरा				2				3					1					6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	" खामी की ढाणी								3					1					4
24.	" भादवासी								3										3
25.	" बामावि कूदन				3														3
26.	" गोठडाभूरान				1				1					1					3
27.	" पिपराली								1					1					2
28.	" दौलतपुरा				1				1					1					3
29.	" गोकूलपुरा								1										1
	योग			23	18	1		1	28			2		12			10	6	101

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र सीकर में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय रा0प्रावि	रिक्त पदों का विवरण	
		II	III
1.	भोजयाणा जोहड़ा,	01	01
2.	खोखरवाला जोहड़ा	01	02
3.	शिवनगर	01	-
4.	हरिपुरा	01	-
5.	दूल्हा की ढाणी	01	-
6.	चेनाराम की जोहड़ी	01	-
7.	मालियों की ढाणी	01	-
8.	(बा) कोलिंण्डा	-	01
9.	रामपुरा	-	01
10.	पलसाना	-	01
11.	वृसिंहपुरा	-	01
12.	राजपुरा	-	01
13.	संतवाली	-	01
14.	बराल	-	01

1	2	3	4
15.	पुरोहित का बास	-	01
16.	लढाणा	-	01
17.	अभयपुरा	-	02
18.	गुढा खुर्द	-	01
19.	बाणियों की ढाणी	-	01
20.	सुजावास	-	01
21.	विडलीनगर	-	01
22.	गुमाना का बास	-	01
	योग	07	19

सहाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

750. **श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में छात्र/छात्राओं के कितने-कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय कब-कब क्रमोन्नत किये गये ?

(3) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विद्यालयों में कई श्रेणी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त विद्यालयों में कितनी-कितनी छात्र संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार छात्र संख्या को ध्यान में रखकर उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस-किस विद्यालय को क्रमोन्नत किया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 63 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 148 राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है। सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों का क्रमोन्नति वर्ष परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(4) जी हां। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(5) जी हां। द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के रिक्त पद पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अध्यापक उपलब्ध होने/स्थानान्तरण से तथा तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से तृतीय वेतन श्रृंखला के चयनित अध्यापक उपलब्ध होने/स्थानान्तरण से भरे जायेंगे।

(6) उक्त विद्यालयों में छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(7) विद्यालयों का क्रमोन्नयन गांव की जनसंख्या, अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर समग्र रूप से विचार कर किया जाता हैं तदनुसार इन विद्यालयों के क्रमोन्नयन पर भी विचार किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षा सेवा नियमों में पदोन्नति सम्बन्धी विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित कमेटी

751. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वर्तमान शिक्षा सेवा नियम, 1970 एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में आई पदोन्नति सम्बन्धी विसंगतियों को सुधारने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने पदोन्नति हेतु नया कौनसा पिरामिड़ बनाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई नई कमेटी का गठन कर रही है ?

(3) क्या पूर्व में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पदोन्नति सम्बन्धी विसंगतियों सहित नियमों में संशोधन एवं नियमों के पुनरावलोकन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विशिष्ट शासन सचिव-(शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित समिति के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार।

(3) समिति द्वारा आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

न्यायिक सेवा सम्बन्धी नियमों का प्रकाशन

752. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (आर.एच.जे.एस.) नियम तथा राजस्थान न्यायिक सेवा (आर.जे.एस.) नियमों का प्रकाशन किया गया हैं ? यदि हां, तो किस-किस भाषा में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों का प्रकाशन हिन्दी भाषा में नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्यों ? प्रकाशित अद्यतन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नियमों को अविलम्ब हिन्दी में प्रकाशित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम तथा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। नियमों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ है।

(2) उक्त नियमों का प्रकाशन हिन्दी भाषा में नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2003 का प्रचलित किया जाना विचाराधीन है, उस समय हिन्दी भाषा में भी प्रकाशन के सम्बन्ध में विचारण किया जाएगा।

(3) राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2003 को प्रचलित किया जाना विचाराधीन है, जिसमें राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969 व राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 समाहित होंगे। नवीन नियम प्रचलित किये जाते समय इस सम्बन्ध में भी विचारण किया जाएगा।

तारानगर व राजगढ़ तहसील (चूरू) में सिंचाई सुविधाओं हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में आबंटित राशि

753. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक सिंचाई विभाग को भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, विभिन्न केन्द्रीय योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला चूरू एवं जिले के तारानगर एवं राजगढ़ तहसीलों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक विभाग को भारत सरकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, विभिन्न केन्द्रीय योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला चूरू एवं जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसीलों के लिये कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

फागी के अपूर्ण बांध/एनीकट

754. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितने बांध एवं एनीकट स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने बांध अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अधूरे बांधों एवं एनीकटों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में सिंचाई विभाग के कोई बांध/एनीकट स्वीकृत नहीं हैं। कोई बांध अधूरा नहीं है।

(2) जी नहीं, कोई भी बांध/एनीकट अपूर्ण नहीं है।

सेमग्रस्त सूखे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा

755. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेमग्रस्त भूमियों के पानी की बारी काटी गई है ? यदि हां, तो क्या जिन क्षेत्रों में सेम का पानी सूख चूका है उनको सिंचाई सुविधा हेतु पानी की बारी बांधने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। क्षेत्र में सेम समस्या के निराकरण के पश्चात् मिट्टी तथा अन्य परीक्षण करवाना प्रस्तावित है। परीक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

उर्मिला सागर (धौलपुर) के क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट की मरम्मत

756. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर में उर्मिला सागर से टेल तक पानी की सप्लाई हेतु एक्वाडक्ट बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त एक्वाडक्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

कामां (भरतपुर) क्षेत्र में गुड़गांवां नहर के समानान्तर नाला निर्माण

757. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में गुडगांवां नहर के रिसाव व अतिवृष्टि से पानी भराव की समस्या के समाधान हेतु गुडगांवां नहर के समानान्तर नाला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य वितीय वर्ष 2004-05 में ही प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, क्योंकि विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

गंगरार के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

758. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कहां-कहां पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र संचालित हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कार्यरत पशु चिकित्सालयों/उप केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती है, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर ली जाती है।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कार्यरत पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्रों में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम संस्था	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधि.		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		स्कन्ध सहायक		सईस		जलधारी		सफाईकर्ता		गडरिया	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
पशु चिकित्सालय																			
1.	गंगरार	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2.	राशमी	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	सिहाणा	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	साडास	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	नगरी	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6.	रूद	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
पशु चिकित्सा उपकेन्द्र																			
1.	सोनीयाना	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2.	बूढ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3.	पालकी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	चित्तौडिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	ऊचां	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	पहुना	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	जोजरों का खेड़ा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	कुवालिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
9.	बोरदा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	चोगाबड़ी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11.	आरणी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का पंजीकरण

759. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पंजीकरण की स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों पर पंजीकरण की स्वीकृति की कार्यवाही कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंजीकरण की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? सरकार अनावश्यक विलम्ब के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त पंजीकरण स्वीकृति प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन का प्रस्ताव जिला कलक्टर, बारां के माध्यम से डेयरी फैडरेशन को पंजीकरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। बारां जिले में दुग्ध उत्पादक संघ का आर्थिक दृष्टि से सक्षम/फिजिबल नहीं होने के कारण पंजीयन नहीं कराया गया। अतः इस सम्बन्ध में विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होने के कारण बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का पंजीयन किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

फुलेरा में अकाल राहत कार्यों में व्याप्त अनियमितता

760. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अकाल राहत के तहत कितने कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में श्रमिकों को काम पर लगाने में भेदभाव, फर्जी मस्टररोल भरने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति के विरूद्ध प्राप्त हुई तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अकाल राहत के तहत कराये गये राहत कार्यों का ग्रामवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) उक्त क्षेत्र में प्रश्नान्तर्गत पूछे अनुसार 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"ब")

(3) उक्त शिकायतों में जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर व राजगढ़ तहसील (चूरू) में अकाल राहत कार्यों का बकाया भुगतान

761. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में अकाल राहत के दौरान गेहूं के कूपन वितरित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनके बदले में मजदूरों को गेहूं का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब उक्त मजदूरों को कूपन के बदले गेहूं का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) सरकार द्वारा सभी लोगों को गेहूं के कूपन के बदले गेहूं के वितरण की सुनिश्चितता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में अकाल राहत के दौरान गेहूं के कूपन वितरित किये गये थे, जिनके बदले में तहसील तारानगर में गेहूं/नकद राशि का भुगतान किया जा चुका है। तहसील राजगढ़ में 2.90 क्विन्टल गेहूं के अतिरिक्त सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इस 2.90 क्विन्टल गेहूं का भी शीघ्र भुगतान करने हेतु जिला कलक्टर को निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) गेहूं के कूपन का भुगतान उचित मूल्य की दुकान पर इस हेतु उपलब्ध गेहूं की मात्रा से किया जाता है। यह गेहूं भारत सरकार से राज्य सरकार को उपलब्ध होता है परन्तु गेहूं की अन-उपलब्धता की स्थिति में इस गेहूं के कूपन की नकद राशि श्रमिकों को राहत मद से दी जाती है। विवादास्पद स्थिति के अतिरिक्त सभी कूपनों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

भादरा तहसील में अकाल राहत कार्यों में अनियमितताओं की जांच

762. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. सुरेश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि 15 अगस्त, 2002 से 15 जुलाई, 2003 तक तहसील भादरा में अकाल राहत कार्य चलाए गए थे ? यदि हां, तो इन अकाल राहत कार्यों में निजी आवास, निजी कुण्ड निर्माण व निजी टांका निर्माण के कितने मामले स्वीकृत किए गए ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा भादरा में कराए गए अकाल राहत कार्यों की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो इनके किस प्रकार की अनियमितता पायी गयी ?

(3) अनियमित पाए गए मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) यदि कार्यवाही की गई तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारीं को दोषी पाया गया और ऐसे दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा करवाई गई जांच निलम्बन/चार्जशीट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत कार्य सम्वत, 2059 के अन्तर्गत निजी लाभ योजना में उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा निजी आवास के 611 कार्य, निजी कुण्ड निर्माण के 29 कार्य व तहसीलदार भादरा द्वारा निजी आवास के 2693 कार्य स्वीकृत किये गये थे।

(2) जी हां। जांच के दौरान निम्न अनियमितताऐं पाई गई थी :- रिकार्ड का सही संधारण नहीं करना, मस्टररोल सम्बन्धी अनियमितताऐं तथा स्वीकृत श्रमिक सीमा से अधिक श्रमिकों का नियोजन करना।

(3) उक्त अनियमितताऐं पाए जाने पर तत्कालीन तहसीलदार श्री राधेश्याम मीणा के खिलाफ विभागीय जांच राजस्व मण्डल को प्रस्तावित की गई। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री औंकार लाल जाट के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई तथा कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निरोधक

(सहायता मंत्री)

विभाग को लिखा गया तथा अनियमितताओं में लिप्त पाये गये 7 पटवारियों को निलम्बित किया गया था, जिन्हें बाद में पेण्डिंग जांच से बहाल कर दिया गया। उक्त पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला कार्यालय में लम्बित है।

(4) बिन्दु 3 के अनुसार कार्यवाही की गई।

(5) सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारियों के विरुद्ध जारी आरोप पत्र की प्रतियां संलग्न है।

आरोप पत्र विरूद्ध श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.एस. तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रारूप

आरोप संख्या 1

उक्त श्री ओंकारलाल जाट तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने कार्यालय में अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के निजी लाभ की योजना में आवास निर्माण के 15 प्रकरणों में मस्टररोल जिला कार्यालय से जारी होने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिये प्रयोग में लाये गये, जो कृत्य दण्डनीय अपराध है।

आरोप संख्या 2

उक्त श्री ओंकारलाल जाट के उप खण्ड अधिकारी भादरा में पदस्थापन में अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना में आवास निर्माण कार्यों में जिला कार्यालय के आदेश दिनांक 19-5-2003 अनुसार अधिकतम 4 श्रमिकों का नियोजन करना, 222 मानव दिवस के हिसाब से 21.72 क्विंटल गेहूं देने के निर्देश दिये गये थे जिनकी पालना श्री जाट द्वारा नहीं की गयी। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना अनियमित है तथा इस कृत्य से राज्य सरकार को हानि हुई है।

आरोप संख्या 3

उक्त श्री ओंकारलाल जाट द्वारा उप खण्ड अधिकारी भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना में आवास निर्माण का स्वीकृतियों के 611 आदेश जारी किये गये, जबकि इस कार्य के लिये तहसीलदार अधिकृत था। श्री ओंकारलाल जाट तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना अनियमित है और अनुशासनहीनता का द्योतक है।

आरोप संख्या 4

उक्त श्री ओंकारलाल जाट तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने कार्यालय में अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना में आवास निर्माण के कार्यों का निरीक्षण, जांच करना तथा मोनेटरिंग का पूर्णतया अभाव रहा। श्री जाट का अभाव अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

आरोप संख्या 5

उक्त श्री ओंकारलाल जाट तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के तहत व्यक्तिगत लाभ की योजना में आवास निर्माण के लिये प्रार्थना पत्र तलब कर स्वीकृतियां जारी की, जिनका अभिलेख नियमानुसार संधारित नहीं किया, प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति की दिनांक का मार्क आदि नहीं किया, आवेदकों की पात्रता की जांच नहीं करवायी, जो अनियमित है तथा दण्डनीय है।

आरोप संख्या 6

उक्त श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.एस द्वारा उप खण्ड अधिकारी भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 में व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत कुआं/कुण्ड निर्माण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वीकृति आदेश जारी किये। ऐसे प्रार्थनापत्रों की पंजिका संधारित नहीं की, निर्माण कार्य के लिये भूमि के स्वामित्व एवं पात्रता की जांच नहीं की जाकर स्वीकृति आदेश जारी किये जो अनियमित है तथा दण्डनीय है।

आरोप संख्या 7

उक्त श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.एस द्वारा उप खण्ड अधिकारी भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत निजी लाभ की योजना में कुआं/कुण्ड निर्माण के लिये मस्टररोल का अभिलेख का संधारण नहीं किया। कुल 2059 स्वीकृतियों में से 1931 मामलों में जिला कार्यालय से जारी मस्टंररोल का उपयोग जिला कार्यालय से जारी होने से पूर्व की अवधि के लिये किया गया। श्री जाट का यह कृत्य नियम विरूद्व है तथा दण्डनीय है।

आरोप संख्या 8

उक्त श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.एस. द्वारा उप खण्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत निजी लाभ की योजना के कार्यों की जांच, निरिक्षण नहीं किया तथा इन कार्यों पर मोनेटरिंग का पूर्णतया अभाव रहा है जिस कारण बडे पैमाने पर अनियमिततायें हुई हैं, जो कृत्य दण्डनीय है।

आरोप संख्या 9

उक्त श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.एस. द्वारा उप खण्ड अधिकारी भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत सहायता विभाग के आदेश दिनांक़ 4-12-2002 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश की पालना में कुण्ड एवं कुआं निर्माण के लिये स्वीकृतियां जारी कर इन कार्यों के निष्पादन के लिये मस्टररोल्स जारी किये। जारी किये गये मस्टररोल्स मे से 436 मस्टररोल्स पर बिना काम हुये राशि को पारित के आदेश दिये गये। श्री ओंकारलाल जाट आर.ए.उस. द्वारा इन कार्यों की जांच नहीं करवायी और बिना जांच व भौतिक सत्यान के राशि पारित करने के आदेश जारी करना अनियमित है तथा दण्डनीय है।

आरोप पत्र विरूद्ध श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार मादरा (हनुमानगढ़)

आरोप संख्या 1

उक्त श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार भादरा में कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के तहत व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण सम्बन्धित अभिलेख का संधारण सहायता विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार नहीं किया, लामार्थियों की पात्रता की जांच नहीं करवायी और नियम विरूद्ध स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

आरोप संख्या 2

उक्त श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये, अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत आवास निर्माण की 2693 स्वीकृतियां जारी की जिनके निष्पादन के लिये मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया सहायता विभाग के आदेशानुसार नहीं अपनाई जिससे मस्टररोल का दुरूपयोग हुआ जिस कारण जिला कार्यालय से जारी होने की दिनांक से पूर्व की तारीख में मस्टररोल का उपयोग हुआ है।

आरोप संख्या 3

उक्त श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये, अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत निजी लाभ की योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण की 2693 स्वीकृतियां जारी की जिसमें से 15 में स्वीकृतियां निरस्त करने के उपरान्त मस्टररोल जारी किये जिनका उपयोग भी लाभार्थियों द्वारा किया गया। तहसीलदार द्वारा मोनिटरिंग का अभाव पहले से राजकीय राशि हड़पने का प्रयास हुआ जो अनियमित है।

आरोप संख्या 4

उक्त श्री राधेश्याम मीणा तहसीलदार भादरा के पद पर कार्यरत रहते हुये, अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत निजी लाभ की योजना के

अन्तर्गत स्वीकृत आवास निर्माण के मापकों में जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेशानुसार 4 श्रमिकों का नियोजन अधिकतम करना था जिसकी पालना नहीं की जिसके परिणाम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक सीमा से अधिक श्रमिकों को नियोजन दिया गया जो नियम विरूद्व है।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्व श्री मल्लूराम पटवारी प.म. गांधी बडी तहसील भादरा।

आरोप संख्या 1

आप श्री मल्लूराम पटवारी पटवार मण्डल गांधी बडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में 4 मस्टररोल पर आपने कार्य शुरू/कार्य प्रगति पर होने की आप द्वारा रिपोर्ट की गई। उक्त मस्टररोल का भुगतान करने हेतु अनुशंषा भी की गई। बाद में उक्त मस्टररोल पर कांट-छाट कर कार्य शुरू नहीं/कार्य प्रगति पर नहीं की रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त कर दिये गये। जबकि उक्त मस्टररोल पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज थी। मस्टररोल में श्रमिकों की हाजरी दर्ज होने के बाद, काम पूरा होने की भुगतान की अनुशंषा करने के बाद पुनः विरोधाभाषी रिपोर्ट कर मस्टररोल निरसत करना पूर्णतया अनुचित एवं दुर्भावना पूर्ण है इससे आपकी राजकीय धन का दुरूपयोग करने की मंशा प्रकट होती है। आपका यह कार्य दण्डनीय है अतः आप दोषी है।

आरोप संख्या 2

आप श्री मल्लूराम पटवारी पटवार मण्डल गांधी बडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में आप द्वारा करवाये गये अकाल राहत कार्यो की जांच करने पर आप द्वारा करवाये गये निजी आवास निर्माण सहायता विभाग के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाये गये अतः स्पष्ट है कि आपने निर्माण कार्यो की समय-2 पर निरीक्षण नहीं किया। आपका यह कार्य उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का द्योतक है जो दण्डनीय है। अतः आप दोषी हैं।

<u>आरोप संख्या 3</u>

आप श्री मल्लूराम पटवारी प.म. गांधी बडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निजी लाभ योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियों के मस्टररोल आप द्वारा पूर्व तिथियों में दर्ज किये गये। आपका यह कार्य नियम विरूद्ध है एवं आपने स्वीकृत श्रमिकों की संख्या से अधिक श्रमिकों का नियोजन कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की है जो दण्डनीय हैं अतः आप दोषी हैं।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री गोपाल पटवारी प.म. भाडी तहसील भादरा।

<u>आरोप संख्या 1</u>

आप श्री गोपाल पटवारी पटवार मण्डल भाडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निज़ी लाभ योजनान्तर्गत 10 मस्टररोल पर आपने कार्य शुरू/कार्य प्रगति पर है की रिपोर्ट कर भुगतान करने की अनुशंषा की गई। बाद में इन मस्टररोल कर कार्य शुरू/ कार्य पूर्ण नहीं की रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त कर दिये गये जबकि इन पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज थी। इस प्रकार विरोधाभाषी रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त करने पर राजकीय राशि का दुरूपयोग करने की आपकी मंशा प्रकट होती है। आपका यह कार्य दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

<u>आरोप संख्या 2</u>

आप श्री गोपाल पटवारी प.म. भाडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 की जांच करने पर प.म. भाडी की जनसंख्या से अधिक श्रमिकों का नियोजन पाया गया जबकि अन्य अकाल राहत कार्य भी चालू थे। निजी आवास योजना में स्वीकृत 4 श्रमिकों से अधिक श्रमिकों का नियोजन पाया गया जो कि आप द्वारा सामयिक निरीक्षण नहीं करने का परिणाम रहा। आपका यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 3

आप श्री गोपाल पटवारी प.म. भाडी तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निजी लाभ योजनान्तर्गत कुआं/कुण्ड निर्माण हेतु 343 स्वीकृतियां तहसीलदार भादरा द्वारा जारी की गई इनमें से 286 मस्टररोल पूर्व की तिथियों में भरे हुए पाये गये तथा भौतिक सत्यापन पर 4 उचित नहीं पाये गये। निजी लाभ योजना में निजी आवास निर्माण की 61 स्वीकृतियों के मस्टररोल भी पूर्व तिथियों में भरे हुए पाये गये। इस प्रकार आपने लालच के वशीभूत होकर बदनियति पूर्वक राजकीय राशि का दुरूपयोग करने का प्रयास किया जो दण्डनीय है। अतः आप दोषी हैं।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री जगदीश प्रसाद पटवारी प.म. भौजासर तहसील भादरा

आरोप संख्या 1

आप श्री जगदीश प्रसाद पटवारी प.म. भौजासर तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 में 213 मस्टररोल पर आपने कार्य शुरू करने/कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट कर भुगतान हेतु अनुशंषा की एवं मस्टररोल पारित भी किये गये। बाद इन पर कार्य शुरू नहीं/कार्य अपूर्ण की रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त कर दिये गये जबकि इन पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज थी। अतः विरोधाभाषी रिपोर्ट करके आपने राजकीय धन का दुरूपयोग करने का प्रयास किया। आपका यह कार्य दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 2

अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निर्माण कार्यों की स्वीकृति में मस्टररोल पूर्व की तिथियों में भरे हुये पाये गये। निजी आवास योजना में 73 मस्टररोल में से 9 मस्टररोल पूर्व की तिथियों में भरे हुये पाये गये। इस प्रकार का आचरण कर आपने लोक सेवक के कर्तव्यों का पालन नहीं किया जो दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 3

अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में स्वीकृत कार्यो का आपने सामयिक निरीक्षण नहीं किया एवं जांच करने पर उक्त कार्य सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाये गये और स्वीकृत श्रमिकों की संख्या से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया हुआ पाय गया। इस प्रकार आपने सहायता विभाग के निर्देश एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। आपका यह कार्य दण्डनीय है अतः आप दोषी है।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री भूपसिंह पटवारी प.म. खचवाना तहसील भादरा

आरोप संख्या 1

आप श्री भूपसिंह पटवारी प.म. खचवाना तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निजी आवास योजनान्तर्गत जारी 34 स्वीकृतियों में से 31 स्वीकृतियों में से 31 मस्टररोल पूर्व तिथियों में भरे पाये गये। निजी लाभ योजनान्र्तगम कुआं/कुण्ड निर्माण क 18 मस्टररोल पर कार्य शुरू करने/कार्य प्रगति पर/कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट की और इनके भूगतान करने की अनुशंषा की गई। तदनुसार मस्टररोल भुगतान करने हेतु पारित किये गये। बाद में कार्य शुरू नहीं/कार्य प्रगति पर नहीं की रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त किये गये जबकि इन पर श्रमिकों की हाजरी दर्ज थी। मस्टररोल में श्रमिकों की हाजरी दर्ज होने के बाद कार्य पूरा नहीं/कार्य शुरू नहीं की विरोधाभाषी रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त करने पर आपकी राजकीय धन के दुरूपयोग करने की मंशा प्रकट होती है। आपका यह कार्य दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरासेप संख्या 2

आप श्री भूपसिंह पटवारी प.म. खचवाना तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य वर्ष 2003 में निजी लाभ योजनान्तर्गत कुआं/

कुण्ड निर्माण की 248 स्वीकृतियों मे से 244 लाभार्थियों के मस्टररोल पूर्व की तिथियों में भरे गये भौतिक सत्यापन पर 2 उचित नहीं पाये गये इसी प्रकार निजी आवास योजनान्तर्गत 34 स्वीकृतियों में से 31 लाभार्थियों के मस्टररोल पूर्व तिथियों में दर्ज पाये गये। आपका यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 3

आपने निजी आवास योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में स्वीकृत श्रमिकों की संख्या से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया। इस प्रकार आपने सहायता विभाग द्वारा जारी निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की है। आपका यह आचरण लोक सेवक के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लंघन है । जो दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री भूपसिंह पटवारी प.म. खचवाना तहसील भादरा

आरोप संख्या 1

आप श्री भूपेन्द्र कुमार पटवारी प.म. साहूवाला पर कार्यरत रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत 2059 वर्ष 2003 में निजि लाभ योजनान्तर्गत कुआं/कुण्ड निर्माण के मस्टररोल संख्या 84529, 84553, 84795, 84542, 84495, 84497, 84498, 84503, 84504, 84505, 84509, 84511, 84518, 84520, 84701, 84535, 84534, 84541, 84552, 84538, 84540, 84521, 84527, 84522, 84531, 84549, 84543, 84524, 84545, 84550, 84537, 84525, 84547, 84532, दिनांक 13-6-2003 मस्टररोल संख्या 84970, 7419, 74154, 84499, 84158, 74173, 74178, दिनांक 22-5-2003 मस्टररोल संख्या 73815, 73824, 83225, 83256, 83269, 83271, 83272, 83273, 83279, 83288, 83293, 83295, 83270, 83299, 82631, 82632, 83296, 83267 दिनांक 31-5-2003

मस्टररोल संख्या 68211, 68259 दिनांक 13-5-2003 पर कार्य शुरू करने/कार्य प्रगति पर/कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट की एवं उनकी भुगतान करने की अनुशंषा की गई। तदनुसार मस्टररोल पारित भी किये जा चुके थे। उक्त मस्टररोल पर आप द्वारा पुनः कार्य अपूर्ण/कार्य चालू नहीं/कार्य शुरू नही करने की रिपोर्ट की गई जबकि इन मस्टररोल में श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज थी। मस्टररोल में श्रमिकों की हाजरी दर्ज होने के बाद, काम पूरा होने व भुगतान की अनुशंषा के बाद पुनः आप द्वारा विरोधाषी रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त करना पूर्णतः अनुचित एवं दुर्भावना पूर्ण है। आप द्वारा यह कार्य बदनियति एवं लालच के वंशीभूत होकर किया गया है जो दण्डनीय है अतः आप दोषी है।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री नाजरसिंह पटवारी पटवार मण्डल किराडाबडा तहसील भादरा

<u>आरोप संख्या 1</u>

आप श्री नाजर सिंह पटवारी पटवार मण्डल किराडाबडा तहसील भादरा में कार्यरतं रहते हुए अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 वर्ष 2003 में निजी आवास योजनान्तर्गत तहसीलदार भादरा द्वारा 172 स्वीकृतियां जारी की गई। इन समस्त स्वीकृतियों के मस्टररोल आप द्वारा पूर्व तिथियों में भरे गये और निजी लाभ योजनान्तर्गत कुआं निर्माण के 39 स्वीकृतियों में 33 लाभार्थियों के मस्टररोल भी पूर्व तिथियों में आप द्वारा भरे गये। इस प्रकार आपने लोक सेवक के कर्तव्यों का उल्लंघन कर राजकीय राशि का दुरूपयोग करने का प्रयास किया है जो दण्डनीय है। अतः आप दोषी हैं।

<u>आरोप संख्या 2</u>

आप श्री नाजर सिंह पटवारी पटवार मण्डल किराडाबडा तहसील द्वारा भादरा पर कार्यरत रहते हुए आपने निजी आवास कार्यों पर स्वीकृत श्रमिको की संख्या से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया जिससे आधिक्य भुगतान की

स्थिति होना पाया गया। आपका यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है। अतः आप दोषी हैं।

<u>आरोप संख्या 3</u>

आप श्री नाजर सिंह पटवारी पटवार मण्डल किराडाबडा तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए आप द्वारा करवाये गये अकाल राहत कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि आपने अकाल राहत कार्य सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं करवाये तथा आप द्वारा अकाल राहत कार्यों का सामयिक निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नहीं की गई। आपका यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है। अतः आप दोषी हैं।

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री भंवरलाल पटवारी प.म. डाबडी अतिरिक्त कार्यभार प.म. मुंदडिया बड़ा एवं अलायला तहसील भादरा

<u>आरोप संख्या 1</u>

आप श्री भंवरलाल पटवारी प.म. डाबडी अतिरिक्त कार्यभार मुदडिया बडा एवं अलायला तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुये अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 वर्ष 2003 में निजी लाभ योजनान्तर्गत 35 मस्टररोल पर आप द्वारा कार्य शुरू करने/कार्य प्रगति पर/कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट की एवं इनके भुगतान करने की अनुशंषा की गई। तदनुसार मस्टररोल भुगतान हेतु पारित भी किये गये। बाद में उक्त मस्टररोल आप द्वारा कार्य अपूर्ण/कार्य शुरू नहीं करने की रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त कर दिये गये जबकि इन पर श्रमिको की उपस्थिति दर्ज थी। मस्टररोल पर श्रमिको की हाजरी दर्ज होने कि बाद, काम पूरा होने व भुगतान करने की अनुशंषा उपरांत पुनः विरोधाभाषी रिपोर्ट कर मस्टररोल निरस्त करना पूर्णतया अनुचित एवं दुर्भावना पूर्ण है। आपका

यह आचरण लोक सेवक के कर्तव्यों का निर्वहन न कर राजकीय राशि के दुरूपयोग करने की आपकी मंशा प्रकट होती है। आपका यह दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 2

आप श्री भंवरलाल पटवारी प.म. डाबडी अतिरिक्त कार्यभार अलायदा एवं मुंदडिया बडा पर कार्यरत रहते हुए अलायता में जारी 134 स्वीकृतियों में से 93 मस्टररोल पूर्व की तिथियों में दर्ज पाये गये तथा भौतिक सत्यापन पर 25 मस्टररोल उचित नहीं पाये गये। पटवार मण्डल मुंदडिया बडा में जारी 157 स्वीकृतियों में 152 मस्टररोल पूर्व की तिथियों में दर्ज पाये गये। अतः स्पष्ट है कि आप द्वारा समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया। आपका यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या 3

आप श्री भंवरलाल पटवारी प.म. डाबडी अतिरिक्त कार्यभर अलायला एवं मुंदडिया बडा तहसील भादरा पर कार्यरत रहते हुए आप द्वारा करवाये गये कार्य निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं पाये गये, निर्माण कार्यों पर अधिकतम श्रमिकों की संख्या से अधिक श्रमिक नियोजित करना एवं कार्यों की जांच कर मस्टररोल में इन्द्राज नहीं करने का यह कार्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है अतः आप दोषी हैं।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
हनुमानगढ़

बीकानेर विश्वविद्यालय में संविदा/तदर्थ नियुक्तियां

763. श्री बृज किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर में सरकार की बिना अनुमति के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस पद पर कितने-कितने लोगों को नियुक्तियां दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन कार्मिकों संविदा, तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इसकी अनुमति सरकार से ले ली गई ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार नियम विरूद्ध नियुक्ति दिये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में कोई नियुक्तियां नहीं की गयी।

(2) संविदा, तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर किसी भी कार्मिक को नियुक्त नहीं किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति (पंजीकृत) जयनारायण व्यास कालोनी, बीकानेर से 8 भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें ली जा रही है तथा सफाई एवं मजदूरी सम्बन्धित कार्य हेतु जाब के आधार पर पंजीकृत ठेकेदार से श्रमिकों की सेवायें ली जा रही हैं।

सीमावर्ती जिलों में नियुक्त अल्प-संख्यक वर्ग के होमगार्डस

764. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) सीमावर्ती जिलों में होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई और अब तक कितने लोगों को भर्ती किया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमावर्ती होमगार्ड में अल्पसंख्यकों को कितनी संख्या में भर्ती किया गया ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिलों में सीमा गृह रक्षा की भर्ती वर्ष 1967 से प्रारम्भ हुई थी तथा शहरी गृह रक्षा की भर्ती, 1963 से प्रारम्भ हुई थी। जब तक भर्ती की जिलेवार सूचना निम्न प्रकार से है :-

नाम जिला	सीमा गृह रक्षा में भर्ती	शहरी गृह रक्षा में भर्ती	कुल
1. बाड़मेर	2909	1382	4291
2. जैसलमेर	2518	887	3405
3. बीकानेर	1989	4971	6960
4. गंगानगर	3369	4718	8087
योग-	**10785**	**11958**	**22743**

(2) सीमावर्ती होमगार्ड में अल्पसंख्यकों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :-

जिले का नाम	सीमा गृह रक्षा में भर्ती	शहरी गृह रक्षा में भर्ती	कुल
1. बाड़मेर	17	150	167
2. जैसलमेर	53	28	81
3. बीकानेर	197	442	639
4. गंगानगर	20	794	814
योग-	**287**	**1414**	**1701**

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-455 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

विधानसभा क्षेत्र-भीलमाल में नवीन खोले गये वर्ष 2004 के विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रकार
1.		बालक
2.	धौबाऊ	बालक
3.	खुबिया भौली कि ढाणी दातिवास	बालक
4.	रीवडीली नाडी नयापुरा चौपावत	बालक
5.	महेश दान की ढाणी मेडांवा	बालक
6.	खेडा पुरीया गांव	बालक
7.	एस.सी. व एस.टी. बस्ती नादिया	बालक
8.	सरदारसिंह सोढा की ढाणी	बालक
9.	रामदेव जी का मन्दिर नादिया	बालक
10.	पुरोहितों की ढाणी मेड	बालक
11.	मेराजी चौधरी की ढाणी नई वाली	बालक
12.	लुखे की ढाणी खोखा	बालक
13.	पुनिया कि ढाणी सांबड़ावास	बालक
14.	समेला की ढाणी डुगरवा	बालक
15.	मोड़ा की ढाणी कालेटी	बालक

1	2	3
16.	उमेदा की ढ़ाणी मेंडा	बालक
17.	पोतरोडों की ढ़ाणी देवदा का गोलियां	बालक
18.	हंसा पुरोहित की ढ़ाणी वागावास	बालक
19.	जुनेजों की ढ़ाणी बिछावाड़ी	बालक
20.	भीलों की ढ़ाणी जेरण रोडामेडावा	बालक
21.	मालवीयों की ढ़ाणी सोबड़ावास	बालक
22.	हरिगा विश्नोई की ढ़ाणी	बालक
23.	केरीया की ढ़ाणी जुनीवाली	बालक
24.	नरसी की ढ़ाणी नयावाड़ा	बालक
25.	भावा फक की ढ़ाणी डुगरवा	बालक
26.	कोदलियों की ढ़ाणी	बालक
27.	सरदारजी की ढ़ाणी मोरसीम	बालक
28.	स्वामिनारायण मन्दिर डोली जुनोवली	बालक
29.	रामदेव जी का मन्दिर वाटेरा	बालक
30.	समरजीत की ढ़ाणी नरसाणा	बालक
31.	मुलानाड़ी जुजाणी	बालक
32.	बोबरड़ी की नाड़ी	बालक
33.	मोटाजी पुरोहित की ढ़ाणी जेरण	बालक

1	2	3
34.	नादिया	बालिका विद्यालय
35.	जुनीवाली	बालिका विद्यालय
36.	मोरसीस	बालिका विद्यालय
37.	कालेटी	बालिका विद्यालय
38.	कावतरा	बालिका विद्यालय
39.	निम्बावास	बालिका विद्यालय
40.	रंगाला	बालिका विद्यालय
41.	नयावाडा	बालिका विद्यालय
42.	मेडा	बालिका विद्यालय
43.	सोबड़ावास	बालिका विद्यालय

परिशिष्ट-"ख"

क्र.सं.	नाम विद्यालय जहां से अध्यापक व्यवस्था में लगाये गये	विद्यालय में कुल अध्यापक	व्यवस्था में लगाये	व्यवस्था के शेष अध्यापक
1	2	3	4	5
1.	राप्रावि., काबा खेड़ा	04	01	03
2.	राउप्रावि., राई	05	01	04
3.	राउप्रावि., थोबाऊ	03	01	02
4.	राउप्रावि., कलबर्यो की ढ़ाणी	02	01	01
5.	राउप्रावि., मिड़ाबास	02	01	01
6.	राउप्रावि., मेडा	3	01	02
7.	राप्रावि., निम्बाररीपाल	02	01	01
8.	राप्रावि., जवरजी की ढ़ाणी	02	01	01
9.	राउप्रावि., नईवाली	03	02	01
10.	राप्रावि., पीपलीनाडी	02	01	01
11.	राप्रावि., बामोड़ा	02	01	01
12.	राप्रावि., विश्नोईया की ढ़ाणी	02	01	01
13.	राप्रावि., अरणु	02	01	01
14.	राप्रावि., कुर्को	03	02	03
15.	राप्रावि., देवेदा जगातियां	03	01	02

1	2	3	4	5
16.	राप्रावि., चकजेरंण	02	01	01
17.	राप्रावि., गुजरवाड़ा	02	01	01
18.	राप्रावि., पुनियां खेड़ा	02	01	01
19.	राप्रावि., रूपा की ढ़ाणी	02	01	01
20.	राप्रावि., वाडीनया	06	03	03
21.	राप्रावि., चांदा जी का धोरा	03	01	02
22.	राप्रावि., मोरसीम की ढ़ाणी	02	01	01
23.	राप्रावि., पाता की ढ़ाणी	02	01	01
24.	राप्रावि., इकाडिया नाडी, नरसागर	02	01	01
25.	राउप्रावि., राउता	04	01	03
26.	राप्रावि., वैर की ढ़ाणी	02	01	01
27.	राउप्रावि., जेरण	06	01	05
28.	राप्रावि., शेर की ढ़ाणी	02	01	01
29.	राउप्रावि., नामंदिया	02	01	01
30.	राउप्रावि., जनीवाली	02	01	01
31.	राप्रावि., मोरचीम	02	01	01
32.	राउप्रावि., लेटी	03	01	02
33.	राप्रावि., नई बाली का गोलियां	02	01	01

1	2	3	4	5
34.	राप्रावि., धनजी की ढाणी	02	01	01
35.	राप्रावि., पंच कुआ	03	01	02
36.	राउप्रावि., सेवड़वास	02	01	01
37.	राप्रावि., रंगाली	02	01	01
38.	शिक्षाकर्मी विद्यालय, लूनकरणसर	04	01	03
39.	--"-- --"-- जयपुर ध्वेच	03	01	02
40.	राप्रावि., मामा ज़ी का स्थान	02	01	01
41.	राउप्रावि.; जुजाणी	05	01	04
42.	राउप्रावि., वागल शेप्ट	05	01	04
43.	राउप्रावि.,	05	01	04

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-456 की सूची)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुरूपयोग किये गये गेहूं का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	प्रकरणों की संख्या	दुरूपयोग की
1.	अजमेर		

1	2	3	4	5
34.	राप्रावि., धनजी की ढ़ाणी	02	01	01
35.	राप्रावि., पंच कुआ	03	01	02
36.	राउप्रावि., सेवड़वास	02	01	01
37.	राप्रावि., रंगाली	02	01	01
38.	शिक्षाकर्मी विद्यालय, लूनकरणसर	04	01	03
39.	--"-- --"-- जयपुर ध्वेच	03	01	02
40.	राप्रावि., मामा जी का स्थान	02	01	01
41.	राउप्रावि.; जुजाणी	05	01	04
42.	राउप्रावि., वागल शेप्ट	05	01	04
43.	राउप्रावि.,	05	01	04

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-456 की सूची)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुरूपयोग किये गये गेहूं का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	प्रकरणों की संख्या	दुरूपयोग की गई गेहूं की मात्रा (क्वि.)
1.	अजमेर	4	607.65
2.	अलवर	3	119.63
3.	बांसवाड़ा	11	513.99
4.	चित्तौडगढ़	9	3010.94
5.	चूरू	4	508.67
6.	जयपुर	3	299.50
7.	जालौर	2	134.55
8.	झालावाड़	7	1340.88
9.	झुन्झुनूं	1	16.05
10.	जोधपुर	2	70.90
11.	करौली	4	1936.45
12.	नागौर	1	0.00

1	2	3	4
13.	पाली	1	104.40
14.	सीकर	10	719.35
15.	सिरोही	4	37.45
	कुल योग	66	9420.41

सदस्य सूची

मंगलवार, 3 अगस्त, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अमराराम (धोद)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी	24
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	7
श्रम एवं नियोजन	
-निजी कम्पनियों में कार्यरत विक्रय अभिकर्ताओं हेतु न्यूनतम वेतनमान	135
स्थगन प्रस्ताव	
-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ग्रीन कार्ड योजना शुरू करने से उत्पन्न स्थिति	53
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-गंगरार के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद	308
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-उदयपुर के उमरड़ा ग्राम की औद्योगिक इकाईयों से प्रदूषण	207
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-रानीवाड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद	271

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-लूणी नदी साइफन व पुलियाओं के निर्माण पर व्यय	163
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-उप अधीक्षक पुलिस पद हेतु आरक्षित बैकलाग	262
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) राजकीय महाविद्यालय का क्रमोन्नयन	187
श्री उपाध्यक्ष	
स्थगन प्रस्ताव	
-मोहम्मद माहिर आजाद एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायती राज एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये समुचित आरक्षण नहीं होने के सम्बन्ध में	35
-श्री रामनारायण मीणा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के इंजीनियर महाविद्यालयों में फीस में भारी असमानता के सम्बन्ध में	35
श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-तिजारा (अलवर) तहसील का भिवाड़ी औद्योगिक विकास अभिकरण	125
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-अलवर तिजारा रोड से भिवाडी हाई वे तक टोल टैक्स लागू करने से उत्पन्न स्थिति	77

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-केसरीसिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने बाबत्	65
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	98
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बस्सी के नाकारा हैण्डपम्प	218
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जिला प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों को वितरित सहायक शिक्षण सामग्री	167
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अलवर जिले में नवीन मार्बल नीति के तहत प्राप्त् आवेदन	244
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित् गेहूं की कालाबाजारी	13
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सहाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन	302

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-वन क्षेत्रों के अनुपात में कार्यरत वन कर्मी	194
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई	81
श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर को पेयजल आपूर्ति	222
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-चौहटन तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल	139
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचित क्षेत्र विकास	
-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तिम छोर से चकों के पक्के खालों का निर्माण	270
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जहाजपुर थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 186/04 में कार्यवाही कर दोषियों को सजा दिलाने बाबत	77
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	100

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-शिक्षा सेवा नियमों में पदोन्नति सम्बन्धी विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित कमेटी	304
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	3
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-तारानगर व राजगढ़ तहसील (चूरू) में अकाल राहत कार्यों का बकाया भुगतान	313
वन	
-चूरू जिले में वन विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि	263
सिंचाई	
-तारानगर व राजगढ़ तहसील (चूरू) में सिंचाई सुविधाओं हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में आबंटित राशि	306
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-तारानगर (चूरू) के पशुपालकों के दूध के जिला हनुमानगढ़ में बिक्री पर रोक	162
श्रम एवं नियोजन	
-बेरोजगारों हेतु स्थाई रोजगार गारण्टी योजना	136
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनावश्यक एल.डी. फिल्म करने बाबत	68

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	100
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	133
श्रम एवं नियोजन	
-टौंक के बीड़ी कारखानों में कार्यरत श्रमिक	158
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी	31
श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-जोधपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा आर.यू.पी. फेज द्वितीय में स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण	204
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-बाड़मेर में दुग्ध संकलन केन्द्र	185
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बालिका फाउण्डेशन के तहत राज्य में चालू किये गये छात्रावासों को सहायता राशि	65

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-परिवहन विभाग में फैल रहा भ्रष्टाचार	79
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-सेमग्रस्त सूखे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा	307
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-विजयपुरा ग्राम (सादुलपुर) में पेयजल हेतु पाइप लाइन	217
तारांकित प्रश्नोत्तर	
भू-जल	
-राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र (चूरू) का भू-जल स्तर	185
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-फुलेरा में अकाल राहत कार्यों में व्याप्त अनियमितता	313
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-फुलेरा के पारम्परिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार	209
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	133
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	105

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा), राज्य मंत्री	
विधेयक पर विचार	
विचार	
-राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004	113
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नवलगढ़ के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति	155
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
विधेयक पर विचार	
विचार	
-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004	120
श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का पंजीकरण	312
विधि एवं न्याय	
-न्यायिक सेवा सम्बन्धी नियमों का प्रकाशन	305
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-उर्मिला सागर (धौलपुर) के क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट की मरम्मत	307
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	103

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-बीकानेर विश्वविद्यालय में संविदा/तदर्थ नियुक्तियां 328

उद्योग

-जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन केन्द्र की स्थापना 207

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-कोटा सम्भाग में भेड़ों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु तैनात गार्डस 253

वन

-हाडौती सम्भाग में प्रस्तावित राजीव गांधी नेशनल पार्क 262

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-सांगोद तहसील में सैटलमेंट में कमियां 74

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन 7

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-कामां (भरतपुर) क्षेत्र में गुड़गांवां नहर के समानान्तर नाला निर्माण 308

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी 27

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा	
-सीमावर्ती जिलों में नियुक्त अल्प-संख्यक वर्ग के होमगार्डस	328
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र हेतु शुद्ध पेयजल व्यवस्था	230
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सीकर के विद्यालयों में रिक्त पद	296
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
विधेयक पर विचार	
विचार	
-राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004	122
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन एवं सेवन पर रोक	244
श्री रामलाल (बनेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-भीलवाड़ा जिले में जहरीली शराब से मृत्यु	168

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-जयपुर के गोविन्द नगर पूर्व में अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति	237
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	11
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	133
वन	
-बैराठ में हरे वृक्षों की अवैध कटाई	129
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई	84
श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-फागी के विद्यालयों में रिक्त पद	285
सिंचाई	
-फागी के अपूर्ण बांध/एनीकट	306

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-उदयपुर ग्रामीण में संचालित उद्योग	209
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-लोक जुम्बिश परियोजना में नियुक्त कर्मियों का समायोजन	284
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
तारांकित प्रश्नोतर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी	13
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जहाजपुर थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 186/04 में कार्यवाही कर दोषियों को सजा दिलाने बाबत	75
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अजमेर के बूढा पुष्कर से रेल्वे को जलापूर्ति से प्रभावित भू-जल स्तर	219
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु नीति	132
गृह	
-भीलवाड़ा जिले में जहरीली शराब से मृत्यु	168

नाम	पृष्ठ संख्या
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	7
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	100
श्री सभापति	
विधेयक का पारण	
पारण	
-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004	122
-राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004	119
-राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004	124
डा. समरजीत सिंह (भीलमाल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	2
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	11
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	90
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी	19

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित गेहूं की कालाबाजारी	18
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-कोटपूतली हेतु पेयजल व्यवस्था	222
श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-आरोपित/दण्डित कर्मियों का पुन: पदस्थापन	202
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जयपुर शहर में अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम में शिकायतें	70
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-भादरा तहसील में अकाल राहत कार्यों में अनियमितताओं की जांच	314
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-भादरा में लकड़ी विक्रय केन्द्र की स्थापना	184
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-यातायात पुलिस जयपुर द्वारा जब्त वाहन	152

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	104
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-सरकारी भूमि का खान मालिकों के नाम म्यूटेशन	137
श्रीमती स्नेहलता (डग)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-डग (झालावाड़) में रोजगार संकट	78
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-महुआ (दौसा) थाना में वृत निरीक्षक का पदस्थापन	259
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-महुवा के निलम्बित राशन डीलर	172
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-बूंदी जिले की प्रदूषित औद्योगिक इकाईयां	159
स्थगन प्रस्ताव	
-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ग्रीन कार्ड योजना शुरू करने से उत्पन्न स्थिति	56
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-देवगढ़ (भीम) पुलिस थाना का क्रमोन्नयन	158

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हीरालाल (निवाई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-खिड़गी ग्राम (निवाई) के अग्नि पीडितों को सहायता	193
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-निवाई विधान सभा क्षेत्र की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण	66
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग	98
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-मन्दिर श्री चतुर्भुजजी, बारह भाइयों का चौराहा (जयपुर) में अवैध निर्माण प्रकरण	257
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई	82
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल पंचायत समिति की नवीन पाठशालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन	8